सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना हस्तपुस्तिका

भाग–2

मैनुअल संख्या – 5 (2B)

शासनादेश 2001 से 2022 तक

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

चौदहवां संस्करण जून, 2022

विषयवस्तु

क्र0 सं0	विषय	शासनदेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ
1.	जिला स्तरीय प्रोजेक्ट टेक्निकल कमेटी का गठन।	संख्याः182/एफ0आर0डी0सी0/ 18–1–2001	5-6
2.	राज्यस्तरीय जलागम प्रबन्धन समिति का गठन।	संख्याः449/एफ0आर0डी0सी0/ 16–3–2001	7-9
3.	अतंरविभागीय कार्यदलका गठन।	संख्याः45/एफ0आर0डी0सी0/ 17–3–2001	10-11
4.	राज्य प्राधिकृत समिति का गठन	संख्याः148/एफ0आर0डी0सी0/ 27–3–2001	12-14
5.	राज्य प्राधिकृत समिति का गठन।	संख्याः603/एफ0आर0डी0सी0/ 30–3–2001	15
6.	जिला जलागम समन्वय समिति का गठन ।	संख्याः66/एफ0आर0डी0सी0/ 30–6–2001	16-17
7.	तकनीकी हस्तातंरण एवं जलागम अनुसंधान समिति का गठन।	संख्याः87/एफ0आर0डी0सी0/ 15–9–2001	18-19
8.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उप समिति का गठन।	संख्याः101/एफ0आर0डी0सी0/ 29–10–2001	20-21
9.	एस0जी0आर0वाई0 योजनाओं में जल संरक्षण हेतु 20 प्रतिषत धनराशि का मात्राकरण।	संख्याः 169/एफ0आर0डी0सी0/ 4–5–2002	22
10.	जलागम प्रबन्ध निदेशालय का पुर्नगठन।	संख्याः 203/एफ0आर0डी0सी0/ 15–5–2002	23-29
11.	जलागम प्रबन्ध निदेशालय के कृत्य एवं दायित्व।	संख्याः 101/एफ0आर0डी0सी0/ 24–5–2002	30-33
12.	राज्य जल संरक्षण एवं सम्वृर्दन समिति का गठन।	संख्याः 1172/एफ0आर0डी0सी0/ 7–6–2002	34
13.	राज्य जल संरक्षण एवं सम्वृर्दन समिति का गठन।	संख्याः 1423/एफ0आर0डी0सी0 20–6–2002	35
14.	एस0जी0आर0वाई0 योजनाओं में जल संरक्षण हेतु 20 प्रतिशत धनराशि का मात्राकरण।	संख्याः 925/एफ0आर0डी0सी0/ 8–7–2002	36-37
15.	परियोजना का प्रस्ताव प्रेसण हेतु चैक लिस्ट का निर्धारण।	संख्याः 240/एफ0आर0डी0सी0/ 7–8–2002	38-42
16.	जल संरक्षण हेतु 45 प्रतिशत धनराशि का मात्राकरण।	संख्याः 124/एफ0आर0डी0सी0/ 16–8–2002	43
17.	उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से निर्माण इकाई के रूप में अन्य कार्यो को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।	संख्या–2975/नौ–2–पे0/2002 देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर, 2002	44
18.	सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि को स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 में रखे जाने के सम्बन्ध में।	संख्या 63(5)/कृषि एवं जलागम/ 2003 देहरादूनः दिनांक 06 मई, 2003	45
19.	सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि को स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 में रखे जाने के सम्बन्ध में।	संख्याः /वित्त अनुभाग–3/ 2003–2004 देहरादूनः दिनांक : 30 अप्रैल, 2003	46-47
20.	वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट भाषण हेतु सामग्री।	संख्याः1397/वित्त अनु–1/2003–04 देहरादूनः दिनांक 8 मई, 2003	48
21.	वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट भाषण हेतु सामग्री।	संख्याः32 /कृषि–जलागम/बजट /2003 –2004 देहरादूनः दिनांक 9 मई, 2003	49
22.	वित्तीय वर्ष 2003–2004 में वित्तीय सवीकृतियाँ निर्गत किया जाना।	शासनादेश संख्या 2004/वि0अनु0–1/2003 देहरादून : दिनांक : 30 जून, 2003	50-53

क्र0 सं0	विषय	शासनदेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ
23.	उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के संबंध में	संख्या : 1180/चि–2–2003–437/2002 देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2003	54-61
24.	जलागम प्रबन्ध निदेशालय के कर्तव्य	संख्याः 95/एफ0आर0डी0सी0/ 29–1–2004	62-64
25.	जलागम उप समिति में एम0 एण्ड ई0 ग्राम्य विकास को नामित किया जाना।	संख्याः 186/एफ0आर0डी0सी0/ 9–3–2004	65-66
26.	कार्य संविदा से संबधित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण।	संख्या : 118/ वि0अनु0–5/स्टाम्प/2004 देहरादून दिनॉक : 31 मार्च, 2004	67-68
27.	परियोजना में अधिकारियों /कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु समिति का गठन।	संख्याः 353/कृषि एवं जलागम /08–04–2004	69-77
28.	जलागम योजनाओं में 2004–05 हेतु 4 प्रतिशत धनराशि का आवंटन।	संख्याः09 /एस0जी0आर0वाई/ एफ0आर0डी0सी0/20–4–2004	78-79
29.	प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी।	संख्याः 371/448 (5) कृषि एवं जलागम /21–4–004	80-81
30.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान से सम्बन्धित।	संख्या 8–227/87 एफ0सी0 दिनांक 18 जून 2004	82-83
31.	समन्वय समिति सम्बन्धी।	संख्याः 1161/कृषि एवं जलागम /13–07–2004	84-85
32.	स्टेयरिंग कमेटी का गठन।	संख्याः 700/कृषि एवं जलागम /15–07–2004	86-88
33.	जिला (यू0डी0डब्लयू0डी0पी0) वाटरशैड समिति का गठन।	संख्याः 701/कृषि एवं जलागम /15–07–2004	89-90
34.	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 हेतु पदों का सृजन।	संख्याः 686/483 (5) कृषि एवं जलागम /26–08–2004	91-94
35.	कैचमेंट एरिया ट्रटिमेन्ट प्लान हेतु उच्च स्तरीय एम0 एण्ड ई0 समिति का गठन।	संख्या– 70/7 (व.भू.ह.) – 2004–52 (84)/ दिनांकः 8 नवम्बर, 2004	95-96
36.	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 क्षेत्र का चयन।	संख्याः कृषि एवं जलागम /14–12–2004	97-114
37.	कार्य संविदा से संबधित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशानुपालन में जारी किये गये शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	संख्या : 36/XXVII(5) स्टाम्प/05 देहरादून दिनॉक : 28 जनवरी, 2005	115
38.	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 पदों से सृजन के सम्बन्ध में।	संख्याः 195/13–2(5) कृषि एवं जलागम /30–03–2005	116-121
39.	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 प्रभागों के मुख्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।	संख्याः 284/13–2/116(119) कृषि एवं जलागम/05–4–2005	122-125
40.	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 क्षेत्रान्तर्गत पंचायत सचिवों की व्यवस्था /तैनाती के सम्बन्ध में।	संख्याः 602/12 ग्राम्या विकास 01–08–2005	126
41.	जलागम विकास परियोजना खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।	संख्याः 970-(I)/12/86(53)/ग्राम्य विकास/05–12–2005	127-128
42.	जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति का गठन।	संख्याः 970-(II)/12/86(53)/ग्राम्य विकास/05–12–2005	129
43.	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 के क्रियान्वयन हेतु प्रभागों और मुख्यालय का निर्धारण।	संख्याः 943/13–2/116(119)कृषि एवं जलागम/17–1–2006	130
44.	विषयः विश्व बैंक वित पोषित यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 के अन्तर्गत चयनित ग्राम	संख्या 525/XII /86(53/2006 दिनांक 26 जुलाई, 2006	131

क्र0 सं0	विषय	शासनदेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ
	पंचायतों हेतु जलागम विकास परियोजना खाता खोले जाने के संबन्ध में।		
45	यू0डी0डब्लयू0डी0पी0 के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों हेतु जलागम विकास परियोजना खाता खोले जाने के संबंध में।	संख्या : 525 / XII / 86(53) / 2006 दिनांक 26–07–2006	132-133
46	भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय	591 / 2008 / XIII-II/51(5)/2005 देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2008	134
47	भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय भूमि संसाधन	संख्या : 1216 / XIII-II/51(5)/2005 देहरादून : दिनांक 19 दिसम्बर, 2008	135-139
48	राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के स्पष्टीकरण।	संख्या 27 / xxvii(7) सा0बी0यो0 / 2009 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009	140-141
49	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन, संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।	संख्या 37 / xxvii(7) सा0बी0यो0 / 2009 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009	142-143
50	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों मे संशोधन।	संख्या 39 / xxvii(7) सा0बी0यो0 / 2009 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009	144-145
51	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन	संख्या 42 / xxvii(7) सा0बी0यो0 / 2009 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009	146-147
52	(SLNA) को तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु	संख्या : 42 / XIII-II/51(5)/2005 देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2009	148-151
53	(DWDU) के गठन तथा उसके कार्यो के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के क्रम में	संख्या : 101 / XIII-II/51(5)/2005 देहरादून : दिनांक 22 जून, 2009	152
54	वित्तीय वर्ष 2009–10 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।	संख्या / XXXVII (i) / 2009 देहरादून, दिनांक 28 जुलाई, 2009	153
55	विभागीय वित्त अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली त्रैमासिक रिर्पोट (मार्च 2009 तथा जून 2009)।	संख्या 111 / XXXVII (8) / 2009 देहरादूनः दिनांकः 22 सितम्बर, 2009	158-159
56	राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्चचारियों को वित्तीय प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।	सख्या– 73 / XXVII (9) 2009 देहरादून : दिनांक : 29 जुलाई, 2009।	160
57	राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मियों को वित्तीय प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।	पत्रं सख्या– 73 / XXVII (9) 2009 देहरादून दिनांक : 29 जुलाई, 2009।	161
58	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 के प्रस्तर 417 में निर्धारित प्रपत्र संख्या–43ए को पुनरीक्षित किया जाना।	संख्याः 520 / XXVII (1) / 2009 देहरादून : दिनांक : 29 जुलाई 2009।	162-164
59	भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्ग	संख्या : 218 / XIII-II/51(5)/2005 देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2009	165
60	वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किये जाने के सम्बन्ध में।	3408 / ? –2–2009–12(9) / 2006 टी0सी0 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2009	166-169

क्र0 सं0	विषय	शासनदेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ
61	उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2007	संख्या /XIII-III /525(5)/2004 देहरादून दिनांक : 10–12–2009	170-182
62	उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 2009	संख्या 263/XIII-II/411(5)/2003 देहरादून दिनांक : 10–12–2009	183-211
63	भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजना के सम्बन्ध में	संख्या : 230/XIII-II/51(5)/2005 देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2010	212
64	भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गद सिद्वान्त	संख्या : 44/XIII-II/36(5)/2009 देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2010	213-214
65	भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गद सिद्वान्त	संख्या : 23/XIII-II/36(5)/2009 देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2010	215-216
66	भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गदर्शी सिद्वान्त 2008 के अनुपालन में।	संख्या 23/XIII-II/36 (5)/2009 देहरादूनः दिनांकः 23 फरवरी, 2010.04.19	217-218
67	भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गद सिद्वान्त	संख्या : 44/XIII-II/36(5)/2009 देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2010	219-220
68	प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बनाये जाने हेतु प्रभावी दिशा–निर्देश।	संख्या–139/XXVII(1)/2010 दिनांक 05 मार्च 2010	221
69	वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट के उपयोग हेतु आहरण वितरण कार्य दिनांक 31.03..2010 में ही पूर्ण किया जाना है।	संख्या–139/XXVII (1)/2010 दिनांक 05 मार्च 2010	222-223
70	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।	संख्याः872XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08/3/2011	224-232
71	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था। संलग्नक–1	872/XXVII (7)/2011, दिनांक 08/3/2011	233-234
72	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था। संलग्नक–2	872/XXVII (7)/2011, दिनांक 08/3/2011	235
73	डी0डब्ल्यू0पी0एम0यू0 के नियम नियमावली अनुमोदन के संबंध में।	संख्या 260/XIII-II/36 (5)/2009 देहरादून : दिनांक : 18 मार्च, 2010	236
74	केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित ''जल एवं जलागम प्रबंधन समिति'' के खाते के संचालन के संबंध में।	संख्या XII/1186(53) /2005 दिनांक 25 अगस्त, 2011	237
75	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में	संख्याः 172/XIII-II/2011-51(5)/2005 देहरादून : दिनांक : 02 सितम्बर 2011	238-239
76	Water User विभाग की जनपद स्तर पर समिति गठित करने के सम्बन्ध में	संख्या–220/XXVI/ एक (11)/2011 देहरादूनः दिनांक 19 दिसम्बर, 2011	240
77	समूह 'ग' एवं 'घ' के अधिसंख्य पदों की स्वीकृति	संख्या 29/XIII-(II)/09(07)/2011 देहरादूनः दिनांक 29 फरवरी, 2012	241-242

कम संख्या	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
78	राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन स्कीम (एस0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	पत्रांक 313 / XXVii(7) 40(iX)/ 2011 दिनांक 30 अक्टूबर 2012	243—246
79	राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन स्कीम (एस0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	पत्रांक 314 / XXVii(7)40(iX)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर 2012	247—249
80	राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन स्कीम (एस0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	पत्रांक 589 / XXVii(7)40(iX)/दिनांक 11 सितम्बर 2013	250—256
81	वेतन समिति, उत्तराखण्ड 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2008 से पुनरीक्षित वेतन—संरचना की स्वीकृति एवं वेन—निर्धारण।	सं0679 / XXVII(7)30(iX)/2011 दिनांक 10 जुलाई 2012	257—259
82	रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये एस्योर्ड कैरियर प्रोगेशन स्कीम (एस0सी0पी0) में सशोंधन।	सं0 770 / XXVII(7)30(iX)/ 2011 दिनांक 06 नवम्बर 2013	260—261
83	पुनरीक्षित वेतन—संरचना में रू0 4800 या उससे कम ग्रेड वेतन पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01.11.2013 से वैयक्तिक रूप में प्रोन्नतीय	सं0 26 / XXVII(7)30(iX)/ 2011 टी0सी0 दिनांक 25 फरवरी 2014	262—263

	वेतनमान अथवा अगले वेतनमान (यथास्थिति) की संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।		
84	राज्य कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 154 / XXX(2)/2015-55/ 2002 दिनांक 16 अप्रैल 2015	264–265
85	विश्व बैंक पोषित यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 ग्राम्या की समाप्ति के उपरान्त सृजित परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रखरखाव के सम्बन्ध में।	सं0 154 / XXX(2)/2015-55/ 2002 दिनांक 16 अप्रैल 2015	266–267
86	सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पंचायति राज्य एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारियों को नामित करना।	सं0–251 (1) / XIII (II) / 2011–31 (05) / 2011 / दिनांक 8 दिसम्बर 2011	268.269
87	उत्तर प्रदेश कारखाना नियम 1950 में संशोधन की स्वीकृति।	631 (1) / VIII / 16–04 (विविध) / 2015 टी0सी0 दिनांक 19.05.2016	270–274
88	श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों का जलागम विभाग में प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानांतरण पर लिये जाने सम्बन्धी समिति का गठन।	499 / ज0प्र0अनु0 / 2016–43(05) / 2016 दिनांक 02.09.2016	275
89	उत्तराखण्ड भवन और अन्य ... निर्माण कार्यकार नियम 2005 में सशोंधन हेतु नियमावली	1304 (1) / VIII / 16–680(श्रम) टी0सी0 / 2002 दिनांक 06.10.2016	276–287
90	वेतन समिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बड़ी दरों पर	214 / 52 / XXVII(10) / दिनांक 14.10. 2016	288

	पारिवारिक पेंशन भुगतान विषयक		
91	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2015 तथा संशोधन नियम 2016 को राज्य में लागू करने के सम्बन्ध में	1384 /XVII-4/2016–243 (स0क0)/2002 टी0सी0 दिनांक 27.12.2016	289–312
92	राज्य सरकार के अधिन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी	उत्तराखण्ड शासन (वित्त वे0ओ0सा0नि0) अनुभाग–7संख्या 290/ XXVII(7)/ 50(16) दिनांक 28.12.2016 उत्तराखण्ड शासन वित वेतन आयोग सा0नि0 अनुभाग 7 संख्या 290/ XXVII(7)/ 50(16) दिनांक 30. 12.2016	313–331
93	कार्यालय आदेश	पत्रांक 2723/11–7(8) दिनांक 19 मार्च 2018	332
94	पुननियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमान्यता के सम्बन्ध में।	संख्या 41/ XXVII(7)50(4) दिनांक 12.09.2017	333–334
95	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक हस्तांतरण विधेयक 2017	संख्या 105/ 2018-52(5)50/2015 दिनांक 08.02. 2018	335–356

परिशिष्ट–1

उत्तरांचल शासन
देहरादून।

संख्या– 182 /दिनांक 18–1–2001

कार्यालय ज्ञाप

वाह्य सहायतित जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के सफल नियोजन एवं किंयान्वयन हेतु जनपद स्तर पर रेखा विभागों की विभिन्न योजनाओं से समन्वय स्थापित करने, तकनीकी इनपुट देने तथा स्थानीय जन सहयोग की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य के प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के प्रत्येक जंनपद में जलागम प्रबन्ध परियोजना की एक तकनीकी समिति ''प्रोजेक्ट टेक्निकल कमेटी'' (Project Technical Committee) गठित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है। प्रत्येक जनपद में गठित तकनीकी समिति मे सदस्य निम्नानुसार होंगे।

1–	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के विधान सदस्य तथा विधान परिषद सदस्य	सदस्य
3–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र मे ब्लाक प्रमुख	सदस्य
4–	सम्बन्धित जिले के परियोजना निदेशक (ग्राम्य विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0)	सदस्य
5–	सम्बन्धित जिले के कृषि अधिकारी	सदस्य
6–	सम्बन्धित जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7–	सम्बन्धित जिले के उधान अधिकारी	सदस्य
8–	सम्बन्धित जिले के भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
9–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई)	सदस्य
10–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग)	सदस्य
11–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
12–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी (भूमि संरक्षण/सिविल एवं सोयम वन प्रभाग)	सदस्य
13–	सम्बन्धित जिले के परियोजना अधिकारी, वैकल्पिक उर्जा	सदस्य
14–	परियोजना क्षेत्र के सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं के एक प्रतिनिधि	आंमत्रित सदस्य
15–	परियोजना क्षेत्र के उप जलागम से पंचायत क्षेत्र का एक सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित)	आंमत्रित सदस्य
16–	परियोजना क्षेत्र के उप जलागम क्षेत्र की महिला सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित)	आंमत्रित सदस्य
17–	जलागम प्रबन्ध परियोजना के उप परियोजना निदेशक	सदस्य/ सचिव

आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी /विशषज्ञ को भी जिलाधिकारी /अध्यक्ष तकनीकी समिति द्वारा इस समिति में आंमत्रित किया जा सकता है।

परियोजना द्वारा तकनीकी समिति के कार्यक्षेत्र /अधिकार निम्नलिखित होंगे–

1. पी0आर0ए0 द्वारा तैयार ''ग्राम स्तरीय योजनाओं'' की जानकारी लेना।
2. ''ग्राम स्तरीय योजनाओं'' मे उल्लिखित परियोजनाओं की मदों के अतिरिक्त अन्य प्राथमिकता वाली मदों को रेखा विभागों की जिला योजना मे सम्मिलित करने को प्राथमिकता देना।
3. जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई दृष्टिगत होने पर उप परियोजना निदेशक के समुचित तकनीकी एवं अन्य आवश्यक इनपुट प्रदान करना तथा आवश्यक होने पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को संदर्भित करना।
4. वार्षिक कार्ययोजना में आवश्यक तकनीकी सुझावों का समन्वयन करना।

उक्त समिति तीन माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार इससे अधिक बार बैठक करेगी। बैठक यथासम्भव परियोजना क्षेत्र में होगी।

समिति के गैर सहकारी सदस्य/सदस्यों को रेल/ बस/टैक्सी का वास्तविक किराया व्यय प्रमाणंक प्रस्तुत करने पर जलागम प्रबन्ध परियोजना के अधिष्ठान से देय होगा। अन्य सदस्य/विशेष आंमत्रित सदस्य अपने अधिष्ठान से यात्रा व्यय प्राप्त करेंगें।

(आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं
ग्राम्य विकास साखा, उत्तरांचल शासन
देहरादून।

संख्या– 182/ (1) दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून, उ0प्र0।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूॅ।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल क्षेत्र।
4. समस्त सदस्य प्रोजेक्ट टेक्निकल कमेटी।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल।

(आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं
ग्राम्य विकास साखा, उत्तरांचल शासन
देहरादून।

Forests & Rural Development Commissioner Branch
(Watershed Development)
No. 449 /So FRDC/ Watershed/ 16.3.2001

From: Dr.R.S. Tolia
Principal Secretary & Commissioner
Forests & Rural Development

To: Shri B.P. Pandey
Secretary, Watershed Development & Agriculture

Subject: Inter-Departmental Coordination Task Force for Coordination, Monitoring & Project Preparation on Watershed Development

1- On 15 March 2001 I attended the 5th Meeting of the project Sanctioning Committee of the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development in this meeting New Projects for pithoragarh costing Rs.482.12 lakhs. Chamoli for Rs. 410.92 lakhs. Rudraprayag Rs. 462.84 lakhs. and Tehri Garhwal for Rs. 499.62 lakhs were considered and cleared with certain conditions. The committee cleared release of First instalments, respectively amounting to Rs. 72.59, Rs 61.63 and Rs. 69.42 and Rs 74.94 were cleared. These are sanctions are likely to be cleared during this financial year itself. These are presently 100 grant ases but are likely to be reverted to the usual 75.25 assistance mode followed by all other centrally sponsored schemes. The Agenda notes of this meeting are appended and follow up action has to be mounted at onc (Annexure. 1)It occurs to me that we have not taken the trouble to access funds, which could be sizeable if small efforts are made to prepare a shelf of project, in advance, in a systematic manner. There also seems to be ample room for accessing considerable amounts of funds from this Department/ Ministry. Accordingly the following arrangements for their coordination, Monitoring and Project preparation are made which will be acted upon at once.

COORDINATION, MONITORING & PROJECT PREPARATION

2- A Coordination, Monitoring and project preparation Task Force (CMPPTF) is hereby constituted, with immediate effect, as follows.

Secretary, Watershed & Ag & CPD, IWDP	Chairperson
Project Director, IWDP, Shivalik	Member
Additional Director Agriculture	Member
Chief conservator Forests RVP	Member
Staff Officer, FRDC & Jt Secy (Watershed)	Member
Additional Secretary (Forests & i/c Land Survey Directorate	Member – Secy

3- This Task Force will be responsible to coordinate all works relating to all watershed Development Projects, irrespective of source of funding / assistance.

4- The office of the task force will be located in the resent Land survey Directorate and all the facilities which exist in that office will be placed at its disposal.
5- All Members and Departments within the Forests and Rural Development Commissioner will immediately report the status of all watershed Development projects which have been sanctioned in the past, presently under execution and or presently under consideration of any funding Agency. Ministry or department within Uttarakhand Government or the Central Government. This information shall be provided in the format prescribed by the Annexure:1. The committee shall be free to prescribe any other of additional format for reporting, monitoring or project preparation as the case May be.
6- The office of this Task force will require to be strengthened considerably and this strengthening shall be undertaken by pooling of resources which are being received from the various funding sources. However a separate account shall be kept to account for this pooling from various sources. Additional man power, which apparently be required, will also be pooled from the participating departments, ensuring that only the best talents available in the participating department are used for the purpose. The Chairman of the committee will ensure this and secure FRDC s assistance, wherever required.
7- The First job of the Task Force will be to immediately prepare a STATUS PAPER on all the watershed project which have ever been sanctioned in Uttaranchal Presently under execution and proposed for funding. This will be done Department-wise, further broken-down into district. Watershed, Micro-watershed wise, for each and every Department. This STATUS PAPER, accompanied with suitable Maps of the watershed where the projects have been undertaken are under execution, will also simultaneously highlight the gaps which exist within Uttarakhand Districts, Blocks and Micro Watershed, for posing to the various funding agencies / Ministries.
8- This STATUS PAPER will be got prepaid positively by 31.3.2001 and all necessary information required to do so will be secured through a letter to be issued. under signature of principal secretary & Commissioner, Forests & Rural Development.
9- All original sanction orders will be kept at the respective offices of the participating departments but the Task Force office shall maintain a copy of each sanction order, arranged District, Watershed and Micro watershed-wise. A copy each of the project submitted by the various executing departments and which have been sanctioned shall also be kept at the Task Force Office. This will be responsibility of the executing agency / department .
10- The main task of the Task Force will be to immediately set in motion the task of preparing a shelf of projects for each district, following the Guidelines of the various funding agencies. These Guidelines have to be maintained at the Task Force office and before submitting any project on watershed Development to any funding agency, henceforth it would be mandatory for all executing agency to obtain a prior written clearance from this Task Force on Watershed Management Projects. The Task Force, constituted by this Circular, shall also function as the Task Force for clearing Watershed Projects in Uttarakhand.
11- The Ministers and CAPART are also encouraging participation of NGOs in such projects. The Task Force shall extend all possible help to the NGOs who have necessary competence to prepare and execute Watershed Projects and also those who intend to enter this field. It would also be mandatory for all NGOs to obtain Task Force Clearance as is the case for all departments. This is to cross check that no watershed receives more than one project and to

ensure that only competent NGOs are sanctioned such projects. It is necessary to mention that the Ministries insist on the State Government to certify that these conditions have been met by the applicant NGOs.

12- The establishment of the Task Force is also to facilitate the work of the applicant NGOs as they very often have to spend considerable time and money in securing basic informations about the micro watersheds on which they want to work.

STATE COMMITTEE ON WATERSHED MANAGEMENT:

13. To overseas and assist the Task Force in its basic objective of quality work in watershed Development and preparation of a shelf of projects for each and every district, fixation of priority at the state level so that uniform assistance and fund flow in ensured for this extremely important programme a state Committee on Watershed Management in also constituted, as under.

14- The SCWM will consist of the following

Principal Secretary and Commissioner Forest & Rural Development	Chairperson
Secretary, Watershed & Ag CPD, IWDP	Member Secy
Secretary, Forests	Member
Additional Secretary, Agriculture	Member
Additional Secretary, Rural Development	Member
Additional Secretary, Horticulture	Member
Nominated Representative of NGOs.	Member

The SCWM shall meet at least once in three months. It will be responsible for the over all policy, guidance review and monitoring of the work related to Watershed Management and Development in the state.

15- The SCWM will specifically be charged with the responsibility of suggesting ways of mainstreaming watershed management in all development works, increasing involvement of Gram Panchayats and other levels of PRLs into Watershed Management, Coordination amongst various watershed projects and the village level institutions which have been created. From 2001 onwards a clear relationship has to be developed between the various watershed projects on the one hand and Swanajanti Gamin Swarojgar.

441 /So FRDC/ Watershed / 163.2001

Cc es: All Member of the Task Force
All Member of the SCWM
Staff Officer FRDC & Joint Secy (Watershed) to ensure that the Task Force and the SCWM Conunences work immediately.
All District Magistrates
All Chief Development Officers
All Heads of Department/ Additional heads of Department, FRDC Branch
All Section Officers: FRDC Branch

(R.S. TOLIA)
Principal Secretary & Commissioner
Forests & Rural Development

परिशिष्ट–3

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त
जलागम विकास

संख्या 45/ एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/जलागम
देहरादून दिनांक मार्च 17, 2001

कार्यालय ज्ञाप

जलागम विकास परियोजना में समन्य, अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए अन्तर विभागीय टास्कफोर्स के गठन विषय पर मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि जलागम विकास हेतु चालू पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार के स्तर पर पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया गया है। अतः केन्द्र सहायतित परियोजना के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में जलागम को काफी गति प्रदान की जा सकती है।

2. वर्तमान में जलागम विकास का कार्य प्रदेश में विभिन्न विभागों किया जा रहा है जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, भूमि एवं जल संरक्षण, ग्राम्य विकास एवं वन विभाग सम्मिलित है किन्तु वर्तमान मे विभागों मे राज्य स्तर पर समन्वय का अभाव है। अतः सभी सम्बन्धित विभागों मे घनिष्ट समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक अन्तर विभागीय टास्क फोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

(1) सचिव जलागम एवं कृषि /मुख्य परियोजना निदेशक आई0डब्ल्यू0डी0पी0	अध्यक्ष
(2) परियोजना निदेशक आई0डब्ल्यू0डी0पी0 शिवालिक	सदस्य
(3) अपर कृषि निदेशक	सदस्य
(4) मुख्य वन संरक्षक आर0वी0पी0	सदस्य
(5) स्टाफ आफिसर एफ0आर0डी0सी0 संयुक्त सचिव (जलागम)	सदस्य
(6) अपर सचिव वन/प्रभारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय	सदस्य सचिव

3. उपरोक्त टास्क फोर्स का मुख्य कर्तव्य प्रदेश मे संचालित जलागम विकास से संबधित सभी परियोजनाओं जो चाहे किसी भी स्रोत से वित्त पोषित की जा रही हो, में आवश्यक सम्न्वय स्थापित करना होगा, इस टास्क फोर्स का कार्यालय भूमि सर्वेक्षण निदेशालय में स्थापित किया जायेगा और इस कार्यालय क संचालन हेतु सभी विभागों से प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों की पुलिंग की जायेगी।

4. इस टास्क फोर्स द्वारा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के अर्न्तगत सम्मिलित सभी विभागों द्वारा अब तक संचालित एवं वर्तमान में संचालित सभी जलागम विकास परियोजना के सम्बन्ध में जनपदवार वाटरशेडवार माइक्रोशेडवार सूचना मानचित्र के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जायेगी एवं साथ ही साथ यह भी इंगिरा किया जायेगा कि वर्तमान मे कहां गेप्स अवस्थित है। इस प्रकार वर्तमान मे प्रदेश मे जलागम विकास परियोजनाओ के सम्बन्ध में इस स्टेटस पेपर को बनाने का कार्य दिनांक 31 मार्च 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में किसी भी विभाग द्वारा जलागम विकास से संबध में कोई भी परियोजना बिना इस टास्क फोर्स की सहमति के वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रेषित नहीं की जायेगी।

6. केन्द्र सरकार स्तर पर गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी जलागम विकास हेतु कार्यदायी संस्थाओं के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। अतः यह उचित होगा कि इस टास्क फोर्स द्वारा ऐसे गैर सरकारी

स्वैच्छिक संस्थाओं को भी जो जलागम विकास की परियोजना का कार्य कर रहे हों, उन्हें परियोजना को तैयार करने में यथा आवश्यक मदद की जाय एवं उन्हें वाछित सभी सूचनायें उपलब्ध करा दी जॉय। साथ ही गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषण हेतु भेजने से पूर्व टास्क फोर्स से सहमति प्राप्त कर लेवें।

उक्त टास्क फोर्स के कार्यो मे गति प्रदान करने एवं उसे मार्ग दर्शन हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार एक राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति का गठन किया जाता हैः–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2. सचिव वन	सदस्य
3. अपर सचिव कृषि	सदस्य
4. अपर सचिव ग्राम्य विकास	सदस्य
5. अपर सचिव उद्यान	सदस्य
6. गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओ ंके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7. सचिव कृषि एवं जलागम/ मुख्य परियोजना निदेशक आई0डब्ल्यू0डी0पी0	सदस्य सचिव

उक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में एक बार बैठक करेगी एवं प्रदेश मे जलागम विकास के संबन्ध में नीति निर्धारण एवं जलागम विकास के कार्यो की समीक्षा का कार्य करेगी, इस समिति का मुख्य दायित्व यह होगा कि जलागम विकास हेतु ऐसी नीति निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिसमें सभी संबधित विभागों के समन्वय के साथ–साथ ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भी अधिकारिक भागेदारी सुनिश्चित की जा सके।

इसके साथ–साथ राज्य में जलागम विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे स्वरोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यो का भी केन्द्राभिमुखीकरण (Convergence) आवश्यक है। राज्य स्तरीय जलागम विकास समिति यह भी सुनिश्चित करगी कि जलागम विकास की परियोजनाओं के साथ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित कार्यक्रमों की किस प्रकार डवटेलिग की जा सकती है। एवं तद्नुसार आय–व्यय में यथा आवश्यक राज्यांश का प्रावधान भी करा दिया जाय, जिससे प्रदेश में जलागम विकास हेतु अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्रदेश को प्राप्त हो सके।

(आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं
ग्राम्य विकास साखा, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

संख्या 45 (1) एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/जलागम तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त सदस्य टास्क फोर्स
2. समस्त सदस्य राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति
3. समस्त विभागाध्यक्ष/अपर निदेशक एवं ग्राम साखा
4. समस्त जिलाधिकारी
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
6. स्टाफ आफिसर वन एवं ग्राम आयुक्त शाखा।

आज्ञा से

(बी0पी0 पाण्डे)
सचिव

परिशिष्ट–4

संख्या 148 देहरादून दिनांक : मार्च 27 2001

उत्तरांचल शासन

कार्यालय ज्ञाप

समेकित जलागम प्रबन्ध परियोजना के संचालन के लिए प्राधिकृत के गठन के संदर्भ में य निर्णय लिया गया है। कि जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के सुगम संचालन हेतु एक प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) गठित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं इस प्राधिकृत समिति के निम्न सदस्य होंगे।

1. प्रमुख सचिव/आयुक्त अध्यक्ष
   वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन
2. सचिव
   वित्त विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य
3. सचिव
   वन विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य
4. सचिव
   कृषि विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य
5. सचिव
   पशुपालन विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य
6. सचिव
   उद्यान विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य
7. सचिव
   लघु सिचाई विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य

8-ई0ई0सी0 द्वारा नामित प्रतिनिधि विशेष आंमत्रीत सदस्य

9. विश्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि ....
10. कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामिति प्रतिनिधि ....
11. परियोजना निदेशक दूनवैली एवं आई0डब्ल्यू0डी0पी0 सदस्य
    शिवालिक (हिल्स–11), उत्तरांचल
12. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय सदस्य/ सचिव

उत्तरांचल , देहरादून

2. प्राधिकृत समिति परियोजना के कार्य कलापों पर विचार करने हेतु प्रत्येक वर्ष में 3 माह की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगी। बैठक मे कम से कम तीन व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) प्राधिकृत समिति किसी भी व्यक्ति जो कि अपने पद के कारण समिति के सदस्य का पद धारण करता हो, की अनुपस्थिति में भी कार्य करेगी।

3. प्राधिकृत समिति के अधिकार

प्राधिकृत समिति के कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होगें प्राधिकृत समिति स्वयं अपने स्तर के कार्यो के सम्यक रूप से सम्पादन हेतु प्रतिबंध /उपलब्ध निर्धारित कर सकती है।

(1) जलागम प्रबन्ध परियोजना की वर्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करना तथा सदस्य /सचिव की संस्तुति के आधार पर समय–समय पर संशोधन करना व एतद्द्वारा उपरोक्त संशोधन सहित कार्य योजना को अनुमोदित करना।

(2) अनुदान एवं ग्रान्ट की ऐसी शर्तो के अर्न्तगत स्वीकार करना, जिन्हें वह उचित समझती हो।

(3) जलागम प्रबंध परियोजना में पदो ंके सृजन सेवा स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति या सीधी भरे जाने वाले पर विचार करना।

(4) सदस्य /सचिव तथा अन्य किसी अधिकारी को अधिकारों का प्रतिनिधायन करना,

(5) कार्या के सम्पादन के लिये समिति अथवा उप समिति नियुक्त करना उसे विलुप्त करना।

(6) परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भी अन्य ऐसा कार्य करना जो कि कथित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो, प्रतिबन्ध यह होगा कि समिति ऐसे विषयों पर शासन में उन विभागों को संदर्भित करेगी जनसे कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हों, यदि कोई विषय उनकी शर्तो से संबंधित हो।

(7) समिति को परियोजना के कार्यो पर पूर्ण वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण होगा।

(8) परियोजना के पदो ंके सृजन सेवा स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति पर या सीधे भरे जाने पर विचार कर परियोजना के लिए पदों की संख्या पर अपनी संस्तुति वित्त विभाग को प्रेषित करेगी।

प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही :

(1) प्रमुख सचिव /आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन समिति के अध्यक्ष होंगे व समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगें।

(2) समिति की किसी बैठक से पूर्व प्रत्येक सदस्य का कम से कम 10 (दस) दिन से पूर्व सूचना दी जायेगी।

(3) अध्यक्ष स्वंय बैठक आहूत करने में सक्षम है। वशर्ते कि इस प्रकार बैठक बुलाये जाने के संबंध मे कोई मांग पत्र प्राप्त हो जो कि सदस्यों द्वारा अथावा सदस्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(4) प्राधिकृत समिति का व्यवसाय लिखित प्रस्ताव द्वारा जो कि समस्त सदस्यो ंके संज्ञान में पूर्व में लाया गया हो, अथवा परिचालित हो, द्वारा भी किया जायेगा।

(5) वर्ष मे किये गये कार्यो के विषय में एक वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकृम समिति द्वारा राज्य सरकार, भारत सरकार एवं वाहय पोषित संस्था व समिति के सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक रिपोर्ट में आय–व्यय का विवरण तथा आडिट लेखा का उल्लेख भी होगा।

(6) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा पत्रावलि 275/जलागम 2001 पर व्यक्त सहमति के उपरांत जारी किये जा रहे है।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त

संख्या : 148/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव/ आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
3. सचिव वित्त विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
4. सचिव वन विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।

5. सचिव कृषि विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
6. सचिव पशुपालन विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
7. सचिव उद्यान विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
8. सचिव लघु सिचाई विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।

आज्ञा से

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं
ग्राम्य विकास साखा,

परिशिष्ट–5

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

संख्या 603 दिनांक 30–3–2001

कार्यालय ज्ञाप

समेकित जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के सुगम संचालन हेतु वन एवं ग्राम्य विकास शाखा के कार्यालय ज्ञाप संख्या 148 दिनांक 27 मार्च 2001 द्वारा गठित प्राधिकृत समिति में सचिव, जलागम प्रबन्ध उत्तरांचल शासन को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त

संख्या : 603/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव/ आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव वित्त विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
3. सचिव वन विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
4. सचिव कृषि विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
5. सचिव पशुपालन विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
6. सचिव उद्यान विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
7. सचिव लघु सिचाई विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या–66 जलागम / 200 / दिनांक 30–6–2001

'कार्यालय ज्ञाप''

उत्तरांचल शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा के कार्यालय ज्ञाप संख्या–182 / दिनांक 18–1–2001 द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजना तकनीकी समिति (प्रोजेक्ट टैक्नीकल कमेटी) का गठन किया गया है। इस कार्यालय ज्ञाप का आंशिक संशोंधन करते हुये वाह्य सहायतित जलागम प्रबन्ध परियोजनओं के सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर रेखा विभागों की विभिन्न योजनाओं से समन्वय स्थापित करने, तकनीकी इनपुट देने तथा स्थानीय जन सहयोग की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में जलागम प्रबन्ध परियोजना की एक समन्वयकः समिति ''जिला स्तरीय जलागम समन्वयक समिति'' (District Watershed Coordination Committee) गठित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है। वाह्य सहायतित जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रत्येक जनपद में गठित जनपद स्तरीय समन्वयन समिति में सदस्य निम्नानुसार होंगे–

1–	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के विधान सभा सदस्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
3–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र मे ब्लाक प्रमुख	सदस्य
4–	सम्बन्धित जिले के परियोजना निदेशक (ग्राम्य विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0)	सदस्य
5–	सम्बन्धित जिले के कृषि अधिकारी	सदस्य
6–	सम्बन्धित जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7–	सम्बन्धित जिले के उधान अधिकारी	सदस्य
8–	सम्बन्धित जिले के भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
9–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई)	सदस्य
10–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग)	सदस्य
11–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
12–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी (भूमि संरक्षण / सिविल एवं सोयम वन प्रभाग)	सदस्य
13–	सम्बन्धित जिले के परियोजना अधिकारी, वैकल्पिक उर्जा	सदस्य
14–	परियोजना क्षेत्र के सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं के एक प्रतिनिधि	आंमत्रित सदस्य
15–	परियोजना क्षेत्र के उप जलागम से पंचायत क्षेत्र का एक सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित)	आंमत्रित सदस्य
16–	परियोजना क्षेत्र के उप जलागम से एक महिला सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित)	आंमत्रित सदस्य
17–	जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित गरिमा / कोरिमा के चार सदस्य (रोस्टर प्रणाली से अध्यक्ष द्वारा नामित)	आंमत्रित सदस्य
18–	जलागम प्रबन्ध परियोजना के उप परियोजना निदेशक	सदस्य / सचिव

आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी/विशेषज्ञ को भी अध्यक्ष, जिला समन्वयन द्वारा इस समिति में आमन्त्रित किया जा सकता है।

परियोजना द्वारा उक्त समन्वयन समिति के कार्यक्षेत्र /अधिकार निम्नलिखित होंगे–

1. पी0आर0ए0 द्वारा तैयार ''ग्राम स्तरीय योजनाओं'' की जानकारी लेना।
2. ग्राम स्तरीय योजनाओं में उल्लिखित परियोजनाओं की मदों के अतिरिक्त अन्य प्राथमिकता वाले मदों को रेखा विभागों की जिला योजना में सम्मिलित करने को प्राथमिकता देना।
3. जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई दृष्टिगत होने पर उप परियोजना निदेशक को समुचित तकनीकी एवं अन्य आवश्यक इनपुट प्रदान करना तथा आवश्यक होने पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को संदर्भित करना।
4. वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक तकनीकी सुझाओं का समन्वय करना।

उक्त समिति तीन माह में एक बार एवं आवश्कतानुसार इससे अधिक बार बैठक करेगी। बैठक यथासम्भव परियोजना क्षेत्र में होगी।

समिति के गैर सरकारी सदस्य/सदस्यों के रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर जलागम प्रबन्ध परियोजना के अधिष्ठान से देय होगा। अन्य सदस्य/ विशष आंमत्रित सदस्य अपने अधिष्ठान से यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास साखा,आयुक्त शाखा
उत्तरांचल शासन देहरादून।

पत्रांक– / दिनांकितं

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 .मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ।
2 मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
3 समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4 समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल ।
5 समस्त सदस्य जिला स्तरीय जलागम समन्वयक समीति।
6 महालेखाकार, उत्तरांचल ।

आज्ञा से

(वी0पी0 पाण्डेय)
सचिव
कृषि एवं जलागम प्रबन्ध
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

परिशिष्ट–7

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या–87 जलागम/2001/
देहरादून दिनांक 15–9–2001

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तरांचल राज्य में जलागम प्रबन्ध योजनाओं को आधुनिकतम तकनीकी अनुसंधान से जोड़ने के उद्देश्य से दि0 20–7–2001 से 22–7–2001 तक देहरादून में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की संस्तुतियों के आधार पर यह अनुभव किया गया है कि तकनीकी अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों का समाहित करते हुये ही विभिन्न क्षेत्रों हेतु जलागम प्रबन्ध विकास योजनायें तैयार की जांय। इन योजनाओं में तकनीकी इनपुट डालने एंव नये अनुसंधानों से प्राप्त नवीनतम तथ्यों की उपलब्धता हेतु एक राज्य स्तरीय जलागम तकनीकी हस्तांतरण एवं अनुसंधान समिति (Technology Transfer and Rescarch Commettee of Watershed) गठित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार होगा।

1–	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं गाम्य विकास–	अध्यक्ष
2–	सचिव जलागम	उपाध्यक्ष
3–	मुख्य परियोजना निदेशक	सदस्य/सचिव
4–	प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल नैनीताल कैंप देहरादून या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
5–	निदेशक, कृषि विभाग उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6–	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
7–	निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
8–	अधिक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
9–	प्रमुख अभियन्ता, लो0नी0वी0 उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
10–	निदेशक वैकल्पिक उर्जा, उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
11–	निदेशक, रेशम विभाग, उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
12–	कुलपति पन्त नगर, कृषि विश्वविद्यालय (नैनीताल) या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
13–	कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
14–	कुलपति, कुमायूँ विश्व विद्याालय, नैनीताल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
15–	निदेशक गोविन्द बल्लभ पंत पर्यावरण विकास संस्थान कोशी–(कटारमल) या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य

16–	निदेशक विवेकानन्द कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
17–	निदेशक वाडिया इंस्टीट्यट देहरादून, उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
18–	निदेशक जियोलोजिकल सर्वे आफॅ इण्डिया , देहरादून उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
19–	निदेशक, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, पिथौरागढ़ या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
20–	निदेशक वन अनुसंधान , देहरादून उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
21–	निदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
22–	निदेशक सर्वे आफ इण्डिया उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
23–	निदेशक जड़ी बूटी संस्थान उत्तरांचल गोपेश्वर या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
24–	निदेशक केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण संस्थान कौलागढ़ रोड़ , देहरादून उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
25–	समस्त परियोजना निदेशक, जलागम (उत्तरांचल)	सदस्य

उद्देश्यः–

इस समिति का उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित सभी चल रही जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में नवीनतम तकनीकों को सम्मिलित करना तथा आगे आने वाले परियोजनाओं के लिये अनुसंधानों से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध तकनीकों को आधार बनाना होगा। तकनीकी हस्तांतरण एवं अनुसंधान समिति की बैठक छः माह में एक बार होगी।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

पत्रांक– 8791)/जलागम/2001 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास।
2. सचिव, जलागम।
3. मुख्य परियोजना निदेशक।
4. उक्त समिति के समस्त सदस्य।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

परिशिष्ट–8

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं जलागम अनुभाग
संख्या–101 जलागम/2001/
देहरादून दिनांक 29–10–2001

''<u>कार्यालय ज्ञाप</u>''

उत्तरांचल राज्य में जलागम प्रबन्ध की समस्त योजनाओं यथा NWDPRA, DPAP, IWDP, RVFP आदि के प्रभावी अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तरांचल शासन देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–45 दिनांक 17–3–2001 द्वारा गठित राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध समिति को सहयोग देने के उद्देश्य से जलागम प्रबन्ध योजनाओं के ''मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उप समिति'' का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. परियोजना निदेशक,जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून।
2. अपर सचिव कृषि एवं जलागम उत्तरांचल शासन देहरादून।
3. उप परियोजना निदेशक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून।

उक्त उप समिति राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। इसका कार्यालय जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून में होगा। यह समिति जलागम विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा सचिव जलागम को प्रस्तुत करेगी।

प्रगति समीक्षा निम्नलिखित बिन्दुओं पर की जायेगी–

1. भैतिक एंव वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति समीक्षा।
2. कार्यदायी संस्था के पास तकनीकी दक्षता एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों की संख्या का आंकलन तथा उनके द्वारा कार्य करने की प्रणाली का मूल्यांकन।
3. सहभागिता प्रबन्धन का आंकलन–स्वयं सहायता समूह, यर्जस ग्रुप जलागम समिति आदि के गठन तथा उनके कार्यो की गुणवत्ता का मूल्यांकन।
4. क्षमता विकास तथा मानव संसाधन विकास के प्रयास तथा प्रगति समीक्षा।
5. परियोजना कार्यो में पंचायती राज संगठनों की सहभागिता।
6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार को निर्धारित प्रपत्रों में सूचना प्रेषण तथा निरीक्षण नोटों का मूल्यांकन।
7. परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यो का डॉक्यूमेंटेशन तथा विद्ड्राल प्लान।

इस मुख्य बिन्दुओं के अनुश्रवण हेतु सूचना का प्रारूप इस समिति द्वारा बनाकर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन के उपरान्त सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 (जिला स्तरीय जलागम विकास समिति) समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, निदेशक/अपर निदेशक कृषि समस्त वन संरक्षण, प्रभागीय वनाधिकारी को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि वे समस्त जलागम प्रबन्ध/विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में प्रतिमाह 3 ता0 को मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून के कार्यालय में हार्ड एवं सौफ्ट कापी (एम0एस0 आफिस) में प्रस्तुत करेंगें।

उक्त समिति द्वारा यथावश्यकता रथलीय निरीक्षणों के आधार पर भी समीक्षा एवं अनुश्रवण की कार्यवाही की जायेगी।

(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव
कृषि एवं जलागम

<u>पत्रांक– 101(1)/जलागम/2001 दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त सदस्य राज्य स्तरीय जलागम विकास के कार्य समन्वय हेतु अंर्तविभागीय टास्क फोर्स।
2. समस्
3. त सदस्य राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध समिति।
4. समस्त सदस्य मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उप समिति।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/अपर निदेशक वन एवं ग्राम शाखा।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. समस्त मुख्य विकास आधिकारी।
8. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य।
9. समस्त, परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 उत्तरांचल ।
10. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
11. समस्त सचिव, अपर सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तरांचल शासन देहरादून।
12. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन देहरादून।

(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव
कृषि एवं जलागम

परिशिष्ट–12

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्याः 169 / व.ग्रा.वि.शा.स्था. / 2002
देहरादूनः दिनांकः 4 मई,, 2002

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः सम्पूर्ण ग्रामीण रोगजार योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण / नमी संरक्षण के कार्य की योजनाओं में 20 प्रतिशत धनराशि का मात्राकरण।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 866 / व.ग्रा.वि.आ.शा. / 2001 दिनांक 13–12–2001 तथा शासनादेश संख्या 164 / व.ग्रा.वि.शा. / 2002 दिनांक 16–4–2002 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा उक्त कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करते हुए शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था।

उक्त संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंचायतराज की सभी स्तरों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन में यह सुनिश्चित किया जाय कि कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि जल संरक्षण / नमी संरक्षण / जलागम की योजना हेतु उपयोग किया जायेगा। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

परिशिष्ट–9

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं जलागम अनुभाग
संख्या–203 जलागम/कृषि/2002
सचिवालय, देहरादून
देहरादून दिनांक 15–5–2002

''कार्यालय ज्ञाप''

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में जलागम विकास के महत्व को देखते हुए महामहिम श्री राज्यपाल जलागम विभाग को स्थाई स्वरूप प्रदान करते हुये जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पुनर्गठन/संरचना निर्धारण परिशिष्ट–1 के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पुनर्गठित किये गये पदों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	तैनाती का स्रोत
1.	निदेशक	18400-22400	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	16400-20000 अथवा विभागीय सवंर्ग के अनुसार	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
3	अपर निदेशक (नियोजन एवं मूल्यांकन)	16400-20000 अथवा विभागीय सवंर्ग के अनुसार	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
4	अपर निदेशक (तकनीकी)	16400-20000 अथवा विभागीय सवंर्ग के अनुसार	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
5	अपर निदेशक (परियोजना कार्यान्वयन)	16400-20000 अथवा विभागीय सवंर्ग के अनुसार	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
6	संयुक्त निदेशक (कृषि/उद्यान)	12000-16500	2	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
7	उप निदेशक (प्रशासन/प्रशिक्षण)	10000-15200	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
8	वरिष्ट वित्त एवं लेखाधिकारी	10000-15200	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
9	उप निदेशक (नियोजन/प्रालेखन /प्रसार)	10000-15200	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
10	उप निदेशक	10000-15200	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	तैनाती का स्रोत
	(मू0 / अनु0 / जी0आई0एस0 / एम0आई0एस0)			
11	उप निदेशक (वानिकी / पशुपालन)	10000-15200	2	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
12	उप निदेशक (परियोजना)	10000-15200	2	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
13	सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	8000-13500	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
14	सहायक निदेशक (क्षमता विकास / प्रालेख)	8000-13500	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
15	सहायक निदेशक (मूल्यांकन / अनु0)	8000-13500	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
16	सहायक निदेशक (जी0आई0एस0 / एम0आई0एस0 / अर्थ)	8000-13500	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
17	सहायक निदेशक (सिविल इंजि0)	8000-13500	1	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
18	सहायक निदेशक (परियोजना)	8000-13500	2	सेवा स्थानान्तरण द्वारा
19	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	6500-10500	1	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
20	व0प्र0अ0	6500-10500	1	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
21	वैयक्तित सहायक	5500-9000	1	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
22	प्रशासनिक अधिकारी	5500-9000	1	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
23	वनक्षेत्राधिकारी	5500-9000	4	सेवा स्थानान्तरणर द्वारा
24	सांख्यिकी सहायक	5000-8000	7	सेवा स्थानान्तरणर द्वारा
25	कार्यालय अधिक्षक	5000-8000	3	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
26	लेखाकार	5000-8000	4	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
27	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5000-8000	1	संवेदा पर
28	जी0आई0एस0 तकनीशियन	5000-8000	1	संवेदा पर
29	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि / उद्यान / पशुपालन)	5000-8000	9	सेवा स्थानान्तरणर द्वारा
30	वरिष्ठ सहायक / भंडार प्रभारी	4500-7000	4	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
31	सर्वेयर	4500-7000	2	W.M.D. के नियमित

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	तैनाती का स्रोत
				कर्मचारियों से।
32	अवर अभियंता सिविल	4500-7000	3	सेवा स्थानान्तरणर द्वारा
33	सहायक विकास अधिकारी (कृषि /उद्यान/ पशुधन)	4500-7000	8	सेवा स्थानान्तरणर द्वारा
34	आशुलिपिक	4000-6000	5	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
35	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	22	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
36	मानचित्रकार	4000-6000	4	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
37	उप वन राजिक	4000-6000	4	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से /स्थानान्तरण द्वारा।
38	पशुधन प्रसार अधिकारी	4000-6000	4	सेवा स्थानान्तरणर द्वारा
39	सहायक लेखाकार	4000-6000	8	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
40	कनिष्ट लिपिक /भंडार सहायक सहायक	3050-4590	32	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
41	वन दरोगा	3050-4590	8	W.M.D. के नियमित कर्मचारियों से।
42	वाहन चालक	3050-4590	30	--"--
43	ट्रेसर	2750-4400	4	--"--
44	वन रक्षक	2750-4400	24	--"--
45	मशीन आपरेटर	2750-4400	1	--"--
46	चपरासी/ चौकीदार/ अर्दली	2550-3200	36	--"--
47	माली	2550-3200	8	
48	स्पीपर		–	संविदा पर (आवश्यकतानुसार)
	कुल योग–		**262**	

2. जलागम प्रबन्ध निदेशालय का मुख्यालय यथावत देहरादून में ही बना रहेगा।

3. वर्तमान में परिशिष्ट–2 के अनुसार कार्यरत 194 सीधी भर्ती के कर्मचारियां को पुनर्गठित निदेशालय के अधीन समायोजित कर लिया जायेगा तथा अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के पद प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण / अनुबन्ध पर भरे जायेंगे।

(डा0 पी0 एस0 गुसाईं)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 203 / कृषि / जलागम / 2002

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग को उनके अशासकीय पत्र संख्याः 4/2/8/2002–सी. एक्स. दिनांक 12 मई, 2002 को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश के माध्यम से मा0 मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 06–05–2002 को कार्यावली मद सं0 04 पर दिये गये आदेशों का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है।
9. गार्ड फाईल।
10. निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 पी0 एस0 गुसाईं)
अपर सचिव

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या :   /जलागम /कृषि /2002 का संलग्नक

जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तरांचल

↓

निदेशक जलागम वेतनमान 18400–22400			
1	2	3	4
अपर निदेशक (प्रशासन) **वेतनमान** **(16400–20000 अथवा विभागीय संवर्ग के अनुसार)** **उत्तरदायित्व :–** – पशिक्षण कार्यक्रम – प्रालेखन एवं प्रसार – प्रशासन/ अधिष्ठान – वाह्य /केन्द्र वित्त पोषित /सहायतित परियोजनाओं का कार्यान्वयन	**अपर निदशक (नियोजन /मूल्यांकन एवं अनु0)** **वेतनमान** **(16400–20000 अथवा विभागीय संवर्ग के अनुसार)** **उत्तरदायित्व :–** – परियोजना का निर्माण – परियोजना हेतु वित्तीय व्यवस्था – प्राथमिता निर्धारण, चयन दिशा निर्देशन – परियोजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण – परियोजनाओं के प्रवाहों का आंकलन – सूचना पद्वति (प्रबन्धन एवं भू–सूचना) का विकास।	**अपर निदेशक (तकनीकी)** **वेतनमान** **(16400–20000 अथवा विभागीय संवर्ग के अनुसार)** **उत्तरदायित्वः–** – तकनीकी हस्तान्तरण – अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम – तकनीकी संस्थानों से सामंजस्य – प्रालेखन एवं प्रसार–प्रचार – रेखा विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सामंजस्य – चालू/ प्रस्तावित परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन – विभिन्न जीविकोपार्जन कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य।	**अपर निदेशक (परियोजना यूनिट)** **वेतनमान** **(16400–20000 अथवा विभागीय संवर्ग के अनुसार)** **उत्तरदायित्वः–** – सहभागिता प्रबन्धन। – चालू परियोजनाओं का प्रालेखन एवं प्रचार प्रसार – वाह्य / केन्द्र वित्त पोषित / सहायतित परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
उप निदेशक (प्रशिक्षण) –1 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी –1 वेतनमान (10000–15200)	उप निदेशक (नियोजन/ सांख्यकीय, प्रालेखन एवं प्रसार) –1 उप निदेशक (मूल्यांकन / अनुश्रवण) जी0आई0एस0/ एम0आई0एस0)–1 वेतनमान (10000–15200)	संयुक्त निदेशक (कृषि उद्यान) –2 वेतनमान (12000–16500) उप निदेशक–2 (वानिकी, पशुपालन) वेतनमान (10000–15200)	उप निदेशक परियोजना –2 वेतनमान (10000–15200)
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)–1 सहायक निदेशक (क्षमता विकास/प्रालेखन)–1 वेतनमान (8000–13500)	सहायक निदेशक /परि0 अर्थशास्त्री–1 सहायक निदेशक (मूल्यांाकल एवं अनुश्रवण/जी0आई0एस0/एम0आई0एस0) वेतनमान (8000–13500)	सहायक निदेशक–1 (सिविल इंजीनियरिंग) वेतनमान (8000–13500)	सहायक निदेशक परियोजना –2 वेतनमान (8000–13500)

1	2	3	4
सहायक तकनीकी एवं कार्यालय स्टाफ			
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी–1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–1 प्रशासनिक अधिकारी–1 वैयक्तिक सहायक–1 लेखाकार–1 वरिष्ठ सहायक/भण्डार प्रभारी–4 आशुलिपिक–2 मानचित्रकार–1 वरिष्ठ लिपिक–8 सहायक लेखाकार–4 कनिष्ठ लिपिक–10 अवर अभियन्ता सिविल–1 वन दरोगा–1 वाहन चालक–7+2* मशीन आपरेटर– 1*** चपरासी /अर्दली /चौकीदार/माली –12 स्वीपर संविदा पर (आवश्यकतानुसार)	सांख्यिकीय सहायक–4 जी0आई0एस0 टेक्निशियन/एनालिस्ट–1 कम्प्यूटर प्रोग्रामर–1 आशुलिपिक–1 वरिष्ठ लिपिक–1 कनिष्ठ लिपिक–5 वाहन चालक–5+1* चपरासी/अर्दली/6	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि /उद्यान/पशुधन)–3 कनिष्ठ लिपिक–2 आशुलिपिक–1 वाहन चालक–6 चपरासी/अर्दली–6	वन क्षेत्राधिकारी–4 कार्यालय अधिक्षक–3 लेखाकार–3 सांख्यिकीय सहायक–3 सहायक लेखाकार–4 तकनीकी सहायक/विषय वस्तु–विशेषज्ञ कृषि/उद्यान/पशुधन– पशुधन प्रसार अधिकारी–4 अवर अभियन्ता सिविल–2 मानचित्रकार–3 सर्वेयर–2 स0वि0अ0(कृषि /उद्यान)–8 उप वन राजिक–4 आशुलिपिक–1 वरिष्ठ लिपिक–13 कनिष्ठ लिपिक /भण्डार सहायक– वन दरोगा–7** वन रक्षक–24** वाहन चालक–9 माली–8 चपरासी/चौकीदार/अर्दली–12 स्वीपर संविदा पर (आवश्यकतानुसार)

टिप्पणी : * जलागम प्रबन्ध निदेशालय में वर्तमान में 30 वाहन चालक नियमित सेवा कार्यरत है कालम सं0 1से 2 पद तथा कालम संख्या 2से 1 कुल तीन पद अतिरिक्त दर्शाये गये है। चूंकि उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी कार्यरत है। अतः उनके सेवा निवृत्त के पश्चात उक्त कार्यरत पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। उक्त वाहन चालक सरप्लस होने की स्थिति में अन्य विभागों को स्थानान्तरित किये जायेंगे। कालम स0 4 मे दर्शाये गये 9 पदों में 4 ट्रक /बस चालकों के भी सम्मिलित है।

* जलागम प्रबन्ध निदेशालय में वर्तमान में 32 वन रक्षक /दरोगा नियमित रूप से कार्यरत है। अतः उनकी सेवा निवृत्ति से पश्चात उक्त कार्यरत पद स्वतः समाप्त हो जायेगें।

* मशीन आपरेटर का पद (वेतनमान 2750–4400) वर्ग घ (चतुर्थ श्रेणी) का है।।

शासनादेश संख्या : /जलागम /कृषि /2002 का संलग्नक

जलागम प्रबन्ध निदेशालय में सीधी भर्ती के कार्यरत विभिन्न संवर्गो के 194 कर्मचारियो का संवर्गवार विवरण :

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	कार्मिक की सख्या
1.	कार्यालय अधिक्षक ग्रेड–II	5000-150-8000	1
2	वरिष्ठ सहायक	4500-125-7000	2
3	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000	21
4	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-3950-80-4590	51
5	आशुलिपिक	4000-100-6000	3
6	माचचित्रकार	4500-125-7000	4
7	ट्रेसर	2750-7.-800-75-4400	4
8	सर्वेयर	4500-125-7000	2
9	वन रक्षक	2750-70-3800-75-4400	32
10	वाहन चालक	3050-75-3950-80-4590	30
11	चपरासी/चौकीदार/अर्दती /माली	2550-55-2660-60-3200	44
	कुल योग :		**194**

परिशिष्ट–9 अ

सं0101 व0ग्रा0वि0/जलागम अनु0/2002

पेषक,

बी0पी0पाण्डेय,
सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तरांचल देहरादून।

कृषि एवं जलागम अनुभाग **दिनांक : देहरादून : मई 24 2002**

विषय– जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यो का निर्धारण।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में जलागम विकास नीति को सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित ढंग से कार्यरूप देने हेतु जलागम प्रबन्ध विभाग को स्थाई स्वरूप प्रदान करते हुये शासन द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय का पुनर्गठन किया गया है। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या203/जलागम/कृषि /2002, दिनांक 15–5–2002 के द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत पदों का सृजन कर दिया गया है।

नवगठित उत्तरांचल राज्य के अंतर्गत राज्य स्तर पर विभिन्न जलागम प्रबन्ध योजनाओं का संचालन जो कि विभिन्न विभागों /एजेंसियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। को समेकित रूप से उनके अनुश्रवण/ समन्वयन हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय का एक नोडल एजेंसी से रूप मे चिन्हित किया गया है। इस दायित्व को सुचारू एवं संमयबद्व तरीके से चलाने हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय, एक Umbrella इकाई के रूप में कार्य करेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पुनर्गठन के फलस्वरूप जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायित्व एवं कार्य निम्न प्रकार होंगें:–'

उद्देश्यः

जलागम विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संशाधनों का उचित उपयोग तथा प्रबन्धन परिस्थितिकीय संतुलन को बनाने रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्वि, कृषि आधारित आर्थिक विकास, ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास भूमि कटाव की रोकथाम जल संग्रह तथा क्षेत्र का विकास तथा स्थानीय जन जीवन को निरन्तर विकास की ओर अग्रसर करना है।

उत्तरदायित्व एवं कार्य :

1. विभिन्न विकास विभागों द्वारा संचालित जलागम आधारित कार्यक्रमों का समन्वय, नियोजन तथा मूल्यांकन
2. विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों द्वारा एक पक्षीय तथा अलग–अलग संचालित की जा रही जलागम आधारित योजनाओं में सामंजस्य तथा इनमें केन्द्रभिमुखता सुनिश्चित करना।
3. प्रदेश के जलागम क्षेत्रों में ज्योलोजी, ज्योमाफॉलोजी ज्योहाइडोलोजी भूमि उपयोग, मृदा, भू–क्षरण एवं भू–स्खलन तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अध्ययनों के आधार पर सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु प्राथमिकता का निर्धारण तथा योजनायें तैयार करना।
4. ग्रामीण संहभागिता को अधिक व्यापक एवं व्हारिक स्वरूप देने के लिए तथा क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
5. रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं से विकसित तकनीकी जानकारी प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास के प्रस्ताव हेतु मॉडल जलागम क्षेत्र विकास योजनाओं का कार्यान्वयन।
6. पारिस्थितिकीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा बुनियादी ढाचें का विकास।
7. परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता हेतु स्थानीय संस्थाओं की स्थापना।
8. जलागम योजनाओं के लिये केंन्द्र अथवा वित्त संस्थाओं से वित्तीय संसाधन जुटाना।
9. प्रदेश के कृषि भूमि संरक्षण, वन, उद्यान, पशुपालन, वन, लघु सिंचाई आदि विभागों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा तैयार की गयी जलागम आधारित योजनाओं का तकनीकी परीक्षण, अनुमोदन सुझाव तथा दोहराव की स्थिति को रोकना।
10. सामुहिक प्रबंन्ध व्यवस्था, क्षमता विकास, स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन आदि समाजिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।
11. कृषि उद्यान वानिकि जल संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी सुझाव मानकों आदि का निर्धारण।
12. भू–सूचना पद्वति को विकसित कर अन्य विभागों को योजना तैयार करने हेतु सूचना उपलब्ध कराने हेतु ''डाटा बैंक'' को तैयार करना।
13. राज्य स्तर पर जलागम योजनाओं के प्रभाव आंकलन, डॉक्यूमेटेशन, दृष्य एवं श्रवण कार्यक्रमों का आयोजन।
14. तकनीकी सेवा प्रदान करना।

जलागम प्रबन्धन व्यस्था की नीति निर्धारण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रभाव के आंकलन हेतु राज्य स्तर अन्तर्विभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 45/एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/ जलागम/

दिनांक 17–3–2001 द्वारा राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध समिति तथा अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स समिति तथा शासनादेश संख्या 66/जलागम /2001 दिनांक 30–6–2001 द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

कृपया तद्नुसार कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(बी0 पी0
पाण्डेय)
सचिव

पत्रांक– 101 /जलागम /2002 /तद्दिनांकित।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव माहामहिम राज्यपाल उत्तरांचल राज्य।
2. प्रमख सचिव मा0 मुख्य मख्यमंत्री जी उत्तरांचल राज्य।
3. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, कृषि/पशुपालन/लघु सिंचाई /वन /उद्यान/ग्राम्य विकास।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूॅ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. प्रमुख वन संरक्षण उत्तरांचल कैम्प कार्यालय देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता सिंचाई/लघु सिंचाई यमुना कालोनी, देहरादून।
9. निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग चौबटिया रानीखेत।
10. अपर निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण पौड़ी।
11. अपर निदेशक पशुपालन विभाग गोपेश्वर, चमोली।
12. समस्त जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल ।

आज्ञा से,

डा0 पी0 एस0 गुसाईं
अपर सचिव

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।,
पत्रांक– 2799/5–28 (1), दिनांक : देहरादून : 31 मई 2002

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त निदेशक कृषि,/उद्यान/नियोजन, जलागम प्रबन्ध निदेशालय ।
2- परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 हिल्स– II कोटद्वार एवं हल्द्वानी।
3- उप परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 हिल्स–II ऋषिकेश/कोटद्वार/लैंसडैन/हल्द्वानी/रामनगर।

4- उप परियोजना निदेशक, मुख्यालय/प्रशिक्षण/मूल्यांकन एवं अनुश्रवण जलागम प्रबन्ध निदेशालय ।

5- लेखाधिकारी/सहायक वन संरक्षक/ परियोजना अर्थशास्त्री /संयुक्त निदेशक. /संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, जलागम प्रबन्ध निदेशालय ।

6- कार्यालय अधीक्षक/नियोजन कक्ष/लेखाकक्ष/ अधिष्ठान तथा आशुलिपिक कक्ष, जलागम प्रबन्ध निदेशालय ।

परियोजना निदेशक (प्रशासन)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
पेयजल अनुभाग
संख्याः 1172/नो–2–पे0/2002
देहरादूनः दिनांक 07 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड की विशिष्ट परिस्थितियों में जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के विशेष महत्व की दृष्टि से जल संरक्षण एवं ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में वर्षा जल दोहन से सम्बन्धित नीति/कार्यक्रम तय किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् एक समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1)	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्या विकास	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(3)	सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य/संयोजक
(4)	सचिव सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	सचिव नगर विकास/आवास	सदस्य
(7)	मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम परियोजना	सदस्य
(8)	मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग	सदस्य
(9)	मुख्य अभियन्ता (उ0), जल निगम, देहरादून	सदस्य
(10)	महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान	सदस्य
(11)	महाप्रबन्धक, कुमॉयू जल संस्थान	सदस्य

2– उक्त समिति यथाशीघ्र बैठकें आयोजित कर संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।

पी0के0 महान्ति
सचिव

<u>पृ0सं0 1172 (1)/नो–2–पे0/2002, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. सटाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अर्जुन सिंह)
सचिव

परिशिष्ट–14

संख्याः 1423/नो–2–पे0/2002

देहरादूनः दिनांक 20 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड की विशिष्टि परिस्थितियों में जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के विशेष महत्व की दृष्टि से जल संरक्षण एवं ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में वर्षा जल दोहन से सम्बन्धित नीति/कार्यक्रम तय किये जाने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप सं0 1172/नो–2–पे0/2002, दिनांक 07 जून, 2002 द्वारा गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्या विकास — अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन। — सदस्य

(3) सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन। — सदस्य/संयोजक

(4) सचिव सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(5) सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(6) सचिव नगर विकास/आवास अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(7) सचिव कृषि एवं जलागम, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(8) मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम परियोजना — सदस्य

(9) मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग — सदस्य

(10) मुख्य अभियन्ता (उ0), जल निगम, देहरादून — सदस्य

(11) महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान — सदस्य

(12) महाप्रबन्धक, कुमॉयू जल संस्थान — सदस्य

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

<u>पृ0सं0 1423 (1)/नो–2–पे0/2002, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. सटाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
1. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अर्जुन सिंह)
सचिव

परिशिष्ट–15

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग
संख्या 925/व.ग्रा.वि.वि./कृषि/2002
देहरादूनः दिनांक 08 जुलाई, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रहण विकास के आधार पर, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) व सुनिश्चित रोजगार योजना (ई0ए0एस0) कियान्वित की जा रही है तथा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से वर्षा आधारित कृषि हेतु राष्ट्रीय जलागम विकास योजना (एन0डब्ल्यू0डी0पी0आर0ए0) का कियान्वयन कृषि विभाग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा हैं इसके अतिरिक्त विश्व बैंक पोषित शिवालिक परियोजना के माध्यम से जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून द्वारा भी जलागम विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आया है कि पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप जल के संरक्षण एवं चारागाह विकास आदि प्राथमिकता वाले कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है अपितु कार्यमद हेतु आवंटित धनराशि मुख्यतयाः नाला/गदेरा नियंत्रण/भूस्खलन नियंत्रण कार्यों में उपयोग कर ली जाती हैं। फलस्वरूप सम्पादित कराये गये कार्यों से अपेक्षित उपलब्धि परिलक्षित नहीं हो पा रही है। इस परिपेक्ष्य में उचित होगा कि कार्यमद हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार करना सुनिश्चित किया जाय।

क0 सं0	कार्यमद	मात्राकृत प्रतिशत धनराशि
1	जल संग्रहण क्षेत्र में पौधशाला स्थापना	2 प्रतिशत
2	वर्षा जल का संग्रहण एवं सिंचन क्षमता विकास कार्यक्रम (सीमेन्ट का प्रयोग 2 प्रतिशत तक सीमित)	45 प्रतिशत
2.1	इन–सीटू नमी संरक्षण कार्यक्रम (अ) मेढ़ो/बॉधों पर घास रोपण (ब) सम्मोच रेखीय कूड़/खन्ती निर्माण (स) जल संचय तालाब/पोलीथीन लाईन्ड टैंक	
2.2	सदाबहार जल स्रोतों का संरक्षण तथा उपयोग (अ) सीमेन्ट चैकडेम (ब) सिंचाई नाली निर्माण (स) ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर सिंचाई/लिफ्ट पम्प	
2.3	नौला सम्बर्द्धन कार्यक्रम	
2.4	छत के वर्षा जल का संग्रहण (Roof Rain Water Harvesting) (अ) फेरा सीमेन्ट टैंक (ब) पोलीथीन लाइन्ड टैंक	
3	पूर्व निर्मित सिंचाई संरचनाओं का जीर्णोद्धार	5 प्रतिशत
4	भू–क्षरण नियंत्रण संरचना निर्माण (केवल गैबियन संरचना), वानस्पतिक सपोर्ट सहित (प्राथमिकता से बांस, रामबांस)	15 प्रतिशत
5	फसल प्रदर्शन (फसलों के साथ, मसाले, फूलों की खेती, हर्बल, औषधीय कार्यक्रम एवं पोली हाउस आदि)	10 प्रतिशत
6	शुष्क उद्यानीकरण/ एग्रो फौरेस्ट्री	4 प्रतिशत
7	चारा विकास कार्यक्रम (धेरवाड़ हेतु Biofencing को प्राथमिकता)	12 प्रतिशत
8	गृह उपयोग उत्पादन प्रणाली/गृह वाटिका	5 प्रतिशत
9	अनौपचारिक उर्जा विकास कार्यक्रम (अ) बायोगैस (ब) सोलर उर्जा	2 प्रतिशत

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

<u>संख्या– 925/ व0ग्रा0वि0वि0/2002/ तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
2. अपर कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
5. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी/अन्य कार्यदायी संस्था, उत्तराखण्ड।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

परिशिष्ट–10

<u>सं0 240 / व0ग्रा0वि0 / जलागम अनु0 / 2002</u>

पेषक,

डा0 आर0एस0 टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तरांचल ।

कृषि एवं जलागम अनुभाग **दिनांक : देहरादून : 7–8–2002**

विषय : भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलागम (जल संग्रहण) विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्वांत (संशोधित–2001) में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर योजना प्रस्ताओं के आंकलन हेतु चैकलिस्ट।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग से निर्देशानुसार राज्य स्तरीय जलागम विकास समिति का गठन किया गया है। जलागम विकास परियोजना में समन्वय अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए शासन द्वारा अन्तर्विभागीय ''टास्क फोर्स''का गठन किया गया है। तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय को नोडल एंजेंसी घोषित किया गया है। समस्त विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा तैयार की गई जलागम विकास परियोजनायें इस टास्क फोर्स के माध्यम से वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को पेषित की जायेंगी।

2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा जलागम (जल संरक्षण) विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्वात (संशोधित 2001) में उल्लिखित बिन्दुओं एवं मापदण्डों के आधार पर जलागम विकास योजना के प्रस्ताओं के आंकलन हेतु एक चैकलिस्ट तैयार की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

3 अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स की सहायता हेतु मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उप–समिति का गठन किया गया है। यह उप समिति जलपद स्तर से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को इस चैकलिस्ट के आधार पर परीक्षण कर अपनी अभियुक्ति टास्क फोर्स को प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर परियोजना प्रस्ताओं के संबन्ध में शासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

4 जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा परियोजना प्रस्ताओं के प्रेषण के साथ चैकलिस्ट के आधार पर वांछित सूचनाओं एवं प्रमाण पत्रों का समावेश सुनिश्चित किया जाय।

5 समेकित बजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) के प्रस्ताओं के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किए गये प्रपत्र मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तरांचल के पत्रांक 2825/21–3/ टास्क फोर्स दिनांक 5–6–2002 द्वारा अपर कृषि निदेशक उत्तरांचल तथा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित किए गये है। आई0डब्ल्यू0डी0पी0 से संबन्धित परियोजना प्रस्ताव इन प्रपत्रों में चाही गयी सूचनाओं के अनुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उक्तानुसार– चैकलिस्ट।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं
ग्राम्य विकास साखा,
उत्तरांचल

संख्या– / जलागम/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 सचिव कृषि एवं जलागम विकास उत्तरांचल शासन।,
2 सचिव ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन।
3 सचिव वन उत्तरांचल शासन।
4 प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल, देहरादून।
5 मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून, उ0प्र0।
6 अपर कृषि निदेशक उत्तरांचल देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल क्षेत्र।
7. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरांचल ।
8. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरांचल ।

संलग्नः उक्तानुसार– चैकलिस्ट।

आज्ञा से,

(डा0 पी0 एस0 गुसाईं)
अपर सचिव
कृषि एवं जलागम विकास

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलागम (जल संग्रहण) विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्वांत (संशोधित–2001) में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर योजना प्रस्तावों के आंकलन हेतु

चैकलिस्ट

क्र0सं0	योजना प्रस्ताओ के प्रमुख शीर्षक	दिशा निर्देशों के संदर्भित पैरा	संदर्भित पैरा के अनुसार वांछित सूचनायें	सूचित		अभियुक्ति
				है (✓)	नहीं है (✗)	
1	परियोजना का शीर्षक	पैरा–8	योजना/कार्यक्रम का नाम			
2	परियोजना का उद्देश्य	पैरा–11	जलागम विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख			
	परियोजना क्षेत्र के चयन के सम्बन्ध में मापदण्ड	पैरा–15	परियोजना के पस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख– 1. परियोजना क्षेत्रफल 2. प्रस्तावित उपचार योग्य क्षेत्र 3. ग्राम का नाम ग्राम पंचायत, विकासखण्ड का नाम 4. पेयजल की कमी (वर्तमान मे पेयजल स्रोत की दूरी उपचार योग्य पेयजल स्रोत आदि का विवरण) 5. अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 जो जलागम क्षेत्र पर निर्भर हों। 6. वनेतर बजर भूमि /अवक्रमित (non- forest/ degraded) भूमि 7. सार्वजनिक भूमि की अधिकता यदि नहीं तो औचित्य 8. वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम हो 9. पूर्व में उपचारित परियोजना क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र 10. सृजित परिसम्पत्यिों के संचालन एवं अनुरक्षण की लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो			

			(डी0आर0डी0ए0 तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं प्रतिस्ताक्षरित)			
3	जनपद के संबंध मे सूचना जनपद का क्षेत्रफल बंजर भूमि का क्षेत्रफल non-forest बंजर भूमि का क्षेत्रफल	पैरा–16	वास्तविक भूमि वर्गीकरण के आधार पर तथा समन्वित प्रभागीय वनाधिकारियों के वन क्षेत्र मे कार्य करने की सहमति की सूचना			
4	नामित कार्यदायी संस्था क संबंध मे सूचना	पैरा–22,27,28,29 तथा 30	उत्तरदायी संस्था तथा नामित कार्यदायी संस्था के संबन्ध में सूचना कार्यदायी संस्था पी0आर0आई0/ राजकीय विभाग है, उसका उल्लेख कार्यदायी संस्था प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था अथवा संगठन है 1. उसका पंजीकरण संख्या तिथि, स्थानीय पता आदि की सूचना 2. जन सहभागिता के संबन्ध में अनुभवों का उल्लेख 3. जलागम विकास कार्यक्रमों के संबन्ध मे अनुभव एवं उसके द्वारा गत तीन वर्षो में लेखा जोखा सम्पन्न करने का प्रमाणित अनुभावों का उल्लेख एवं प्रमाणक। 4. संस्था के जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों की सूचना एवं अनभव।			
5	जलागम विकास सम्बन्धि कार्यकलाप	पैरा–39,40,41,42 व 43	1. परियोजना में प्रस्तावित कार्य /गतिविधियों की सूची जो कि जलागम (जल संग्रहण) विकास योजना मे सम्मिलित की जा सकती है, का उल्लेख 2. विभिन्न मानचित्रों में कार्यकलापों का प्रस्तुतीकरण। 3. गैर भूमि आधारिक अन्य कार्यक्रमों का समेकन का उल्लेख।			

			4. अल्पकालिन एवं दीर्घकालिन लाभों का उल्लेख। 5. पारदर्शिता हेतु रणनीति का उल्लेख।			
6	प्रस्तावित परियोजना की लागत एवं मानदंड	पैरा'—44	1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों एवं दरों के अनुसार लागत का विवरण 2. राज्य सरकार के द्वारा संबंधित कार्यक्षेत्रों में कार्यकलापों के अन्तर्गत अनुमोदित दरों के मानक के अनुरूप			
7	परियोजना का बहिर्गमन व्यवस्था (exit protocol)	पैरा—56	परियोजना क्षेत्र को छोड़ने से पूर्व परियोजना द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के लाभों को समान रूप से प्राप्ति और सतत चिरन्तरता के बारे में स्पष्ट उल्लेख			
8	तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ सम्पर्क	पैरा—60	सदस्यों का स्थानीय ज्ञान वर्धन हेतु प्रौद्योगिकीय संस्थाओं का उल्लेख			

परिशिष्ट–16

संख्या 124 / व.ग्रा.वि. / 2002

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

वन एवं ग्राम्य विकास शाखाः देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2002

महादय,

कृपया पूर्व प्रेषित पत्र सं0 164 दिनांक 16 अप्रैल 2002 तथा प्रमुख सचिव के पत्र संख्या 93 दिनांक 6 मार्च, 2002 एवं पत्र संख्या 12 दिनांक 31 जुलाई, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के नैसर्गिक स्रोतों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं ऊर्जन हेतु सम्पुर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये थे।

2. उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का 50 प्रतिशत राज्यांश की प्रतिक्षा न करते हुये पानी के स्रोतो के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर व्यय किया जाये।

3. व्यय धनराशि, निर्मित योजनाओं का विवरण तथा सृजित मानव दिवस प्रतिदिन फैक्स द्वारा अवगत कराया जाये।

भवदीय,

(संजीव चौपड़ा)
सचिव

संख्या –2975/नौ–2– पे0/ 2002

प्रेषक,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. **शासन के समस्त सचिव।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल।**

पेयजल अनुभागः **देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर, 2002**

विषय : उत्तरांचल पेजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से निर्माण इकाई के रूप में अन्य कार्यो को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तरांचल शासन पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2231/ नौ–2 (12 अधि0)/2001, दिनांक 7 नवम्बर, 2002 द्वारा उत्तरांचल राज्य में '' उत्तर प्रदेश जल निगम '' के स्थान पर '' उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम'' का गठन किया गया है। इस अधिसूचना में इस निगम को राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्यो को सम्पादित कराने हेतु निर्माण एजेन्सी के रूप में अधिकृत किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग से सम्बधित कार्यो को उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट रें। यह निगम उत्तरांचल शासन के अधीन है। अतः अन्य राज्यों के निगमों की तुलना में इस निगम को कार्य आवंटन में वरीयता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

पृ0 सं0 –2975/ नौ–2–पे0/2002 /तद दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (उ0), उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहनी रोड़ देहरादून को उनके पत्र संख्या 3257/ उत्तरांचल शासन, दिनांक 3.12.2002 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

<u>संख्या 63 (5)/कृषि एवं जलागम/ 2003</u>

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसांई,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
   गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय,
   पंतनगर।
2. **परियोजना निदेशक,**
   जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
   उत्तरांचल।
3. **निदेशक,**
   उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
   हल्द्वानी (नैनीताल)
4. **निदेशक,**
   बीज प्रमाणीकरण संस्था
   उत्तरांचल देहरादून।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम,
   हल्दी (पंतनगर)

कृषि एवं जलागम अनुभागः **देहरादूनः दिनांक 06 मई, 2003**

विषय : **<u>सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि को स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 में रखे जाने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 875/वि0अनु0–3/2003–04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश में इंगित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव

संख्या –   /वित्त अनुभाग–3/ 2003–2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग– 3 देहरादूनः दिनांक : 30 अप्रैल, 2003

विषय : सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि को स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

समय–समय पर शासन द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि जब किसी कार्य के लिये तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी समेकित निधि से आहरित किया जाय। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल सम्बन्धित योजना में उपभोग करने के बजाय बैंकों अथवा सावधि जमा (फिक्स डिपाजिट) के रूप में रखा गया है। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि, यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049–ब्याज प्राप्तियाँ–04–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 12–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

2– राज्य के अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के उद्‌देश्य से यह आवश्यक है कि समेंकित निधि से आहरण तब किया जाय जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो, के सिद्धान्त पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों परियोजनाओं परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार वैयक्तिक खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो, खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेंकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियाँ जो बैंक में रखी गयी हों अथवा सावधि (फिक्स डिपाजिट) जमा में रखी गयी है, तत्काल कोषागार के विभागीय पी0एल0ए0 में जमा कर दिया जाय। पी0एल0ए0 से तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाय एवं बैंक में ऐसी धनराशियाँ सामान्य जमा या सावधि जमा में न की जाय।

3– सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्राविधान नहीं है, जब तक शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य /अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो। अतः

यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो, उसे तत्काल बन्द किया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी.एल.ए. में तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा कर दिया जाये।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय अन्यथा इससे भिन्न कार्यवाही करने पर वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

भवदीय,
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 875 (1)/वित्त अनुभाग–3/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– राज्य के सभी प्रतिष्ठानों, परियोजनाओं, निकायों, परिषदों आदि के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक या अन्य प्रशासक (जो भी हों)
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांच

आज्ञा से,
(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव।

<u>बजट भाषण</u>

<u>महत्वपूर्ण/ अत्यावश्यक</u>

<u>संख्या: 1397/वित्त अनु–1/2003–04</u>

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उततरांचल शासन।

वित्त अनुभाग:–:1: **देहरादून: दिनांक 8 मई, 2003**

विषय : **<u>वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट भाषण हेतु सामग्री।</u>**

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या: 1186/वि.अनु–1/ 2003–04 दिनांक: 14.02.2003 द्वारा बजट भाषण के लिये सामग्री भेजने का अनुरोध किया गया था। कतिपय विभागों द्वारा बजट भाषण हेतु सामग्री प्रेषित की गई है परन्तु यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व की स्थिति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2003 –04 का बजट पेश किया जाना है। अब वित्तीय वर्ष 2003–04 समाप्त हो जाने के कारण उक्त सूचनाओं का अध्यावधिक किया जाना आवश्यक है साथ ही, नियोजन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 के आयोजनागत परिव्यय तथा योजनाओं की सूचना भी विभागों को भेज दी गई है।

<u>उक्त परिप्रेक्ष्यमें कृपया बजट भाषण हेतु संशोधित सामग्री विलम्बतम दिनांक: 13–05–2003 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।</u>

भवदीय,
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 32 /कृषि–जलागम/बजट /2003–2004

प्रेषक,

डा0 पी0 एस0 गुसांई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. **अपर निदेशक, कृषि**
2. **वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर,**
3. **परियोजना निदेशक, जलागम**
4. **प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 तराई बीज विकास निगम लि0 हल्दी**
5. **निदेशक, उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी**
6. **अपर परियोजना, समन्वयक, डास्प, देहरादून।**

कृषि एवं जलागम अनुभागः **देहरादूनः दिनांक 9 मई, 2003**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट भाषण हेतु सामग्री।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त के पत्रांक 1397/वित्त अनु–1/2003–04 दिनांक 08.05.2003 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वांछित सूचना 12–05–2003 तक फ्लापी सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उक्तानुसार

भवदीय,
(डा0 पी0 एस0 गुसांई)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 2004/वि0अनु0–1/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक : 30 जून, 2003**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–2004 में वित्तीय सवीकृतियाँ निर्गत किया जाना।

महोदय,

1– वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होनें व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम 2003 पारित होने के फलस्वरूप आवश्यक वचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करनें के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सेवकों के वेतन एवं वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय, जलकर किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पैट्रोल, टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये अनुमानित उपरोक्त बचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि (1 अप्रैल से 30 जून तक की वित्तीय स्वीकृतियों को सम्मिलित करते हए) प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष सवीकृति प्रदान करते हैं।

2– प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक में समस्त अनुदानों तथा भारित विनियोग के अन्तर्गत मुख्य, उप मुख्य, लघु तथा उप शीर्षकों में व्यवस्थित धनराशियाँ औपचारिक ढंग से तुरन्त वित्त विभाग से यथा आवश्यकता स्थिति स्पष्ट कराकर अपने अधीनस्थ सम्बद्ध विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निस्तारण पर 2003–2004 में व्यय करने के लिए रख दें।

समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयत्र का क्रय तथा वाहन का क्रय की स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।

3– नई मांग की योजनागत पक्ष की स्वीकृतियाँ नियोजन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत की जायेगी तथा आयोजनेत्तर पक्ष में अबचनबद्ध मदों की स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।

4– आयोजनागत पक्ष की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी। जारी की गई स्वीकृति आदेश की प्रति महालेखाकार उत्तरांचल तथा वित्त अनुभाग को भी पृष्ठांकित की जायेगी। आय–व्ययक में व्यवस्थित उन धनराशियों के सम्बन्ध में इस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, जिसमें प्रशासनिक अनुभाग स्वयं नियंत्रण अधिकारियों की तरह कार्य करते है।

5— अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायेगें जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

6— वित्तीय वर्ष 2003—2004 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि कोई हो के विवरण की सूचना प्रत्येक विभाग द्वारा अलग से रखी जायेगी।

7— अप्रैल, 2003 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह ''क'' ''ख'' ''ग'' व ''घ'') की सूचना विभाग द्वारा रखी जायेगी, जिससे वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विभागवार श्रेणीवार भरे जाने वाले पदों तथा इसके सापेक्ष होने वाले व्यय की जानकारी प्राप्त हो सके।

8— व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ—साथ विस्तृत आगणनों में पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग करके प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त कराएगें तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्यरूप से आवश्यक होगा। जिन विभागों में यथा लोक निर्माण, सिंचाई वन आदि में साख सीमा की व्यवस्था है वहाँ पर साख सीमा की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय जैसा कि शासनादेश संख्या—ए—2311/ दस—98 दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर 2 (2) एव 2 (3) में निर्धारित है।

9— जिन अनुदानों में राजस्व अथवा पूँजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2003—2004 में एकमुश्त व्यवस्था का प्राविधान उपलब्ध है ऐसी स्वीकृतियों के जारी किये जाने के पूर्व बजट मैनुअल के पैरा—94 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये। यदि इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता तब इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

10— विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत राज्य योजनाओं को दो श्रेणियों में ''राज्य सेक्टर'' की योजनाओं तथा जिला सेक्टर की योजनाओं में विभक्त किया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आय—व्ययक में जिला योजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृतियाँ पूर्व आदेशों के अनुसार सीधे सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को निस्तारण पर रख दी जाये तथा उनकी प्रतियाँ सम्बन्धित जिला अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित कर दी जाय। जिला योजनाओं की स्वीकृति जारी करते समय नियोजन व वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा सहमति हेतु जिला योजना का निर्धारण आवश्यक है।

11— वर्ष 2003—2004 के आय—व्ययक में कुछ ऐसी योजनायें सम्मिलित हैं जिनका व्यय भारत सरकार अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा वहन किया जाना है। उन योजनाओं के कार्यान्वयन की सवीकृति उसी दशा में दी जाय जब भारत सरकार अथवा अन्य संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन तथा सहायता की धनराशि के विषय में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाय तथा प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग को अभिलेखों से पुष्टि कर दें कि भारतीय जिजर्व बैंक द्वारा राज्य के समेकित निधि में धनराशि स्थानान्तरित कर दी गयी है। यह विभागीय सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि जारी किये गये राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केंद्रांश अथवा बाह्य सहायता प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के

दौरान प्राप्त हो जाय। इन योजनाओं की स्वीकृति जहाँ आवश्यक है नियोजन / वित्त विभाग की पूर्व सहमति से निर्गत की जायेगी।

12— जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हों, प्रशासकीय विभाग के सचिव का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये 30—07—2004तक प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई / विलम्ब न हो।

13— किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग की सहमति अनुदान के अधीन दी जाती है तब पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश पर वित्त विभाग द्वारा आदेश विशिष्ट पत्र संख्या का प्रयोग कर उसकी प्रति महालेखाकार (उत्तरांचल) को उपलब्ध कराया जाय। प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग को पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा—151 के अन्तर्गत प्रस्ताव का पीक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व पक्ष से पूंजी पक्ष तथा पूँजी पक्ष से राजस्व पक्ष में भी पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित है

14— जैसा कि बजट मैनुअल के पैरा—88 में इंगित किया गया है, नियंत्रक अध्णिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो और सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि विभागीय सचिवों /प्रमुख सचिवों के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0—13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15— बाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत आबंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान की स्वीकृतियाँ तत्परता से जारी कर दी जायें तथा किसी भी अशा में उक्त हेतु बजट में की गयी व्यवस्था को अन्य योजना हेतु व्यवर्तित न किया जाय।

16— किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग—1 (लेखा नियम) आय—व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17— यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मिव्ययिता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18— अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखा शीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक /अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक

है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ संलग्न शासनादेश संख्या–बी–2–2327/ –97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखा शीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाये। जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यक किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी बी0एम0–17 पर आवंटन सम्बनधी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियाँ पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में जारी किया जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

19– प्रत्येक विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/ व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव

संख्या–2004/वि0अनु0–1/2002, तद्‌दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल आबराय मोटर्स विल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– समस्त विभागाध्यक्ष
3– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
4– शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या : 1180 / चि–2–2003–437 / 2002

प्रेषक,

एस.के. दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचलर शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2003

विषय :– <u>उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के संबंध में</u> दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 यथा संशोधित जो कि उत्तरांचल में भी उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत लागू है जिसके प्राविधान चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही दिनो–दिन परिवर्तन / प्रगति को देखते हुए पर्याप्त नही रह गये है। इस कारण से कर्मचारियों को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रायः नियमों को शिथिलीकरण अपेक्षित हो जाता है। ऐसी दशा में आधुनिक चिकित्सा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तांचल सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2003 बनायी जा रही है जिसके प्रख्यापन में अभी पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रस्तावित चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2003 प्रख्यापित होने तक की अवधि के लिये चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों में एकरूपता बनाये रखनें के दृष्टिकोण से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखत आदेश प्रदान करते हैः–

1– चिकित्सा अग्रिम :–

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिये चिन्हित / सन्दर्भ्जित चिकित्सालय / संस्थान के प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / प्रभारी प्रशासक द्वारा दिये गये व्यय प्राक्कलन के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा रू0 50,000 / – तक की सीमा तक अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। रू0 50,000 / – से अधिक के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा उपचार अग्रिम हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच भाग–एक के प्रस्तर–249 में निर्धारित सीमा रू0 25,000 / – को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

उपरोक्त अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न शर्तो का अनुपालन आवश्यक होगा :—

(क) ऐसे अग्रिम की धनराशि अनुमानित व्यय आगणंन के 75 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) अग्रिम स्वीकृत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा निरन्तर उपचार चलते रहने की दशा में उपचार समाप्ति के तीन माह के अन्दर, जो भी पहले हो उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित सुंनिश्चि करने के लिये प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु अधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों के लिये परिशिष्ट ''क'' में निर्धारित प्रपत्र पर रखा जायेगा जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा की जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की माह के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा की जायेगी। निर्धारति समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से एक मुश्त कर ली जायेगी टौर एक मुश्त सवूली सम्भव न होने के कारणों के विस्तृत परीक्षण के बाद औचित्यपूर्ण स्थिति में मासिक किश्तों में न्न्यूनतम सम्भव वसूल किया जायेगा।

(घ) जब तक एक अग्रिम का समायोजन नही हो जात जब तक दूसरा अग्रिम किसी भी दशा में स्वीकृत नही किया जायेगा।

(ड.) अग्रिम के बिल पर आहरण—वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण—पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में कर ली गई है।

2— चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यता :—

प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचार :—

(क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य बीमारी अथवा सामान्य दवा के कैश मैमों पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार की जाय।

(ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐसी उपचार प्रणालियों/परीक्षणों जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के व्न्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर की जायेगी।

(ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों/नर्सिग होम में कराई गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उन दों पर की जायेगी जिन दरों पर इस प्रकार की चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में कराने पर

व्यय आता है। प्रतिपूर्ति की धनराशि वास्तविक दावे अथवा सरकारी चिकित्सालय में उक्त उपचार हेतु व्यय की धनराशि/ दरों में से जो भी कम हो, देय होगी किन्तु ऐसी उपचार प्रणालियां/परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध न हो, पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3— प्रदेश के बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा :—

असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचारार्थ प्रदेश स्थित चिकित्सालयों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजो में समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों अथवा राजकीय मेडिकल कालेज के सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ जो प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो की संस्तुति पर प्रदेश के बाहर के राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा विशेषि उपचार हेतु अनुमोदित शासकीय/अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार की अनुमति शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी और चिकित्सा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की संस्तुति पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने की दशा में अशासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने पर वास्तविक व्यय अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अद्यतन दरों पर, दोनों में से जो भी कम हो, की दर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण यदि किसी रोगी को बिना पूर्वानुमति के उपचार हेतु ले जाना पड़े तो ऐसे मामलों में उपचार मुक्त होने के 30 दिन के अन्दर उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा जिस पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही संबधित विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

4— उक्त उपलब्ध उन्ही कार्यरत, अवकाश पर अथवा निलम्बित सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे जिन पर उत्तर प्रदेश कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 यथा संशोधित 1968 या तो मूलतः या बाद के शासनादेशों द्वारा लागू है किन्तु राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सेवायोजित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर यह नियमावली उसी सीमा तक लागू होगी, जहां तक आल इण्डिया सर्विसेज (मेडिकल अटेन्डेंन्ट) रूल्स, 1954 में अन्यथा व्यवस्था न दी गई हो।

5— प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया भी निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते है :—

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
(1) रू0 2000 तक	राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जहां उपचार किया गया हो अथवा जहां से संदर्भित किया गया हो। अशासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी	कार्यालयाध्यक्ष
(2) रू0 2000/= से अधिक किन्तु रू0 10,000/= तक	उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।	विभागाध्यक्ष
(3) रू0 10,000/= से अधिक किन्तु रू0 50,000/= तक	कुमाऊं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊं मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल हेतु अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	शासन के प्रशासकीय विभाग
(4) रू0 50,000 से अधिक	तदैव	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

6— प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सक/संस्था जिसके द्वारा उपचार प्रदान किया गया से संलग्न अनिवार्यता प्रमाण—पत्र के प्रारूप पर, बाउचर सत्यापित कराकर व सक्षम स्तर का संदर्भण प्रमाण—पत्र तथा आपातकालीन परिस्थिति का प्रमाण—पत्र सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी स्थिति हो, को तीन माह के

अन्दर प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रस्तर–5 के अनुसार दावों को प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगे।

7– उपर्युक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात् विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर इसे प्रतिहस्ताक्ष करने के उपरान्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृत आदेश प्राप्त करेंगें।

8– सेवानिवृत्त सरकारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे जहां से वह सेवानिवृत्त हुये हों। उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रस्तर–54 के साथ पठित शिड्यूल–8 के अनुसार उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स जिस कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे, द्वारा यह प्रमाणित करने पर उक्त पेंशनर किस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तथा संबंधित कार्यालय उत्तरांचल के भौगोलिक क्षेत्र में नही है तथा उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 10,000/– तक तथा उससे अधिक धनराशि का दावा प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ता ऐसे भुगतान पेंशन के सुसंगत लेखा शीर्षक से करने के बाद दोनो राज्यों के मध्य धनराशि जनसंख्या के आधार पर प्रभाजित की जायेगी।

9– इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवकों के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल माना जायेगा, जहां से सेवानृित्त कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वही माना जायेगा कि जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

10– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 636 /वि0अनु0–2/2003 दिनांकः 17 अक्टूबर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,
(एस.के. दास)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या : 1180 (1)/चि–2–2003–437/2002 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, जिला पुरूष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तरांचल।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)

अनु सचिव

परिशिष्ट ''क''

देश के अन्दर चिकित्सा परिचर्या हेतु स्वीकृत अग्रिमों का रजिस्टर

कार्यालय का नाम

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम एवं पद	अग्रिम स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत अग्रिम की धनराशि	अग्रिम आहरण की तिथि एवं वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रतिपूति के दावा कार्यालयध्यक्ष के कार्यालय से प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	प्रतिपूर्ति के दावे भुगतान/अग्रिम की वसूली हेतु कृत कार्यवाही का विवरण	उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति आदेश की संख्या एवं तिथि	प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि	समायोजन हेतु अग्रिम की अवशेष धनराशि यदि कोई हो	अग्रिम की अवशेष धनराशि यदि कोई हो जमा करने संबंधी ट्रेजरी चालान की संख्या एवं तिथि तथा जमा की गयी धनराशि	समायोजन बिल की संख्या एवं तिथि	आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा जांच के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

अनिवार्यता प्रमाण पत्र

वाह्य रोगी/अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

1. मैं डा0 ....प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता .... जो .... रोग से पीड़ित है/थे व मेरे उपचार में वाह्य रोगी के रूप में तथा/अथवा अन्तः रोगी के रूप में दिनांक ....से .... तक रहें।
2. मरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न बाउचर के अनुसार है रोगी की स्थिति में सुधार/निवारण के लिये आवश्यक थी। इसमें ऐसी औषधि सम्मिलित नही है जिसके लिये समान थैरोप्यूटिक एफैक्ट वाला सस्ता पदार्थ उपलब्ध है न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित है जो प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ, टायलेटरीज व डिसाइन्फेक्टेन्ट है।
3. **<u>उपचार पर व्यय का विवरण :</u>**

(क) औषधि पर व्यय	रू0 ....
(ख) पैथोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0 ....
(ग) रेडियोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0 ....
(घ) विशेष परीक्षण पर व्यय	रू0 ....
(च) शल्य क्रिया पर व्यय	रू0 ....
(छ) अन्य व्यय (विवरण सहित)	रू0 ....
योग	रू0 ....

4. रोगी को चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किये जाने की आवश्यकता थी/नही थी।
5. संलग्नक :— मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित/अभिप्रमाणित बिल/बाउचर संख्या ....

हस्ताक्षर

चिकित्सक या शल्यक चिकित्सक
नाम योग्यता सहित सील

आकस्मिक स्थिति में बिना संदर्भण के अराजकीय चिकित्सालय में उपचार करने की दशा में प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो ....रोग से पीड़ित था/थी एवं उन्हे आकस्मिक स्थिति में तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी व मेरे उपचाराधीन है/रहे।

प्रतिहस्ताक्षर
प्राधिकृत चिकित्सक

हस्ताक्षर
चिकित्सक या शल्य चिकित्सक
नाम योग्यता सहित सील

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... ने .... चिकित्सालय में उपचार किया था तथा दी गई चिकित्सा सुविधा आवश्यक उपचार हेतु न्यूनतम थी।

हस्ताक्षर
प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी

परिशिष्ट–17

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं जलागम अनुभाग
संख्याः 95 338(5)/कृषि एवं जलागम/2004
देहरादूनः दिनांक 29 जनवरी 2004

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 45/एस0आ0एफ0आर0डी0सी0/जलागम दिनांक 17 मार्च 2001 के द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित जलागम विकास परियोजनाओं में समन्वय, अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए अन्तरविभागीय टास्क फोर्स का गठन सचिव जलागम/मुख्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में किया गया था, सभी सम्बन्धित विभाग जलागम विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं को केन्द्र सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण हेतु अनिवार्य रूप से टास्क फोर्स के माध्यम से ही भेजेगें, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषण हेतु भेजने से पूर्व टास्क फोर्स से सहमति प्राप्त कर लें, सचिव, जलागम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 101/व0ग्रा0वि0 दिनांक 24 मई, 2002 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायित्व एवं कार्यों का निर्धारण किया गया था, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 252/व0ग्रा0वि0 दिनांक 20 अगस्त, 2002 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय को जलागम प्रबन्ध की समस्त परियोजनाओं के समन्वयन, नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, जलागम प्रबन्धन की प्रस्तावित योजनाओं को परीक्षणोपरान्त भारत सरकार को भेजने के लिए नोडल विभाग नामित किया गया, निदेशालय में गठित टास्क फोर्स द्वारा जलागम प्रबन्ध से सम्बन्धित डी0पी0ए0पी, आई0डब्ल्यू0ए0पी0, एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 तथा अन्य सभी जलागम परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा ही की जायेगी, इसके साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य भी जलागम प्रबन्ध निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा।

2 उपरोक्त तीन शासनादेशों के प्राविधानों के तहत संक्षिप्त में जलागम प्रबन्ध निदेशालय कार्यों एवं कर्त्तव्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

2.1 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित जलागम विकास योजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुमोदित करना।

2.2 परियोजना के लिए प्रस्तावित कार्यदायी संस्था को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आंकलन कर अनुमोदित करना।

2.3 प्रत्येक जनपद में क्रियान्वित जलागम विकास योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, मूल्यांकन रिपोर्ट का मासिक एवं वार्षिक अनुश्रवण करना।

2.4 जलागम अवधारणा से प्राकृतिक संसाधन विकास, ग्राम्य विकास, आय सृजन विषयों पर Good Practices का प्रचार एवं प्रसार जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा ग्राम्य विकास अभिकरण को अवगत कराया जायेगा।

2.5 राज्य में क्रियान्वित, विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित, समस्त जलागम प्रबन्धन एवं विकास की योजनाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का Database जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा रखा जायेगा तथा सभी को मांग पर उपलब्ध कराया जायेगा, आवश्यकता पड़ने पर जलागम विभाग द्वारा Hard and Soft copy न्यूनतम मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध करायी जायेगी।

2.6 जलागम प्रबन्धन की योजनाओं में कार्य कर रहे समस्त राजकीय कर्मचारियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण विषयों की आवश्यकता का विश्लेषण तथा प्रशिक्षणों का समन्वयन जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा किया जायेगा, प्रशिक्षण के लिए धनराशि परियोजना मद से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी,

अतः जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3 अपर सचिव, भूमि संसाधन विभाग ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी अपने अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 K 11011/64/2000 IWDP (D-II) दिनांक 26–8–2003 द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि IWDP व DPAP परियोजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यदायी संस्थाओं के चिन्हीकरण व इन योजनाओं के समन्वय आदि का कार्य प्रदेश की जलागम प्रबन्ध निदेशालय के माध्यम से ही सम्पादित किये जायें।

4 मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वार्षिक बजट, पंचवर्षीय योजना के लिए बजट प्राविधान तथा महालेखाकार द्वारा संप्रेक्षा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यथावत नियंत्रित किया जायेगा।

5 राज्य में क्रियान्वित सभी जलागम प्रबन्धन एवं विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित सभी प्रकार के जलागम प्रबन्ध एवं जलागम विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता के विषय पर मुख्य विकास अधिकारी के कार्य के बारे में मुख्य परियोजना निदेशक द्वारा वार्षिक मन्तव्य अंकित किया जायेगा जिसे ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनिवार्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक मूल्यांकन में समाविष्ट किया जायेगा, इसी प्रकार कृषि विभाग, में कार्यरत जलागम ईकाईयों के बारे में भी मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा सहायक जलागम निदेशक के कार्य की

गुणवत्ता के बारे में वार्षिक मन्तव्य अंकित किया जायेगा जिसे कृषि विभाग द्वारा सहायक जलागम निदेशक की वार्षिक मूल्यांकन में अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जायेगा।

6 कृपया उपरोक्त निर्देशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, जलागम विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सहायक जलागम निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

परिशिष्ट–18

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या 186/
देहरादूनः दिनांक 9 मार्च/2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में जलागम प्रबन्ध की समस्त योजनाओं यथा NWDPRA, DPAP, IWDP, RVFP आदि के प्रभावी अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 45 दिनांक 17–3–2001 द्वारा गठित राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध समिति को सहयोग देने के उद्देश्य से कृषि एवं जलागम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 101 दिनांक 29–10–2001 में आंशिक संशोधन करते हुए जलागम प्रबन्ध योजनाओं के 'मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उप समिति' का गठन निम्न प्रकार किया जाता है–

1. अपर सचिव, कृषि एवं जलागम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, ग्रामय विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
4. उप परियोजना निदेशक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण), जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून (संयोजक)।

यह समिति जलागम विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा सचिव, जलागम एवं वन व ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत करेगी।

समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं की नियमित समीक्षा की जायेगी–

1. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्रगति समीक्षा।
2. कार्यदायी संस्था के पास तकनीकी दक्षता एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों की संस्था का आंकलन तथा उनके द्वारा कार्य करने की प्रणाली का मूल्यांकन।
3. सहभागिता प्रबन्धन, स्वयं सहायता समूहों, यूजर्स ग्रुप, आदि ग्राम स्तरीय संस्थाओं के गठन तथा उनके कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन।
4. क्षमता विकास तथा मानव संसाधन विकास के प्रयास तथा प्रगति समीक्षा।
5. परियोजना कार्यों में पंचायती राज संगठनों की सहभागित।
6. भारत सरकार तथा राज्य सरकार को निर्धारित प्रपत्रों में सूचना प्रेषण तथा कियान्वित परियोजनाओं का मूल्यांकन।
7. परियोजना के अंतर्गत किये गये कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन तथा विद्ड्राल प्लान।

इन मुख्य बिन्दुओं के अनुश्रवण हेतु सूचना का प्रारूप इस समिति द्वारा बनाकर सचिव, जलागम से अनुमोदन के उपरान्त सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 (जिला स्तरीय जलागम विकास समिति), समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, निदेशक/अपर निदेशक कृषि, समस्त वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि वे समस्त जलागम प्रबन्ध/विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रतिमाह 3 तारीख को मुख्य

परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून के कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कापी (एम0एस0आफिस) में प्रस्तुत करेंगे।

उक्त समिति द्वारा यथावश्यकता स्थलीय निरीक्षणों के आधार पर भी समीक्षा एवं अनुश्रवण की कार्यवाही की जायेगी।

(विभापुरी दास)
प्रमुख सचिव/आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्याः— 186/ग्रा0वि0अनु0/2004, दिनांकित।
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त सदस्य मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उप समिति।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/अपर निदेशक वन एवं ग्राम शाखा।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
6. समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सचिव, अपर सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(बी0पी0पाण्डेय)
सचिव
जलागम विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या : 118 / वि0अनु0—5 / स्टाम्प / 2004

प्रेषक,
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,
महानिरीक्षक, निबन्धन

उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग — 5 देहरादून दिनॉक : 31 मार्च, 2004

विषय : कार्य संविदा से संबधित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या—क0सं0वि0—5—714(1) / 11—99, दिनांक 01.04.1999 एंव इसी क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धन, उ0प्र0 के परिपत्र—3511 / महा0नि0नि0 / 2002—2003, दिनांक 30.12.2002 के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची—1 बी के अनुच्छेद—40 (क) तथा अनुच्छेद—57 का निर्वचन करते हुए कार्य संविदा (कान्टैक्ट इन्स्ट्रैमेंन्ट) से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेख में निषादित की जाने वाली प्रतिभूति के आधार पर निम्नवत् स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया थाः—

1. प्रतिभूति नगद धनराशि होने पर, अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1—बी, के अनुच्छेद 40 (क) के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात रू0 125 / — प्रति हजार की धनराशि पर।
2. एफ0डी0आर0, एन0एस0सी0 आदि होने पर अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1—बी के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात रू0 70 / — प्रति हजार की धनराशि पर।
3. बैक गारन्अी होने पर अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1—बी के अनुच्छेद 12—क के अनुसार देय होगा अर्थात रू0 5 / — प्रति हजार की धनराशि पर परन्तु अधिकतम स्टाम्प रू0 10,000.00 देय होगा।
4. अनुबन्ध के पक्षों से भिन्न से तृतीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध सम्पादित होने के विषय में दी गई जमानत के विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1—बी के अनुच्छेद 57 के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात एक सौ रूपये।

2— विषयगत सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या—1010 / एम0 / बी0 / 2003, आदित्य इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड बनाम राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय ने इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा तेजवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश का संज्ञान लेते हुये दिनॉक 29.10.2003 को इस आशय पारित किये कि कार्य संविदा लिखतों पर बाजाऊ कीमत (Ad-Valorem) आधारित स्टाम्प ड्यूटी आरोपित न करते हुये प्रत्येक लिखत पर रू0 100.00 की दर से निधौरित की जाय एवं तत्सम्बन्धी आदेश भी पारित किये जायें। माननीय न्यायालय के सन्दर्भगत आदेश में कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेखों को जमानत पत्र मानते हुये ऐसे जामानत पत्रों पर रू0 100.00 का

स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने के निर्देश पारित किये। इस प्रकार माननीय न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1 बी के अनुच्छेद–40 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत निर्धारित स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता, जमानत विलेख मानते हुये रू0 100.00 निर्धारित कर गयी है। माननीय न्यायालय के सन्दर्भत आदेशों के उपरान्त कविपय अन्य याचिकाएं भी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर हुयी, जिन पर भी माननीय न्यायालय ने उल्लिखित आदेश दिनॉक 29.10.2003 को पारित आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश पारित किये।

3– विषयग तमामले में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनॉक 29.10.2003 का समादर करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के अग्रिम आदेशों/इसी विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से अन्यथा प्राप्त, होने वाले निर्देशों (उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दायर की जा रही विशेष अनुज्ञा याचिका के दृष्टिगत) तक कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलखों को जमानत पत्र मानते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1 बी के अनुच्छेद–57 से आच्छादित समझते हुये ऐसे जमानत पत्रों पर एक मुश्त रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

4– शासन के उपर्युक्त निर्णयानुसार सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को अपने स्तर से समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, साथ ही विषय से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित समस्त रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय को शपथ–पत्र के माध्यम से अवगत भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या : 118(1)/ वि0अनु0–5/स्टाम्प/2004, तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनॉक 06.12.2003 के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही के अनुरोध सहित।
4. सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन–उधमसिंहनगर को इस निर्देश सहित कि वे विषय से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित समस्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय को शपथ–पत्र के माध्यम से अवगत कराने के क्रम में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से तत्काल सर्म्पक का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
जलागम अनुभाग
संख्या 353 / कृषि एवं जलागम
देहरादूनः दिनांक 08.04.2004

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न परियोजना निदेशक कार्यालयों / मुख्यालयों, उप परियोजना निदेशक कार्यालयों / मुख्यालयों एवं इकाइयों की स्थापना की जानी है। इसके अन्तर्गत उक्त कार्यालयों तथा फील्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न वर्गो के राजपत्रित / अराजपत्रित, अधिकारियों / कर्मचारियों के जो पद प्रस्तावित किये गये हैं, उन पर विभिन्न विकास विभागों यथा कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, पशुधन, वन, उद्यान, लघु सिचांई आदि से सम्बन्धित विशिष्टियों के कुशल एवं योग्य अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन कर उन्हें प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण पर लिया जाना है। इस प्रकार से चयनित अधिकारी / कर्मचारी जलागम प्रबन्ध निदेशालय में प्रतियुक्ति पर लिये जायेंगे तथा अपने सेक्टर से सम्बन्धित योजनाओं, कार्यक्रमों का सफल संचालन एवं कार्यान्वयन करेंगे।

अतः राज्यपाल महोदय राज्य मुख्यालय स्तर पर तथा निदेशालय स्तर पर कार्मिक अनुभाग की प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रारम्भ में 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति /सेवा स्थानांतरण पर तैनाती के लिए चयन हेतु निम्न समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते है।

(अ) राजपत्रित पदों हेतु–

1. सचिव, जलागम प्रबन्ध
2. मुख्य परियोजना निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी,
3. प्रमुख वन संरक्षक या उनके द्वारा नामित अधिकारी,
4. निदेशक,कृषि विभाग, उत्तराखण्ड
5. निदेशक,उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड
6. निदेशक,पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
7. अपर सचिव ग्राम्य विकास विभाग

(ब) अराजपत्रित पदों हेतु–

1. उप मुख्य परियोजना निदेशक
2. अपर सचिव, जलागम प्रबन्ध
3. परियोजना निदेशक (प्रशासन), जलागम
4. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग
6. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग

कर्मियो का चयन योग्यता व प्रासंगिक अनुभव के आधार पर किया जायेगा। राजपत्रित पदों पर तैनाती शासन स्तर से जलागम प्रबन्ध विभाग द्वारा की जायेगी तथा अराजपत्रित पदों पर तैनाती मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा की जायेगी। कर्मियों के चयन हेतु अर्हताएं निम्न प्रकार होगीः–

1. शैक्षिक योग्यता– विभागीय मानकों के अनुसार
2. आयु– 1 सितम्बर 2004 को जलागम निदेशालय के मुख्यालय के पदों हेतु 58 वर्ष से अनधिक तथा इन पदो के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु 52 वर्ष से अनधिक।
3. अनुभव– 3 वर्ष (ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों जिन्हें जन सहभागिता कार्यक्रमों / ग्राम्य विकास कार्यक्रमों / जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं / फार्मिग सिस्टम विकास कार्यक्रमों यथा

कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, को सम्यक वरीयता दी जायेगी)

4. गत 5 वर्षो की चरित्र प्रविष्टियॉ संतोषजनक हों।
5. सतकर्ता जॉच प्रचलित / लम्बित न हो।
6. कोई अनुशासनिक कार्यवाही न चल रही हो
7. चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हों।
8. जलागम प्रबन्ध निदेशालय में तैनात कर्मियों के सम्बन्ध में उनके वरिष्ठ अधिकारियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखा जायेगा।

परियोजना में स्वीकृत पदों (जिन पर कर्मियों को प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थान्तरण पर लिया जाना है) एवं अर्हताओं का विवरण संलग्नक–1 पर दिया गया है तथा परियोजना क्षेत्रों का विवरण जहॉ कर्मियों की तैनाती होगी का विवरण संलग्नक–2 पर दिया गया है। परियोजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण पर तैनात कर्मियों को वेतन के साथ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनतर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ते आदि देय होगें, साथ ही प्रोत्साहन पैकेज के रूप में परियोजना भत्ता एवं उन कर्मियों को जिन्हें राजकीय आवास आवंटित नही है, विशेष मकान किराया भत्ता देय होगा।

यह उल्लेखनीय है कि पदों की संख्या विभागवार फांट, यूनिटों की संख्या तथा मुख्यालय पर वांछित पदों का विवरण अनन्तिम है। अन्तिम स्थिति प्रोजेक्ट एग्रीमेंन्ट हस्ताक्षर होने तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के बाद स्पष्ट होगी।

इच्छुक कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर सम्पूर्ण विवरणों / वांछित अभिलेखों के साथ अपने विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्राप्त कर परियोजना निदेशक (प्रशासन) को निम्न पते पर 15 मई 2004 तक भिजवाने का कष्ट करे।

परियोजना निदेशक (प्रशासन),
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड)
पिन कोड– 248006

बी0पी0 पाण्डेय
सचिव

संख्या जलागम अनुभाग / 2004 / तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष शासन।
3. समस्त बोर्ड / निगम उत्तराखण्ड
4. समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
5. समस्त संस्थान, उत्तराखण्ड
6. समस्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन
7. समस्त जिलाधिकारी , उत्तराखण्ड
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड
9. आयुक्त गढ़वाल / कुमायूँ।

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

संलग्नक –1

प्रस्तावित पदों का विवरण जिन पर कार्मिको को सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना है।

क्रम संख्या	**पदनाम**	**वेतनमान**	**पदों की संख्या**
1	2	3	4
	तकनीकी पद		
	वानिकी		
1.	सहायक वन संरक्षक	8000–13500	6
2.	उप राजिक	4000–6000	4
3.	वन दरोगा	3050–4590	24
4.	वन रक्षक	2750–4400	16
	योग		**52**
	फार्मिग सिस्टम		
1.	संयुक्त निदेशक (उद्यान/कृषि)	12000–16500	1+1
2.	उद्यान अध्किारी /कृषि अधिकारी	8000–13500	4+4
3.	सहायक विकास अधिकारी (उद्यान/कृषि	4500–7000	12+12
4.	सहायक कृषि निरीक्षक	3200–4900	24
5.	माली	2550–3200	24
	योग		**82**
	सिविल अभियन्त्रण		
1.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000–13500	2
2.	अवर अभियन्ता (सिविल)	5000–8000	6
3.	अवर अभियन्ता (कृषि)/ प्राविधिक सहायक (भूमि संरक्षण)	5000–8000	6
4.	सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षण	3200–4900	24
	योग		**38**
	पशुपालन		
1.	संयुक्त निदेशक, पशुपालन	12000–16500	1
2.	पशु चिकित्साधिकारी	8000–13500	6
3.	पशुधन प्रसार अधिकारी	4000–6000	24
	योग		**31**
	योग तकनीकी पदः–		**203**

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
	समान्य पद		
1.	परियोजना निदेशक	16400—20000	3
2.	उप परियोजना निदेशक	10000—15200	11
3.	उप परियोजना निदेशक (Environment Specialist)	10000—15200	1
4.	सहायक निदेशक (ई0एस0ए0 यूनिट)	8000—13500	1
5.	सहायक निदेशक (डाक्यूमेंटेशन)	8000—13500	1
6.	सहायक निदेशक (पी0एम0यू0)	8000—13500	1
7.	वित अधिकारी	8000—13500	4
8.	परियोजना अर्थशास्त्री	8000—13500	1
9.	यूनिट अधिकारी	5500—9000 (कार्य अनुभव 3 वर्ष या 5000—8000 (कार्य अनुभव 5 वर्ष)	24
	योग अन्य पद		47
	कार्यालय पद		
1.	वरिष्ठ सांखियकीय सहायक	5500—9000	4
2.	प्रभागीय लेखाकार	5000—8000	9
3.	सांख्यिकीय सहायक	5000—8000	8
4.	सर्वेयर	4500—7000	4
5.	माचित्रकार	4000—6000	6
	योग कार्यालय पदः—		**31**
	महायोगः—		**281**

नोट— उक्त सभी पदों पर चयन/ तैनाती हेतु सभी विभाग यथा कृषि, वन, उद्यान, पशुपालन सिंचाई, लघु सिंचाई, लोक निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण, ग्राम्य विकास, पंचायत आदि के अधिकारी /कर्मचारी आवेदन कर सकते है।

संयुक्त निदेशक उद्यान/कृषि/पशुपालन का पद एवं सामान्य पद क्र0 सं. 3,4,5,6,8 तथा क्र0 सं0 1व 7 के एक—एक पद, क्रम0सं0 2 के 5 पद जलागम निदेशालय, मुख्यालय के है, अन्य सभी फील्ड के पद है।

संलग्नक –2

परियोजना क्षेत्र का विवरण जहॉ पर स्टाफ की तैनाती होगी–

विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियंत्रण में प्रदेश के दस जिलों (देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत) में कार्यान्वित की जानी है। परियोजना का फील्ड में क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना है। जिलेवार ब्लाक के नाम जिनके क्षेत्र परियोजनान्तर्गत आते है। निम्नानुसार है–

जिला	**ब्लाक**
अल्मोड़ा	भिकियासैण, चौखुटिया, द्वाराहाट
बागेश्वर	बोश्वर, गरूड़, कपकोट
चम्पावत	लोहाघाट
पिथौरागढ़	गंगोलीहाट, मूनाकोट, विंण
देहरादून	कालसी
उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़
टिहरी गढ़वाल	जौनपुर, थौलधार
रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनी
चमोली	गैरसैण, कर्णप्रयाग
पौड़ी गढ़वाल	द्वारीखाल, जहरीखाल

इन क्षेत्रों को दो परिक्षेत्र, गढ़वाल(मुख्यालय मुनिकीरेती), व कुमाऊॅ (मुख्यालय हल्द्वानी) में विभाजित किया गया है। हर परिक्षेत्र में 4 प्रभाग होगें। हर प्रभाग में 4 इकाई होगी। प्रभाग के इंचार्ज उप परियोजना निदेशक होगे।

इन प्रभागों में से दो प्रभागों में अनुबंधित स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जायेगी एवं शेष छः प्रभागों में उप परियोजना निदेशकों द्वारा मल्टीडिसिप्लीनरी टीम की सहायता से ग्राम पंचायत के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। उप परियोजना निदेशकों/ प्रभागों के मुख्यालय निम्नुसार प्रस्तावित है–

I- गढ़वाल परिक्षेत्र

1. कर्णप्रयाग
2. चिन्यालीसौड़
3. कालसी/विकासनगर
4. कोटद्वार

II- कुमाऊॅ परिक्षेत्र

1. लोहाघाट
2. गंगोलीहाट/ पिथौरागढ
3. द्वाराहाट
4. बागेश्वर

उक्त प्रभागों में कहीं भी स्टाफ की तैनाती की जा सकती है। यह तैनाती कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम परियोजना अवधि तक की जा सकती है। अनुपयुक्तता की स्थिति में किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को 3 वर्ष से पूर्व कभी भी वापस किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रभागों के मुख्यालय अनन्तिम है।

"संलग्नक–3"

प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थान्तरण पर भरे जाने वाले सामन्य पदों हेतु अर्हताओं का पदवार विवरण (यह अर्हतायें शासनादेश में वर्णित अर्हताओं के अतिरिक्त होंगी)

1. परियोजना निदेशक (वेतनमान– 16400–20000)

1. राज्य सेवा/ अखिल भारतीय सेवा में सदृश पद व वेतनमान रू0 16400–22000 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव
2. Rural Management में डिग्री/ डिप्लोमा।

2. उप परियोजना निदेशक (वेतनमान– 10000–15200)

1. राज्य सेवा/ अखिल भारतीय सेवा में सदृश पद व वेतनमान रू0 10000–15200 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 म को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/ जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव
2. Rural Management में डिग्री/ डिप्लोमा।

3. उप परियोजना निदेशक (Environment Specialist) **(वेतनमान– 10000–15200)**

1. राज्य सेवा/ अखिल भारतीय सेवा में सदृश पद व वेतनमान रू0 10000–15200 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।
3. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Life Sciences यथा जीव विज्ञान/कृषि/वानिकी/ औद्यानिकी/मत्स्य आदि में स्नातकोत्तर डिग्री।
4. Environmental Impact Assessment से सम्बन्धित विभाग/ कार्यक्रमों में कार्य करने का अनुभव हो।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/ जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिंग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव
2. Rural Management में डिग्री/ डिप्लोमा।

4. सहायक निदेशक (डाक्यूमेंटेशन) (वेतनमान– 8000–13500)

1. राज्य सेवा में सदृश पदधारी हों या वेतनमान रू0 8000–13500 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।
3. डाक्यूमेन्टेशन, मीडिया मैनेजमेंट एवं तकनीकी प्रचार प्रसार का अनुभव।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/ जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिंग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव
2. पत्रकारिता में डिग्री/ डिप्लोमा।

5 सहायक निदेशक (ई0एस0ए0) (वेतनमान– 8000–13500)

1. राज्य सेवा/अखिल भारतीय सेवा में सदृश पद व वेतनमान रू0 8000–13500 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।
3. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Life Sciences/ Sociology में स्नातक डिग्री।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/ जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिंग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव
2. Environment/Social Impact Assessment से सम्बन्धित विभाग /कार्यक्रमों में कार्य करने का अनुभव हों।

6 सहायक निदेशक (पी0एम0यू0) (वेतनमान– 8000–13500)

1. राज्य सेवा में सदृश पदधारी हों या वेतनमान रू0 8000–13500 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/ जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिंग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव
2. Rural Management में डिग्री/ डिप्लोमा।

7 वित्त अधिकारी (वेतनमान– 8000–13500)

1. राज्य लेखा सेवा में नियमित आधार पर सदृश पद व वेतनमान रू0 8000–13500 में कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।

वांछनीय–

1. वाह्य सहायतित परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव।

8 परियोजना अर्थशास्त्री (वेतनमान– 8000–13500)

1. राज्य सेवा में नियमित आधार पर वेतनमान रू0 8000–13500 के पद पर कार्यरत हों।
2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।
3. गणित /सांख्यिकी के साथ स्नातक हों।
4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/आर्थिक विश्लेषण सम्बन्धी कार्य करने का अनुभव हो।

वांछनीय–

1. सांख्यिकी/अर्थशास्त्र (सांख्यिकी के साथ) स्नातकोत्तर उपाधि धार हों।
2. कम्प्यूटर का ज्ञान व डाटा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य करने का अनुभव हो।
3. Rural Management में डिग्री/ डिप्लोमा।

9 यूनिट अधिकारी वेतनमान रू0 5500–9000)

1. राजकीय सेवा का नियमित कर्मचारी हो व अपने विभाग/काडर में 5500–9000 वेततनमान के पद पर कार्यरत हों।

   (कार्य अनुभव 3 वर्ष)

   या

   अपने विभाग में 5000–8000 वेतनमान के पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों।

   (कार्य अनुभव 5 वर्ष)

2. 30 सितम्बर 2004 को आयु 52 वर्ष से अनधिक हो।

वांछनीय–

1. जन सहभागिता कार्यक्रमों/ग्राम्य विकास कार्यक्रमों/जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं/ फार्मिग सिस्टम्स विकास कार्यक्रमों यथा कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन आदि में कार्य करने का अनुभव।

नोट– आयुः– 1 सितम्बर 2004 को जलागम निदेशालय के मुख्यालय के पदों हेतु 58 वर्ष से अनधिक तथा इन पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु 52 वर्ष से अनधिक।

प्रपत्र

1. आवेदित पद ....
2. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों मे)..
3. जन्मतिथि (दिदि/मम/वव)..
4. डाक का पता ....
5. पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष संख्या सहित..
6. कार्यालय का पता, दूरभाष संख्या सहित..
7. शैक्षिक योग्यता–

उत्तीर्ण परीक्षा	**विश्वविद्यालय**	**उत्तीर्ण होने का वर्ष**	**विषय**	**श्रेणी**	**प्राप्तांकों का %**

8. सेवा में विवरण, कालमक्रमानुसार

कार्यालय/धारित पद संस्थान/संगठन	**से**	**तक**	**वेतनमान और मूल वेतन**	**कार्यभारों का स्वरूप**

9. वर्तमान सेवा का स्वरूप..
10. जन सहभागिता/ग्राम्य विकास कार्यक्रम / जलागम प्रबन्ध परियोजना / फार्मिग सिस्टम आदि कार्यक्रमों में अनुभव का विवरण ....
11. प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि हों और उसका विवरण..
12. यदि वर्तमान सेवा प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर धारित है, कृपया बताएं

    (क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि ....
    (ख) प्रतिनियुक्ति /अनुबध की अवधि ....
    (ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे सम्बन्धित हैं...

13. कोई अन्य संबद्व सूचना जो आप देना चाहते है

(आवेदन के हस्ताक्षर)

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

1. श्री/ डा0 ....

1. द्वारा ऊपर दिए गए सेवा विवरण सही है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरूद्व कोई सतर्कता मामला/ अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित/विचाराधीन नहीं है
3. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति पद पर चयनित हाने की दशा में अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थानः
तिथिः

हस्ताक्षर
पदनाम और कार्यालय मुहर

परिशिष्ट–19

संख्या 09 / एस.जी.आर.वाई. / 20 प्रतिशत / 2003–04

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, **ग्राम्य विकास विभागः देहरादूनः दिनांकः 20 अप्रैल, 2004**

1. **विषयः– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की धारा प्रथम व द्वितीय तथा डी.पी.ए.पी. एव** जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।

आई. डब्ल्यू.डी.पी.योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का 40 प्रतिशत भाग जल संरक्षण एवं जल संबर्द्धन हेतु मात्राकृत किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में व्याप्त सूखे के कारण जलश्रोत सूखने की सूचनाऐं प्राप्त हो रही हैं। सूखे की इस भीषण स्थिति को मध्यनजर रखते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की धारा प्रथम व द्वितीय के अन्तर्गत जनपदों को प्राप्त धनराशि का 40 प्रतिशत भाग नैसर्गिक जलश्रोतों के संरक्षण एवं संबर्द्धन हेतु मात्राकृत किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अतः वर्ष 2004–05 हेतु उक्त मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के 40 प्रतिशत धनराशि का उपयोग उक्त कार्य हेतु किया जाय। इस हेतु ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को तत्काल योजनाऐं तैयार करने के निर्देश प्रसारित किये जाये।

2. यदि जनपद स्तर पर डयरेक्टरी आफ वर्क्स तैयार हो, तो उनमें से प्राथमिकतानुसार जल संरक्षण एवं संबर्द्धन सम्बन्धी योजनाओं का कियान्वयन उक्त मात्राकृत धनराशि से किया जाय, इससे जहॉ एक ओर जलश्रोतों का संरक्षण किया जा सकेगा, वहीं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की भॉति डी0पी0ए0पी0 तथा आई0डब्लू0डी0पी0 योजना में भी जल संरक्षण एवं संबर्द्धन के कार्य को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक चयनित वाटरशेड में ऐसी योजनायें तैयार की जायं जिनसे सूखे की भीषतम स्थिति में भी पेयजल अथवा सिंचाई की समस्या का निदान किया जा सके। इस हेतु कुल प्राप्त धनराशि का 40 प्रतिशत जल संरक्षण कार्यों पर व्यय किया जाय।

4. सूखे की प्रबल सम्भावना को देखते हुए जनपद स्तर पर निम्न प्राथमिकतानुसार सुनिश्चित किये जायें।

4.1 ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के अन्तर्गत जल संरक्षण/संबर्द्धन हतु क्रियाकलापों का चयन मई प्रथम सप्ताह तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

4.2 सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार परक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा रोजगार सृजन की आवश्यकताओं का आंकलन भी मई प्रथम सप्ताह तक कर लिया जाय।

4.3 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, डी0पी0ए0पी0 तथा आई0डब्लू0डी0पी0 योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से तत्काल कार्य प्रारम्भ करा दिये जायें, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत स्तरों पर जल संरक्षण संबंधी कार्य माह जून तक पूर्ण करा लिये जॉय तथा डी0पी0ए0पी0 एवं आई0डब्लू0डी0पी0 योजना अन्तर्गत मात्राकृत धनराशि का 25 प्रतिशत जून तक उपयोग कर लिया जाय। जिससे माह जून तक निर्माण कार्य पूर्ण करा कर अपेक्षित लाभ प्राप्त किया जा सके।

4.4 प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उक्त कार्य हेतु पृथक से किसी एक अधिकारी को उत्तरदाई बनाये, जो प्रत्येक माह उक्त कार्य का प्रगति विवरण ग्राम्य विकास निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराये।

4.5 यदि सम्भव हो तो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सूखा राहत नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना 25 अप्रैल तक की जाय, जो समय –समय पर विकास खण्डों तथा शासन के मध्य सम्पर्क स्थापित करे। नियंत्रण कक्षों के दरभाष नम्बर निदेशालय एवं शासन को भी अवगत कराये।

4.6 शासन स्तर पर सूखे से संबंधित नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष एवं फैक्स नम्बर निम्नवत हैं।

फोन नम्बर– 0135–2710232, 2710233,फैक्स– 0135–2710199

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 5 मई 2004 तक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायतों से योजनाऐं प्राप्त कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए ग्राम्य विकास निदेशालय एवं शासन को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी को आवश्यक अनुश्रवण हेतु।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड को आवश्यक अनुश्रवण हेतु
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमॉऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, कृषि एवं जलागम।
7. अपर सचिव, ग्राम्य विकास।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

"परिशिष्ट–1"

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 371/418(5)/कृषि एवं जलागम/2004/दि021.4.2004का संलग्नक

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को अनुमन्य प्रोत्साहन पैकेज का विवरण।

विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना मे संचालन/कार्यान्वयन हेतु निदेशालय (मुख्यालय) व जनपदों में तैनात होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साहन पैकेज के रूप में निम्न भत्ते अनुमन्य होगें।

1. परियोजना भत्ता

कम संख्या	**कर्मचारी श्रेणी**	**प्रस्तावित परियोजना भत्ता (मासिक)**
(क)	कर्मचारी जिनके मूल वेतन का अधिकतम रू0 4400 तक प्रतिमाह है	600.00
(ख)	कर्मचारी जिनके मूल वेतन का अधिकतम रू0 4401–7999 तक प्रतिमाह है	800.00
(ग)	कर्मचारी जिनके मूल वेतन का अधिकतम रू0 8000–15199 तक प्रतिमाह है	1200.00
(घ)	कर्मचारी जिनके मूल वेतन का अधिकतम रू0 15200 या इससे अधिक प्रतिमाह है	1500.00

2. **मकान किराया भत्ता–** मकान किराया भत्ता ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें परियोजना द्वारा अथवा सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता किराये के मकान में रहने वाले अथवा अपने निजी आवास में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा देय किराया की दर के दुगने या वास्तविक किराया जो भी कम हो अनुमन्य होगा।
3. **चिकित्सा भत्ता–** प्रतिवर्ष परियोजना के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक माह की परिलब्धियों की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को स्वयं, उनके परिवार, पति, पत्नी, सन्तानें तथा माता–पिता के इलाज के संबंध में सक्षम चिकित्साधिकारी के prescription पर व वाउचर प्रस्तुत करने पर देय होगा। परिलब्धि का तात्पर्य मूल वेतन+ मंहगाई भत्ता से है।
4. **सेलफोन व्यय की प्रतिपूर्ति–** परियोजना के दुर्गम स्थानों पर कार्य की सुविधा हेतु यूनिट स्तर तक मोबाईल सुविधा हेतु निम्नानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह की दर से की जायेगी।
   1. यूनिट इंचार्ज –रू0 500.00
   2. उप परियोजना निदेशक –रू0 1000.00
   3. परियोजना निदेशक एवं उच्च स्तर –रू0 1500.00

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
जलागम अनुभाग
संख्या 371/418(5) कृषि एवं जलागम/2004
देहरादूनः दिनांक : 21 अप्रैल, 2004

कार्यालय ज्ञाप

विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना जलागम प्रबन्ध निपदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संचालित की जानी हैं इस परियोजना के संचालन/ कार्यान्वयन हेतु निदेशालय (मुख्यालय) व जनपदों में तैनात होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त मद पर होने वाला व्यय विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के बजट से वहन किया जायेगा।

– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : 57 /2004/वित्त अनु0 2/दिनांक 20.4.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

बी0पी0 पाण्डेय
सचिव,

संख्याः /जलागम अनुभाग / 2004 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. मुख्य परियोजना निदेशक , जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–2
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड

आज्ञा से

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

F.No . 8-227/87-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi road
New Delhi- 110003
Dated: 18th June 2004

To,

1. The Principal Secretary (Forests)
2. The Principal Chief Conservator of Forests
   (All States) / UTs

Sub: Diversion of Forests land for non- forest purposes under the Forest (conservation) Act. 1980- preparation and Implementation of Catchment Area Treatment (CAT) Plan- reg.

Sir,

The Ministry of Environment & Forest has been stipulating the condition of preparation and implementation of Catchment Area Treatment Plan in cases related to diversion of forest land for medium and major irrigation projects and for hydro-electric power projects. The catchment Area Treatment Plan is an essential document as it portrays the ecological health of the catchment area and various soil & moisture conservation and watershed management programmes required to arrest soil erosion, to improved free drainage in the area and to rejuvenate the degraded eco system in the catchment. However, it has been observed that the Catchment Area Treatment Plan have not made significant impact on the ecology of the area, at many places as it is not focused on site specific treatment . It is therefore suggested that while formulating the Catchment Area Treatment Plant following aspects should also be considered.

1- In the dense forest area major concentration should be on soil & water conservation including water harvesting for which various water harvesting structures like check dams, gully plugging, gabion dams, contour trenches and vegetative structures should be made.
2- In the open forest besides taking up soul & water conservation measures plantation of local indigenous tree and shrub species should be done. In higher altitudes *Devdar* can be planted but plantation of *Chir* should be avoided.
3- A lot of pressure of the cattle is on revenue forest/ civil soyam forest and these forest form an important component of the catchment. The CAT plan should therefore, include a component of fodder development on the civil soyam forest or on revenue/ private lands in order to meet the requirement of fodder/ small timber / firewood and in turn reduce pressure on Reserve Forest for the purpose.
4- Plantation of rare/medicinal species should also be taken up.
5- The CAT plan should invariably have a component for socio- economic component like supply of gas connection to the project affected families. This component should be implemented through Van Panchayats or Joint Forest Management committees.
6- The infrastructure component like construction of buildings. vehicles, salaries of staff etc. should constitute a very small percentage of the CAT plan as the main emphasis in on soil & water conservation and ecological improvement of the area. Wherever development/ procurement of infrastructure is required it should be site specific and should be supported by proper justification.

7- It is very essential that proper and regular monitoring is carried out for effective implementation of the CAT plan. The chief Project Officer of the user agency must be associated in implementation as well as monitoring of the progress of CAT plan. The monitoring on monthly basis should be done by the concerned Conservator of Forest where respective DFO and representative of User Agency should participate. Monitoring on monthly quarterly basis should be carried out by a committee of the following officials.

Committer for Monitoring of the CAT Plan

PCCF	-	Chairman
Secretary (Agriculture) or his representative	-	Member
Secretary (Animal Husbandry) or his representative	-	Member
Project Officer- User Agency	-	Member
Respective Conservator of Forests	-	Member
Nodal Officer	-	Member, Secretary

Yours faithfully

(Panka Asthana)
Assistant Inspector General of Forests

Copy:
1. Nodal Officer – All states UTa.
2. All regional Offices of this Ministry.
3. Director (FC)/AIGs FC)
4. File No. 2-1-2003-FC
5. Guard File

(Panka Asthana)
Assistant Inspector General of Forests

उत्तराखण्ड शासन
संख्या 1161/XIII/04/1(104)/02
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
देहरादूनः दिनांक : 13 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1134/कृषि–1(104) 2002 दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को अवक्रमित करते हुए कषि विभाग की केन्द्र पोषित योजनाओं यथा मैक्रोमैनेजमैन्ट योजना, दलहन विकास, तिलहन विकास एवं मक्का विकास कार्यक्रमों की कार्य योजना का अनुमोदन व समय– समय पर समीक्षा हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नानुसार संशोधित राज्यस्तरीय समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया हैः–

1.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2.	कृषि सचिव	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित अपर सचिव वित्त	सदस्य
4.	अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	अपर सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	सदस्य
9.	मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम देहरादून	सदस्य
10.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण चौबटिया, अल्मोड़ा।	सदस्य
11.	निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड	सदस्य, सचिव
12.	कुलपति कृषि एवं प्रद्यौगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य
13.	निदेशक विवेकानन्द कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	सदस्य
14.	भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	चयनित पायलेट वाटर शैड के जलागम समिति के नामित	
	1. श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट डोबा ब्लाक, बेतालघाट नैनीताल	सदस्य
	2. श्री नारायण सिंह ग्राम – पोखरी ब्लाक यमकेश्वर (पौड़ी	सदस्य
16.	गैर सरकारी संगठनों के नामित प्रतिनिधि	
	1. अध्यक्ष, हार्क संस्था, नोगावं कैम्प इंन्दिरानगर, देहरादून	सदस्य
	2. अध्यक्ष चिराग, संस्था सितला, नैनीताल	सदस्य
17.	गन्ना आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर	सदस्य

18.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज विकास निगम लि0 हल्दी	सदस्य
19.	निबन्धक सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
20.	निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, रहीमनगर, लखनऊ	सदस्य
21.	कृषि आयुक्त, भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
22.	मुख्य वन संरक्षक, नैनीताल	सदस्य
23.	मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
24.	मण्डलीय अभियन्ता, यू0पी0 एग्रो, देहरादून	सदस्य

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

संख्याः 1161/XIII/04/1(104)/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्त सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या 700/ कृषि एवं जलागम अनुभाग
देहरादूनः दिनांक : 15 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के सफल क्रियान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण, मार्गदर्शन, समन्वय, तकनीकी निर्देशन एवं वार्शिक कार्य योजना का अनुमोदन हेतु राज्य स्तर पर एक स्टेयरिंग कमेटी (Steering Committee) गठित करने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस स्टेयरिंग कमेटी (Steering Committee) के निम्नलिखित सदस्य होंगें।

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम विकास
   अध्यक्ष
2. सचिव, वित्त
   सदस्य
3. सचिव, जलागम
   सदस्य
4. सचिव, वन
   सदस्य
5. सचिव, ग्राम्य विकास
   सदस्य
6. सचिव, कृषि
   सदस्य
7. सचिव, पंचायतीराज
   सदस्य
8. सचिव, पशुपालन
   सदस्य
9. सचिव, उद्यान
   सदस्य
10. सचिव, लघुसिचाई
    सदस्य
11. सचिव , लघु एवं कुटीर उद्योग
    सदस्य
12. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
    सदस्य
13. निदेशक, पंचायती राज
    सदस्य
14. निदेशक, कृषि
    सदस्य
15. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद
    सदस्य

16. निदेशक उद्यान
सदस्य
17. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई
सदस्य
18. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि
सदस्य
19. विश्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि
सदस्य
20. उप मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय
सदस्य
21. निदेशक, नाबार्ड
सदस्य
22. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून
सदस्य
23. उप कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, गो.ब.प.कृषि वि.वि. पन्तनगर
सदस्य
24. निदेशक, उत्तराचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल
सदस्य
25. निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उद्यमसिंहनगर
सदस्य
26. परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 5 जिला पंचायत अध्यक्ष (चक्रीय क्रमानुसार)
सदस्य
27. ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि प्रत्येक जनपद से एक (चक्रीय क्रमानुसार)
सदस्य
28. मुख्य कार्यकारी, सहभागी स्वयं सेवी संस्थायें
सदस्य
29. उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवा संस्थाओं के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार से नामित किये गये हों
सदस्य
30. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय
सचिव

स्टेयरिंग कमेटी (Steering Committee) परियोजना के क्रिया–कलापों पर विचार करने हेतु प्रत्येक वर्ष में यथा आवश्यकता दो–तीन बैठक करेगी।

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा परियोजना के अधिष्ठान के अन्तर्गत देय होगा। अन्य सदस्य अपने अधिष्ठान से यात्रा व्यय प्राप्त करेगे।

(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव

संख्याः 700 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, नाबार्ड,
4. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. उप कुलपति, गो.ब.प.कृषि वि.वि. पन्तनगर।
6. निदेशक, उत्तराचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
7. निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उद्यमसिंहनगर
8. सचिव, जलागम /मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
9. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या 701/ कृषि एवं जलागम अनुभाग
देहरादूनः दिनांक : 15 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP) के सफल नियोजन एवं कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न रेखा विभागों एवं परियोजना के बीच समन्वय स्थापित करने, स्थानीय जन सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना के प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने तथा जलागम विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जहां यह परियोजना कियान्वित की जा रही हो, जिला (UDWDP) वाटरशैड समिति गठित करने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। जिला (UDWDP) वाटरशैड समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगें–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष — अध्यक्ष
2. परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा/विधान परिषद सदस्य — सदस्य
3. परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त ब्लाक प्रमख — सदस्य
4. सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले दो जिला पंचायत — सदस्य
   (जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित जिसमें एक महिला हो) — सदस्य
5. उत्तराखण्ड राज्य /सम्बन्धित जिला में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के एक सदस्य प्रतिनिधि (जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा नामित) — सदस्य
6. परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत FNGO का एक प्रतिनिधि — सदस्य
7. सम्बन्धित जिले के मुख्य विकास अधिकारी — सदस्य
8. सम्बन्धित जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य
9. सम्बन्धित क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य
10. सम्बन्धित जिले के कृषि अधिकारी — सदस्य
11. सम्बन्धित जिले के उद्यान अधिकारी — सदस्य
12. परियोजनान्तर्गत सम्बन्धित जिले के सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्ध — सदस्य
13. सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
14. परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई — सदस्य
15. सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग प्रबन्धक — सदस्य
16. सम्बन्धित जिले के नामित दो वन पंचायत अध्यक्ष — सदस्य
17. सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों से दो प्रतिनिधि (उप परियोजना निदेशक द्वारा नामित) — सदस्य
18. सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक /मुख्य कार्यकारी, सहभागी स्वयंसेवी संस्था — सचिव
19. सम्बन्धित परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के चार प्रतिनिधि (चकीय कमानुसार) — सदस्य

2. यदि जिला (UDWDP) वाटरशैड समिति के अध्यक्ष/ सचिव आवश्यक समझते हो तो किसी अन्य अधिकारी/ विशेषज्ञ की समिति की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकते है।
3. जिला(UDWDP) वाटरशैड समिति परियोजना के क्रिया–कलालों पर विचार करने हेतु प्रत्येक वर्ष में 3 माह की अवधि में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य रूप से करेगी।
4. समिति की बैठक में कम से कम 10 प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना के अधिष्ठान के अन्तर्गत देय होगा। अन्य सदस्य अपने अधिष्ठान से यात्रा व्यय प्राप्त करेगे।

(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव

संख्याः /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष
5. समस्त ब्लाक प्रमख
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

आज्ञा से

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

संख्या 686/483 (5) कृषि एवं जलागम /2004

प्रेषक–

डा0 पी0एस0 गुसाई
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं जलागम अनुभागः देहरादून दिनांक अगस्त 26, : 2004

विषयः– उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के लिए पदों का सृजन।

सन्दर्भ :– आपके पत्रांक 79/5–28(6)/ दिनांक 9.7.2004

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपकी पत्र संख्या 79/5–28(6)/ दिनांक 9.7.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यू0डी0डब्लू0डी0पी0 के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में संलग्नक–1,2, व 3 में उल्लिखित 148 (एक सौ अड़तालीस) मात्र अस्थायी पदों को इस शासनादेश के निर्गत किये जाने अथवा पदों पर नियुक्ति की तिथि (जो भी बाद में हो) से दिनांक 28.2.2005 तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि उन्हें इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्न प्राविधानों के अधीन सृजन की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है–

1. श्रेणी 'क' 'ख''ग' तथा घ के सृजित तकनीकी एवं सामन्य पदों पर अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनिधि/सेवा स्थानांतरण पर सीमित अवधि के लिए रखे जायेगें। प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण पर भेजने वाले विभाग का यह दायित्व होगा कि वह परिणामी रिक्तयां अधिकारी/ कर्मचारी के वापस आने तक खाली रखेंगे।
2. इस परियोजना हेतु स्वीकृत पदों पर कोई भी नयी नियुक्ति यथा अस्थाई, तदर्थ, दैनिक श्रमिक आदि के रूप में नही की जायेगी।
3. स्टाफ पर व्यय विश्व बैंक के अनुबन्ध के अनुसार वहन किया जायेगा।
4. उक्त सृजित पद परियोजना की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगें।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी आई0डब्लू0डी0पी0 परियोजना के कार्यो के साथ–साथ यू0डी0डब्लू0डी0पी0 परियोजना के कार्यो का भी सम्पादन करेगें।
6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म 00– आयोजनागत–800–अन्य योजनायें–97 वाह्य सहायतित योजना–9702

यू0डी0डब्लू0डी0पी0 परियोजना के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 532/XXVI-2//2-004 दिनांक 23.8. 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

संख्या 686/483 (5) कृषि एवं जलागम /2004 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उतराखण्ड, ओबेरायॅ बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, वन कृषि, लघु सिंचाई, फलोद्यान पशुपालन, वित एवं लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, कैम्प कार्यालय, देहरादून
4. निदेशक/ अपर निदेशक, कृषि, पशुपालन, फलोद्यान उत्तराखण्ड
5. अधीक्षक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
7. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायू मण्डल, पौड़ी व नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग:2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आज्ञा से

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

"संलग्नक–2"

उप परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 कालसी एवं चम्पावत प्रभागों के कार्यालयों हेतु स्वीकृत पदो का विवरण।

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		पदों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
	कार्यालय/सामान्य पद				
1	उप परियोजना निदेशक	10000—325—15200	1	1	2
2	यूनिट अधिकारी	5500—175—9000	4	4	8
3	सांख्यिकी सहायक	5000—150—8000	1	1	2
4	वरिष्ठ सहायक	4500—125—7000	1	1	2 *
5	वरिष्ठ लिपिक	4000—100—6000	2	2	4*
6	कनिष्ठ सहायक /टंकक	3050—75—4590	4	4	8*
7	मानचित्रकार	4000—100—6000	1	1	2*
8	सर्वेयर	4500—125—7000	1	1	2*
9	चपरासी/चौकीदार/डाक रनर	2550—55—2660—60—3200	3	3	6*
10	वाहन चालक	3050—75—3950—80—4590	1	1	2*
	तकनीकी स्टाफ				
	फार्मिंग सिस्टम				
11	कृषि/उद्यान अधिकारी	8000—275—13500	1	1	2
12	सहायक विकास अधिकारी (उद्यान/कृषि)	4500—125—7000	4	4	8
13	सहायक कृषि निरीक्षक	3200—85—4900	4	4	8
	वानिकी				
14	सहायक वन संरक्षक	8000—275—13500	1	1	2
15	उप राजिक	4000—100—6000	1	1	2
16	वन दरोगा	3050—75—3590—80—4590	4	4	8
17	वन संरक्षक	2750—70—3800—75—4400	6	5	11*
	कृषि/सिविल अभियंत्रण				
18	अवर अभियंता (सिविल)	5000—150—8000	1	1	2
19	अवर अभियंता (कृषि/प्र0 सं0भू0 संर0)	5000—150—8000	1	1	2
20	सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षण	3200—85—4900	4	4	8
	पशुपालन				
21	पशुचिकित्साधिकारी	8000—275—13500	1	1	2
22	पशुधन प्रसार अधिकारी	4000—100—6000	4	4	8
			51	50	101

नोट — *क0 सं0 से 10 व 17 पर अंकित पदों (37) पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत नियमित रुप से नियुक्त 193 कर्मचारियों में Redeploy से कर भरा जायेगा।

(डा0 पी0एस0 गुंसाई)
अपर सचिव

"संलग्नक–3"

मुख्य परियोजना निदेशक के कार्यालय हेतु स्वीकृत पदो का विवरण।

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों संख्या
1	2	3	4
	ई0एस0ए0 यूनिट		
1	उप निदेशक (पर्यावरण विशेषज्ञ)	10000–325–15200	1
2	सहायक निदेशक	8000–275–13500	1
	पी0एम0यू0 यूनिट		
3	उप निदेशक	10000–325–15200	1
4	सहायक निदेशक	8000–275–13500	1
5	वित्त अधिकारी	8000–275–13500	1
	कुल योग		5

(डा0 पी0एस0 गुंसाई)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण विभाग,
संख्या– 70/7 (व.भू.ह.) – 2004–52 (84)/ 2004
देहरादून दिनांकः 8 नवम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना के जल समेट क्षेत्र में कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान लागू करने की अनिवार्य शर्त लगाई जाती है। कैंचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट व्लान किसी भी कैचमेन्ट के समग्र विकास एवं उपचार हेतु अति महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की वर्तमान पारिस्थितिकीय स्थिति के दृष्टिगत उसके समुचित उपचार के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण दर्शाया जाता है।

2– सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं के कैचमेन्ट क्षेत्र के विकास एवं समुचित उपचार हेतु वनीकरण कार्यों के अतिरिक्त भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यों को भी महत्वपूर्ण समझा गया है तथा भारत सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का निरूपण एवं कियान्वयन क्षेत्र विशिष्ट योजना (Site Specific Plan) के अनुरूप ही किया जाय। इस संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8–227/87–एफसी दिनांक 10–6–2004 के द्वारा विस्तृत दिशा– निर्देश जारी किये गये हैं। (प्रति संलग्न)

3– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उक्त पत्र द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के निरूपण, कियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया हैः–

1.	प्रमुख वन संरक्षण, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सचिव, पशुधन विभाग, अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	मुख्य परियोजना निदेश, जलागम प्रबन्ध निदेशालय	सदस्य
5.	परियोजना से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	सम्बन्धित वन संरक्षक,	सदस्य
7.	नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक	सदस्य सचिव

उक्त समिति राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनिवार्य रूप से प्रत्येक त्रैमास में एक बार करेगी तथा भारत सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करायेगी।

संलग्न– यथोपरि।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या 70/7 (व.भू.ह.) –2004–52(84)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन,सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
11. सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, कृषि एवं पशुधन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
13. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
14. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन निदेशालय, देहरादून।
15. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
16. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
17. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

प्रेषक

डा0 पी0एस0 गुंसाई
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
देहरादून।

कृषि एवं जलागम अनुभाग **देहरादूनः दिनांक 14 दिसम्बर, 2004**

विषय : विश्व–बैंक वित पोषित ''उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना'' का क्षेत्र।

महोदय,

विश्व–बैंक वित पोषित ''उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना'' जिसकी लागत लगभग 89.39 मिलियन यू0एस0डालर (लगभग रू0 405.00 करोड़ मात्र) है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परियोजना का क्षेत्र जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा प्रस्तावित निम्न विवरण के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	चयनित सूक्ष्म जलागमों की संख्या	चिन्हित ग्राम पंचायतों की संख्या
देहरादून	कालसी	7	44
टिहरी	जौनपुर, थौलधार	8	28
उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	6	29
पौड़ी गढ़वाल	द्वारीखाल, जहरीखाल	5	27
रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	5	50
चमोली	गैरसैंण	7	35
अल्मोड़ा	द्वारहाट, चौखुटिया	4	45
बागेश्वर	गरुड़, बागेश्वर, कपकोट	15	50
चम्पावत	बाराकोट, लोहाघाट	8	65
पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	10	54
नैनीताल	धारी, ओखलकाण्डा	5	34
कुल –11	**18**	**80 ***	**461**

5 चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र के एक से अधिक विकास खण्डों में फैले होने के कारण वास्तविक सूक्ष्म जलागमों की संख्या 80 के स्थान पर 76 है।

उक्तानुसार यह परियोजना 11 जनपदों के 18 विकासखण्ड़ो की 461 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों मे पड़ने वाले विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की सूची संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा0 पी0एस0 गुंसाई)
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

LIST OF DISTRICTS, DEVELOPMENT BLOCKS SELECTED MICRO WATERSHED S AND NUMBER OF INDENTIFIED GRAM PANCHAYATS IN UDWDP

Name of District	Name of development block	Name of microwatershed	Number of GP identified
Dehradun	Kalsi	Dobragard	8
		Munsi	2
		Sarnoka khal	5
		Seligad	9
		Sunindagad	6
		Dhawalgad	10
		Bingad	4
Dehradun total	**1**	**7**	**44**
Tehri Garhwal	Jaunpur	Bhutgaon	2
		Jaidwar	5
	Thaouldar	Chamadgad	2
		Gairgad	8
		Garthgad	1
		Ghattugad	3
		Kyari	1
		Mologigad	6
Tehri Garhwal Total	**2**	**8**	**28**
Uttarkashi	Chinyalisourd	Daskigad	10
		Dhanarigard	4
		Dichligad	7
		Gairgad	1
		Gairthgad	2
		Ramoligad	5
Uttarkashi total	**1**	**6**	**29**
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Bhalgad	5
		Guingad	4
		Kandul	4
		Satpuli	2
	Jaiharikhal	Bisgadikhala	12
Pauri Garhwal Total	**2**	**5**	**27**
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka / Pogtagad	15
		Surgad	10
		Baniyari Gad	11
		Kyunja Gad	14
Rudraprayag total	**1**	**5**	**50**
Chamoli	Gairsain	Balmali Gaghera	1
		Ghud Ghat	5
		Maigad Nadi	7

		Mathugad	7
		Mehal Chauri	3
		Tetuda	3
		Adibadri	9
Chamoli Total	**1**	**7**	**35**
Garhwal Total	**8**	**38**	**213**
Almora	Chaukhutia	Kuthlargad	17
	Dwarahat	Dusad Gadhera	16
		Khirau Nadi	10
		Kuthlargad	2
Almora Total	**2**	**4**	**45**

Name of District	Name of development block	Name of MWS	Number of GP identified
Bageshwar	Bageshwar	Anarsa	1
		Lohar Nadi	2
		Phalgad	2
		Sem Devta	1
		Tatapani	3
	Garur	Gomti River	12
		Ratagarh gadhera	6
		Sirari	6
	Kapkot	Tatapani	1
		Gagnigad	1
		Ginargad	3
		Jargad	2
		Kanalgad	1
		Kumgad	2
		Phalgad	7
Bageshwar total	**3**	**15**	**50**
Champawat	Barakot	Amergad	5
		Cheriagad	6
		Pundiakigad	7
	Lohaghat	Baseri	3
		Kamleri	9
		Lohawati	14
		Piligad	11
		Saulgad	10
Champawat Total	**2**	**8**	**65**
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	7
		Chuna	10
		Ganai Gadhera	6
		Ghatgad	7
		Jamtola	5

		Linggad	6
		Nainoligad	2
		Pharsula	1
		Simalta	6
		Suyalgad	4
Pithoragarh Total	**1**		**54**
Nainital	Dhari	Dolgad	6
	Okhalkanda	Dantagad	4
		Khujetigad	5
		Pasiyagad	12
		Sunkot	7
Nainital Total	**2**	**5**	**34**
Kumaon Total	**10**	**42**	**248**
Garhwal Total	**8**	**38**	**213**
Grand Total	**18**	**80**	**461**
Note : Started (*) 4 MWSs are falling in two development blocks/ districts, therefore the total no. of identified MWSs is 76			

UDWDP - District, Development Block, MWS, Name and Number of Identified GPs

Name of District	Name of Development Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Kachta
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Khati
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Khunna- Alman
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Gadol
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Gangora
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Chitard
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Jaindao
Dehradun	Kalsi	Dobragard	Mundhan
Dehradun	Kalsi	Munsi	Laksiyar
Dehradun	Kalsi	Munsi	Lohari
Dehradun	Kalsi	Sarnoka- Khal	Kaha - Nehra- Puhan
Dehradun	Kalsi	Sarnoka- Khal	Thana
Dehradun	Kalsi	Sarnoka- Khal	Bandhana
Dehradun	Kalsi	Sarnoka- Khal	Sakrol
Dehradun	Kalsi	Seligad	Kunna
Dehradun	Kalsi	Seligad	Bajau
Dehradun	Kalsi	Seligad	Chorkunava
Dehradun	Kalsi	Seligad	Katri
Dehradun	Kalsi	Seligad	Dagura
Dehradun	Kalsi	Seligad	Dhoha
Dehradun	Kalsi	Seligad	Kaknoi
Dehradun	Kalsi	Seligad	Nagou
Dehradun	Kalsi	Seligad	Sabai

Dehradun	Kalsi	Suindagad	Khatar
Dehradun	Kalsi	Suindagad	Joshi- Gothan
Dehradun	Kalsi	Suindagad	Basaya
Dehradun	Kalsi	Suindagad	Bijau
Dehradun	Kalsi	Suindagad	Khani
Dehradun	Kalsi	Suindagad	Badnu
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Mandauli
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Dev
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Bhajhara
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Koti
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Diamu
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Lailta
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Desau
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Gadana
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Rupau
Dehradun	Kalsi	Dhawalgad	Suradi
Dehradun	Kalsi	Bingad	Lakhwar
Dehradun	Kalsi	Bingad	Bagi
Dehradun	Kalsi	Bingad	Gaski
Dehradun	Kalsi	Bingad	Khari
Dehradun total	**1**	**7**	**44**

UDWDP- District Development Block, MWS, Name and number of identified GPs

Name of District	**Name of Dev. Block**	**Name of Microwatershed**	**Name of Gram Panchayat**
Tehri Garhwal	Jaunpur	Bhutgaon	Bhutgaon
Tehri Garhwal	Jaunpur	Bhutgaon	Maror
Tehri Garhwal	Jaunpur	Jaidwar	Pav
Tehri Garhwal	Jaunpur	Jaidwar	Jaidwar
Tehri Garhwal	Jaunpur	Jaidwar	Surasu
Tehri Garhwal	Jaunpur	Jaidwar	Kandi
Tehri Garhwal	Jaunpur	Jaidwar	Kharson
Tehri Garhwal	Thouldhar	Chamadgad	Ghiyakoti
Tehri Garhwal	Thouldhar	Chamadgad	Ghon
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Bhenti
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Kyarda
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Gair Nagun
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Bikol

Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Kandar gaon
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Jamni
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Lawani
Tehri Garhwal	Thouldhar	Gairgad	Pokhri
Tehri Garhwal	Thouldhar	Garthgad	Gojmer
Tehri Garhwal	Thouldhar	Ghattugad	Majhkhet
Tehri Garhwal	Thouldhar	Ghattugad	Koti Mahru Ki
Tehri Garhwal	Thouldhar	Ghattugad	Kyari Nagun
Tehri Garhwal	Thouldhar	Kyari	Andhiyari
Tehri Garhwal	Thouldhar	Malogigad	Nava Gaon
Tehri Garhwal	Thouldhar	Malogigad	Kasthal
Tehri Garhwal	Thouldhar	Malogigad	Bansule
Tehri Garhwal	Thouldhar	Malogigad	Lavani
Tehri Garhwal	Thouldhar	Malogigad	Koshal
Tehri Garhwal	Thouldhar	Malogigad	Bhandarki

UDWDP- District Development Block, MWS, name and number of identified GPs			
Name of district	**Name of Development Block**	**Name of Microwatershed**	**Name of Gram Panchayat**
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Dharkot
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Rikhangaon
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Jibya
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Badali
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Vangaon
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Chijual
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Kaunda
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Khadada
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Murogi
Uttarkashi	Chinyalisaur	Daskigad	Tandole
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dhanarigad	Gamri
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dhanarigad	Jaspur
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dhanarigad	Margaon
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dhanarigad	Chamiyari
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Bagodi
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Vankot
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Jagadgaon
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Dichli
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Kyari (Dichli)

Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Sarp
Uttarkashi	Chinyalisaur	Dichligad	Kawagaddi
Uttarkashi	Chinyalisaur	Gairgad	Gadoli
Uttarkashi	Chinyalisaur	Garthgad	Gadath
Uttarkashi	Chinyalisaur	Garthgad	Banadi
Uttarkashi	Chinyalisaur	Ramoligad	Kyari (Dasgi)
Uttarkashi	Chinyalisaur	Ramoligad	Ramoli
Uttarkashi	Chinyalisaur	Ramoligad	Tarakot
Uttarkashi	Chinyalisaur	Ramoligad	Maithali
Uttarkashi	Chinyalisaur	Ramoligad	Tipari (Dasgi)
Uttarkashi Total	**1**	**6**	**29**

UDWDP - District, Development Block, MWS, Name and Number of Identified GPs

Name of district	Name of Dev. Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Bhalgad	Otind
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Bhalgad	Pulyasu
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Bhalgad	Wargadi
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Bhalgad	Barsuri
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Bhalgad	Sila Danda
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Guingad	Guin Bara
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Guingad	Bakhorigaon
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Guingad	Patuli
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Guingad	Seelabanghat
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Kandul	Kinsur
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Kandul	Ghandaldoo
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Kandul	dal
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Kandul	Hathnoor
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Satpuli	Odalbara
Pauri Garhwal	Dwarikhal	Satpuli	Chamoligaon
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Malethi
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Thalda
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Kharkoli
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Pasta
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Rera (Raira)
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Chaur

Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Bisgadikhala	Toli
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Dudharkhal	Nakdhar
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Dudharkhal	Babina
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Dudharkhal	guretha
Pauri Garhwal	Jaiharikhal	Dudharkhal	Bayali
Total Pauri Gharhwal	**2**	**6**	**27**

UDWDP - District, Development Block, MWS, Name and Number of Identified GPs

Name of district	Name of Dev. Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Bhatwari
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Madola
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Chinka
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Agar
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Nag Kakorakhal
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Kokhandi
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Isala
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Sari
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Thapal gaon
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Kandai Jaggi
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Kandai Vengi
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Bijrakot
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Jargwar
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Kurjhan
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Mehar
Rudraprayag	Augustmuni	Chhinka/ Pongtagad	Ghimtoli
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Quiri
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Kolu Bhannu
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Falasi
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Bora
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Kunda dankot
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Bachni
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Bawai

Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Chaund
Rudraprayag	Augustmuni	Surgad	Saur Bhatgaon
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Sauri
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Malkhi
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Banyari
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Bhatwari
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Manigreha
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Nakot
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Rumsi
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Ginwala
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	jakot
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Dhar Tundla
Rudraprayag	Augustmuni	Banyari Gad	Kamsal
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Kansili
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Kanddi
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Kinyani
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Keda
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Kyunja
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Tewari Sem
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Barao
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Jaikandi
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Pillu
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Bhanaj Gwad
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Machkandi
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Kakola
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Jaihengi
Rudraprayag	Augustmuni	Kyunja Gad	Molli
Rudraprayag - Total	**1**	**5**	**50**

UDWDP - District, Development Block, MWS, Name and Number of Identified GPs			
Name of district	**Name of Dev. Block**	**Name of Microwatershed**	**Name of Gram**

			Panchayat
Chamoli	Gairsain	Balmali Gaghera	Lamdagad
Chamoli	Gairsain	Ghud Ghat	Soniyana
Chamoli	Gairsain	Ghud Ghat	Gaonli
Chamoli	Gairsain	Ghud Ghat	Dungi
Chamoli	Gairsain	Ghud Ghat	Ramra Malla
Chamoli	Gairsain	Ghud Ghat	Matkot
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Makholli
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Aagar Bingad
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Bina
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Kunkhet
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Harad
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Gol
Chamoli	Gairsain	Maigad Nadi	Kolami
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Gairsain
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Gwad
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Saliyana
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Marotha
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Silgi
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Parvadi
Chamoli	Gairsain	Mathugad	Sarkot
Chamoli	Gairsain	Mehal Chauri	Mehl Chauri
Chamoli	Gairsain	Mehal Chauri	Silinga
Chamoli	Gairsain	Mehal Chauri	Kali Mati
Chamoli	Gairsain	Tetuda	Malkot
Chamoli	Gairsain	Tetuda	Tetuda
Chamoli	Gairsain	Tetuda	Nani
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Adibadri
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Nagli
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Dambhar
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Bhalso
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Kheti
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Malsi
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Badli Talli
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Khal
Chamoli	Gairsain	Adibadri	Rohida
Chamoli Total	**1**	**7**	**35**
Garhwal Total	**8**	**39**	**213**

UDWDP - District, Development Block, MWS, Name and Number of Identified GPs

Name of district	Name of Dev. Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Guali
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Siroli
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	bhakli
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Mahatgaon
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Chhana
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Gadsyar
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Akholtia Naugaon
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Baman gaon
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Ulleni
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Besbhida
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Dantola
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Sira
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Barrel gaon
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Mahalchora
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Barti
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Gairar
Almora	Choukhutia	Kuthlargad	Pan
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Aaradi
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Bhait
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Mallimirai
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Chhana
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Chayli
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Dhankhalgaon
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Menala
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Malli Kiroli
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Pinoli
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Odchyanya
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Aaradi
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Kafar
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Basulisera
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Bhandargaon
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Sakuni
Almora	Dwarahat	Dusad Gadhera	Kunthari
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Ghaktodi
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Aasgoli
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Dhadholi
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Chatgola
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Kuna
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Deri
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Chatena
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Basera
Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Salna

Almora	Dwarahat	Khirau Nadi	Dholargunth
Almora	Dwarahat	Kuthlargad	Natgulli
Almora	Dwarahat	Kuthlargad	Vijaypur
Almora Total	**2**	**4**	**45**

UDWDP - District, Development Block, MWS, Name and Number of Identified GPs

Name of district	Name of Dev. Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Bageshwar	Bageshwar	Anarsa	Anarsa
Bageshwar	Bageshwar	Lohar Nadi	Aare
Bageshwar	Bageshwar	Lohar Nadi	Jakh
Bageshwar	Bageshwar	Phaldgad	Develchora
Bageshwar	Bageshwar	Phaldgad	Bajina
Bageshwar	Bageshwar	Sem Devta	Gajli
Bageshwar	Bageshwar	Tetapani	Porkot
Bageshwar	Bageshwar	Tetapani	Pandharh Pali
Bageshwar	Bageshwar	Tetapani	Harabad
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Majkot
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Kwil Kulwan
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Chhatiyani
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Rolyana
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Pinglow
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Luwagadi
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Gairlekh
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Dholgaon
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Phalyathi
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Maigadistate
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Jaunastate
Bageshwar	Gurur	Gomti River	Paraina
Bageshwar	Gurur	Ratagarh gadhera	Sirkot
Bageshwar	Gurur	Ratagarh gadhera	Thapal Bajwar
Bageshwar	Gurur	Ratagarh gadhera	Mawai
Bageshwar	Gurur	Ratagarh gadhera	Chhatiya
Bageshwar	Gurur	Ratagarh gadhera	Syalistate
Bageshwar	Gurur	Ratagarh gadhera	Naugaon

Bageshwar	Gurur	Sirari	Surag
Bageshwar	Gurur	Sirari	Singari
Bageshwar	Gurur	Sirari	Selakhaniyari
Bageshwar	Gurur	Sirari	Jokhera
Bageshwar	Gurur	Sirari	Lamchula
Bageshwar	Gurur	Sirari	Ganigaon
Bageshwar	Gurur	Tatapani	Chhanisera
Bageshwar	kapkot	Gagnigad	Sumati Baisani
Bageshwar	kapkot	Ginargad	Gainar
Bageshwar	kapkot	Ginargad	Lily
Bageshwar	kapkot	Ginargad	Uttrausa
Bageshwar	kapkot	Jargad	Gairkhet
Bageshwar	kapkot	Jargad	Chalkana
Bageshwar	kapkot	Kanalgad	Nankanyali Kot
Bageshwar	kapkot	Kumgad	Chachat
Bageshwar	kapkot	Kumgad	Purkuni
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Baskuna
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Bherun
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Pakar
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Raithal
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Majhera
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Baira Majhera
Bageshwar	kapkot	Phaldgad	Galaon
Bageshwar total	**3**	**15**	**50**

UDWDP- district, Development Block, MWS, name and number of identified GPs

Name of district	Name of Development Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Champawat	Barakot	Amergad	Chanda
Champawat	Barakot	Amergad	Balson
Champawat	Barakot	Amergad	Sutera
Champawat	Barakot	Amergad	Seel
Champawat	Barakot	Amergad	Salam
Champawat	Barakot	Cheriagad	Chami
Champawat	Barakot	Cheriagad	Litu

Champawat	Barakot	Cheriagad	Kakri
Champawat	Barakot	Cheriagad	Mau
Champawat	Barakot	Cheriagad	Puniyal
Champawat	Barakot	Cheriagad	Chamroli
Champawat	Barakot	Pundiakigad	Barakot
Champawat	Barakot	Pundiakigad	fartola
Champawat	Barakot	Pundiakigad	Singda
Champawat	Barakot	Pundiakigad	Bothari Mayi goonth
Champawat	Barakot	Pundiakigad	Khakora
Champawat	Barakot	Pundiakigad	Aagar
Champawat	Barakot	Pundiakigad	Khola Sunar
Champawat	Lohaghat	Baseri	Marchamar
Champawat	Lohaghat	Baseri	Kot
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Madhua
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Pasam
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Sula
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Kamleri
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Gurmangal
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Nakot
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Kimtoli
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Kotla
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Tata
Champawat	Lohaghat	Kamleri	Mangoli
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Raikotkunwar
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Kaligaon
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Chaudirai
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Deshli
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Koeti
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Bhumilai
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Gangnaula
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Khetera Malls
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Naskhola
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Balai
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Khumbora
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Majheda
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Basan
Champawat	Lohaghat	Lohawati	Chatauli
Champawat	Lohaghat	Piligad	Siling
Champawat	Lohaghat	Piligad	Baskuni
Champawat	Lohaghat	Piligad	Dumdai
Champawat	Lohaghat	Piligad	Selperu
Champawat	Lohaghat	Piligad	Mazpipal
Champawat	Lohaghat	Piligad	Khayakotmalla
Champawat	Lohaghat	Piligad	Moda

Champawat	Lohaghat	Piligad	Jakhpindi
Champawat	Lohaghat	Piligad	Pulla
Champawat	Lohaghat	Piligad	Nidil
Champawat	Lohaghat	Piligad	Bibil
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Pau
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Kheskande
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Patanpatni
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Badeladhek
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Kolidhek
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Moluraj
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Kalchaura
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Thuamara
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Phorti
Champawat	Lohaghat	Saulagad	Dungriphartyal
Champawat total	**2**	**8**	**65**

UDWDP- district, Development Block, MWS, name and number of identified GPs			
Name of district	**Name of Development Block**	**Name of Microwatershed**	**Name of Gram Panchayat**
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Banelagaon
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Bungli
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Palipalyal
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Raintola
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Sugri
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Sunkhola
Pithoragarh	Gangolihat	Chhanigad	Sunyura
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Anoli
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Ganura
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Gwasikot
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Kharki
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Naini
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Nainoli
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Pilkhi
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Nakot
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Rithayat
Pithoragarh	Gangolihat	Chuna	Chauna

Pithoragarh	Gangolihat	Ganai Gadhera	Bansikhet
Pithoragarh	Gangolihat	Ganai Gadhera	Dasilakhet
Pithoragarh	Gangolihat	Ganai Gadhera	Oligaon
Pithoragarh	Gangolihat	Ganai Gadhera	Pasdev
Pithoragarh	Gangolihat	Ganai Gadhera	Wodiyura
Pithoragarh	Gangolihat	Ganai Gadhera	Oliyagaon
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	Busail
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	Gwal
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	Matoli
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	Rankot
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	Bans Patan
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	Aagar
Pithoragarh	Gangolihat	Ghatgad	chaudiyar
Pithoragarh	Gangolihat	Jamtola	Bharkot Madhye Bhaligaon
Pithoragarh	Gangolihat	Jamtola	Jamtola
Pithoragarh	Gangolihat	Jamtola	Rungdi
Pithoragarh	Gangolihat	Jamtola	Sera Urf Badauli
Pithoragarh	Gangolihat	Jamtola	Tuprauli
Pithoragarh	Gangolihat	Linggad	Badena
Pithoragarh	Gangolihat	Linggad	Chahaj
Pithoragarh	Gangolihat	Linggad	Dyulharakot
Pithoragarh	Gangolihat	Linggad	Khatigaon
Pithoragarh	Gangolihat	Linggad	Pipli Nigalti
Pithoragarh	Gangolihat	Linggad	Rasuna
Pithoragarh	Gangolihat	Nainoligad	Nainulikaira
Pithoragarh	Gangolihat	Nainoligad	Dharalikund
Pithoragarh	Gangolihat	Pharsula	Sartola
Pithoragarh	Gangolihat	Simalta	Baisali
Pithoragarh	Gangolihat	Simalta	Bhingari
Pithoragarh	Gangolihat	Simalta	Gaulchaura
Pithoragarh	Gangolihat	Simalta	Jakheri
Pithoragarh	Gangolihat	Simalta	Ghorasail
Pithoragarh	Gangolihat	Simalta	Gunakitan

Pithoragarh	Gangolihat	Suyalgad	Biroli
Pithoragarh	Gangolihat	Suyalgad	Chak
Pithoragarh	Gangolihat	Suyalgad	Govergara
Pithoragarh	Gangolihat	Suyalgad	Sukana
Pithoragarh Total	**1**	**10**	**54**

UDWDP- district, Development Block, MWS, name and number of identified GPs

Name of district	Name of Development Block	Name of Microwatershed	Name of Gram Panchayat
Nainital	Dhari	Dolgad	Jalna Neelpahari
Nainital	Dhari	Dolgad	Silalekh
Nainital	Dhari	Dolgad	Majyuli
Nainital	Dhari	Dolgad	Mehtoliyagaon
Nainital	Dhari	Dolgad	Dini Malli
Nainital	Dhari	Dolgad	Dini Talli
Nainital	Okhalkanda	Dantagad	Simalkanya
Nainital	Okhalkanda	Dantagad	Daloj
Nainital	Okhalkanda	Dantagad	Kachalakot
Nainital	Okhalkanda	Dantagad	Dholigaon
Nainital	Okhalkanda	Khujetigad	Katna
Nainital	Okhalkanda	Khujetigad	Sooni
Nainital	Okhalkanda	Khujetigad	Balna
Nainital	Okhalkanda	Khujetigad	Bhonara
Nainital	Okhalkanda	Khujetigad	Josyura
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Thali
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Mahtoli
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Harinagar
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Thaladi
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Putpuri
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Tusrad
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Bhadrakot
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Hairakhan
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Devali
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Pushya
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Bhanpokhara
Nainital	Okhalkanda	Pasiyagad	Pokhari Malli
Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Sunkot
Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Dhona
Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Keragaon
Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Panjana
Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Digauli
Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Tallakanda

Nainital	Okhalkanda	Sunkot	Kulone
Nainital - total	**2**	**5**	**34**
Kumaon total	**10**	**42**	**248**
Grand total	**18**	**81**	**461**

संख्या : 36 / XXVII(5) स्टाम्प / 05

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग – 5 **देहरादून दिनॉक : 28 जनवरी, 2005**

विषय : कार्य संविदा से संबधित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशानुपालन में जारी किये गये शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशानुसार कार्यसंविदा सें संबधित अनुबन्धों के निष्पादन पर सटाम्प शुल्क के निर्धारण से संबंधित आदेश पत्र संख्या – दिनॉक 31.03.2004 के माध्यम से समस्त संबंधित को निर्गत कर दिये गये थे। कतिपय निगमों / संस्थानों द्वारा उक्त शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अत : इस अनुरोध का संज्ञान लेतु हुए पुन : उक्त शासनादेश की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ हैं।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव

संख्या : (1) / XXVII(5) स्टाम्प / 05,तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सचूना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
2. प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून को उनके पत्र दिनॉक 20.10.2004 में किये गये अनुरोध के क्रम में।

(एस0एस0वल्दिया)
अनु सचिव

संख्या 195 / XIII–II / 483(5) / 2005

प्रेषक

डा0 पी0एस0गुसाई
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 30 मार्च, 2005।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1811 / 5–28(6) दिनांक 22.01.2005 एवं पत्र संख्या 642 / 5–28(6) / 2004–05 दिनांक 1.3.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक के अनुसार 92 (बनयानवें मात्र) पदों को दिनांक 28.02.2006 तक योगदान की तिथि से बशर्ते कि पदों को इससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासनादेश संख्या 686 / 483(5) / कृषि एवं जलागम / 2004 दिनांक 26.08.2004 द्वारा स्वीकृत 48 पदों में से संलग्नक –2 के अनुसार 61 पदों को समर्पित किया जाता है। शेष 87 पद पूर्व की भांति स्वीकृत समझे जाय।

3. जलागम प्रबन्ध निदेशालय हेतु स्वीकृत 262 पदों में से संलग्नक–3 के अनुसार 256 पदों के पदधारक भी जलागम निदेशालय के साथ–साथ यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 परियोजना के क्रियान्वयन / संचालन / मानीटरिंग के दायित्वों का निर्वहन पद के सापेक्ष करेंगे तथा निदेशालय हेतु स्वीकृत उक्त 256 पद यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भी स्वीकृत समझेंज जायेगे।

4. जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत स्वीकृत निदेशक / अपर निदेशक / उप निदेशक के पदधारक विश्व–बैंक, भारत सरकार एवं उत्तरांचल सरकार के मध्य हुई सहमति के अनुरुप उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

5. उपरोक्त के अनुरुप जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम प्रबन्ध परियोजना प्रस्तावित 435 पदों की पूर्ति हो जायेगी।
6. श्रेणी 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' के सृजित तकनीकी एवं सामान्य पदों पर अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण पर सीमित अवधि के लिए रखे जायेंगे। प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण पर भेजने

वाले विभाग का यह दायित्व होगा कि वह परिणामी रिक्तियां अधिकारी/ के ....वापस आने तक खाली रखेंगे।

इस परियोजना हेतु स्वीकृत पदों पर कोई भी नयी नियुक्ति यथा अस्थाई, तदर्थ, दैनिक .... आदि के रुप में नहीं की जायेगी। पदो पर होने वाले व्यय का वहन अनुदान संख्या 17 के अधीन लेखा शीर्षक 2401 –फसल ... कर्म–00–आयोजनागत–800 –अन्य योजनाएं –97 –बाह्‌य सहायतित परियोजना–............ उत्तरांचल जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक के अनुबन्ध के अनुसार .... प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय

(डा0 पी0एस0
गुंसाई)
अपर सचिव

संख्या 195 (1) /XIII–II/483 (5) /2005 दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकर, उत्तरांचल, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन, कृषि, लघु सिंचाई, फलोद्यान, पशुपालन, वित एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल कैम्प, देहरादून।
4. निदेशक/अपर निदेशक, कृषि, पशुपालन, फलोद्यान, उत्तरांचल।
5. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, पौड़ी।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

आज्ञा से

(डा0 पी0एस0 गुंसाई)
अपर सचिव

"संलग्नक–1"

यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 परियोजना के कार्यन्वयन हेतु शासनादेश संख्या 195/कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 दिनांक 30 मार्च, 2005 का संलग्नक।

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक पशुपालन	12000–16500	01
2	वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक	5500–9000	02
3	मानचित्रकार	4000–6000	01
4	फील्ड स्तरीय पद		
5	उप परियोजना निदेशक	10000–15200	02
6	सहायक वन संरक्षक	8000–13500	02
7	कृषि/उद्यान अधिकारी	8000–13500	04
8	पशुचिकित्साधिकारी	8000–13500	04
9	वन क्षेत्राधिकारी/विषयवस्तु विशेशज्ञ/यूनिट अधिकारी (विभागीय वेतनमान के अनुसार)	5500–9000 5000–8000	06
10	उप वन राजिक	5000–8000	01
11	अवर अभियन्ता (सिविल)	5000–8000	01
12	अवर अभि0 कृषि/प्रा0स0भू0स0	5000–8000	04
13	सर्वेयर	4500–7000	02
14	सहा0वि0अधि0 उद्यान/कृषि	4500–7000	09
15	वन विद	4000–6000	10
16	पशुधन प्रसार अधिकारी	4000–6000	12
17	सहायक कृषि निरीक्षकृ	3200–4900	16
18	सहा0 भूमि संरक्षक निरीक्षक	3200–4900	16
	कुल योग		**92 (बयानवें)**

(डा0 पी0एस0 गुंसाई)
अपर सचिव

“संलग्नक–2”

यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 परियोजना के कार्यन्वयन हेतु शासनादेश संख्या 195/कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 दिनांक 30 मार्च, 2005 का संलग्नक।

पदनाम	**वेतनमान**	**स्वीकृत पदों की संख्या**
परियोजना निदेषक	16400–20000	01
सहायक निदेशक प्रशि0 /ई0एस0ए0 यूनिट	8000–13500	01
सहायक निदेशक मू0/अनु0/स0व0सं0पी0एम0यू0यूनिट	8000–13500	01
सांख्यिकी सहायक	5000–8000	01
प्रशासनिक अधिकारी–2	5000–8000	02
मुख्य सहायक	4500–7000	02
प्रवर सहायक	4000–8000	08
आशुलिपिक	4000–8000	02
कनिष्ठ सहायक	3550–4590	14
वाहन चालक	3550–4590	10
ट्रेसर	2750–4400	03
चपरासी, चौकीदार/माली	2550–3200	12
वन रक्षक	2750–4400	04
कुल योग		**61 (इक्सठ)**

(डा0 पी0एस0 गुंसाई)
अपर सचिव

"संलग्नक–3"

यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 परियोजना के कार्यन्वयन हेतु शासनादेष संख्या 195/कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 दिनांक 30 मार्च, 2005 का संलग्नक।

पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
मुख्य परियोजना निदेशक	18400–22400	01
परियोजना निदेशक (प्रशासन)	16400–20000	01
परियोजना निदेशक	16400–20000	01
संयुक्त निदेषक कृषि	12000–16500	01
संयुक्त निदेशक उद्यान	12000–16500	01
उप निदेशक (प्रशासन/प्रशिक्षण)	10000–15200	01
उप निदेशक (नियोजन/प्रालेखन/प्रसार)	10000–15200	01
उप निदेशक (मूल्याकंन/अनु0/जी0आई0एस/एम0आई0एस0	10000–15200	01
वरिष्ठ वित्त अधिकारी	10000–15200	01
सहायक निदेशक (जी0आई0एस/एम0आई0एस0/अर्थ/परि0 अर्थशास्त्री)	8000–13500	01
सहायक निदेशक (क्षमता विकास/प्राले0/डाक्यूमेन्टेशन)	8000–13500	01
सहायक निदेशक (प्रशि0/ई0एस0ए0 यूनिट)	8000–13500	01
सहायक निदेशक (मू0/अनु0/सहा0व0सं0पी0एम0यू0) यूनिट	8000–13500	01
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	01
सहायक वित अधिकारी	6500-10500	01
प्रशासनिक अधिकारी–1	5500-9000	01

वैयक्तिक सहायक	5500-9000	01
सांख्यिकी सहायक	5000-8000	07
प्रशासनिक अधिकारी–2	5000-8000	03
लेखाकार	5000-8000	04
मुख्य सहायक	4500-7000	04
प्रवर सहायक	4000-6000	22
सहायक लेखाकार	4000-6000	08
आशुलिपिक	4000-6000	05
मानचित्रकार	4000-6000	04
कनिष्ठ सहायक	3050-4590	32
वाहन चालक	3050-4590	30
मशीन आपरेटर	2750-4400	01
ट्रेसर	2750-4400	04
चपरासी / चौकीदार / माली	2550-3200	44
मण्डल स्तरीय पद		
उप परियोजना निदेशक	10000–15200	02
सहायक वन संरक्षक	8000–13500	02
सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000–13500	01
वन क्षेत्राधिकारी / विषयवस्तु विशेषज्ञ / यूनिट अधिकारी (विभागीय वेतनमान के अनुसार)	5500–9000 5000–8000	13
उप वन राजिक	5000–8000	04
अवर अभियन्ता (सिविल)	5000–8000	03
सर्वेयर	4500–7000	02
सहा0 वि0अधि0 उद्यान / कृषि	4500–7000	08
वन विद	4000–6000	08
पशुधन प्रसार अधिकारी	4000–6000	04
वन रक्षक	2750–4400	24
कुल योग		**256 (दो सौ छप्पन)**

उत्तरांचल शासन,
कृषि एवं विपरण अनुभाग–2
संख्या 284/XIII-II/116 (119)/2005
देहरादूनः दिनांकः 05 अप्रैल 2005

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 811/116 (119)/कृषि एवं जलागम/2004 दिनांक 14.12.2004 द्वारा उत्तराचंल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना का क्षेत्र उत्तराचंल प्रदेश के 11 जनपदों 18 विकासखण्डों के अन्तर्गत 461 ग्राम पंचायतों में चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल महोदय परियोजना के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 353/कृषि एवं जलागम/04 दिनांक 08.04.2004 द्वारा प्रस्तावित कर्णप्रयाग, चिन्यालीसौड, कालसी/विकासनगर, कोटद्वार, लोहाघाट, गंगोलीहाट/पिथौरागढ़, द्वाराहाट एवं बागेश्वर प्रभागों के गठन पर गढ़वाल परिक्षेत्र के लिए कर्णप्रयाग, चिन्यालीसौड़, विकासनगर, कोटद्वार एवं अगस्तमुनि तथा कुमायूॅ परिक्षेत्र में लोहाघाट, गंगोलीहाट, द्वाराहाट, बागेश्वर एवं हल्द्वानी में कार्यलायों के मुख्यालय स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शासनादेश संख्या 353/कृषि एवं जलागम/2004 दिनांक 8.4.2004 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(ओम
प्रकाश)
सचिव

संख्या 284/XIII-II/116 (119)/2005दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराचंल शासन।
2– समस्त सचिव, उत्तराचंल शासन।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूॅ मण्डल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचंल।
7– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8– मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव

दिनांक 14.6.2005 को जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना में अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराचंल शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया—

1— श्री पी0के0 मोहन्ति, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

2— श्री ओम प्रकाश, सचिव कृषि

3— श्री आर0बी0एस0 रावत, मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय

1. दिनांक 14.6.2005 को उत्तराचंल विकेन्द्रीकृत, जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में बैठक हुई, जिसमें स्थानान्तरण नीति के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिऐ गये:—

1.1 रू0 8000—13500 एवं उससे अधिक के वेतनमान के कार्मिकों की सेवाये जिन्हे प्रतिनियुक्ति / सेवास्थानान्तरण के तौर पर जलागम में 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो उन्हें प्रतिस्थानी उपलब्ध होने पर तत्काल उनके पैतृक विभाग को वापस किये जाने की कार्यवाही की जाय।

1.2 रू0 8000—13500 से कम के वेतनमान के कार्मिको की सेवायें जिन्हे प्रतिनियुक्ति / सेवास्थानान्तरण के तौर पर जलागम में 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, उन्हें प्रतिस्थानी उपलब्ध होने पर तत्काल उनके पैतृक विभाग को वापस किये जाने की कार्यवाही की जाय।

1.3 उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए सम्बन्धित संवर्ग में वापस किये जाने की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाय।

1.4 वन विभाग के अतिरिक्त अन्य रेखा विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को विभाग की अनापत्ति के अनुरूप नई परियोजना में तैनाती किये जाने पर प्राथमिकता दी जाय।

1.5 श्रेणी 'क' के पदों पर तैनाती शासन स्तर से की जायेगी तथा श्रेणी ''ख'' के पदों पर तैनाती किये जाने के संदर्भ में मुख्य परियोजना निदेशक शासनादेश संख्या 1050 / XXX (2) / 2005 दिनांक 29.4.2005 के अनुरूप स्थाई स्थानान्तरण समिति का गठन कर शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करेंगे एवं की जाने वाली तैनाती के आदेश शासन को भी उपलब्ध करायेगे।

यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 परियोजना तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय हेतु श्रेणी ''क'' के चयनित अधिकारियों की तैनाती संलग्नक–1 के अनुसार की जाती हैं। कृप्या तद्नुसार तैनाती की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही तत्काल सम्पन्न करते हुए वॉछित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेगें।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या 476/XIII-II/116 (119)/2005दिनाक 21 जून, 2005

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराचंल शासन।
2– सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराचंल शासन।
3– सचिव कृषि उत्तराचंल शासन।
4– सचिव, वन उत्तराचंल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
6– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराचंल।
7– मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8– निदेशक, कृषि उत्तराचंल देहरादून।
9– निदेशक, पशुपालन/उघान, उत्तराचल।
10–मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तराचंल।

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव

संलग्नक–1

यू0डी0डब्लू0डी0पी0 परियोजना एवं जलागम प्रबन्ध निदेशालय हेतु चयनित अधिकारियों की तैनाती का विवरण

कम संख्या	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**वेतनमान**	**तैनाती स्थल**
1.	श्री डी0जे0 के0 शर्मा	परियोजना निदेशक	16400—20000	परियोजना निदेशक प्रशासन, जलागम प्रबन्ध निदेशालय
2.	श्री वी0के0 पांगती	उप परियोजना निदेशक	12000—16500	प्रभारी परियोजना निदेशक गढ़वाल क्षेत्र मुनिकीरेती
3.	श्री जी0के0 रस्तोगी	उप परियोजना निदेशक	10000—15200	प्रभारी उप परियोजना निदेशक चिन्यालीसौड़
4.	श्री हयात राम आर्य	उप निदेशक	10000—15200	उप परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
5.	श्री एम0एस0 नेगी	उप निदेशक	10000—15200	उप परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
6.	श्रीमती मीनाक्षी जोशी	उप परियोजना निदेशक	10000—15200	उप परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
7.	श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली	वित्त अधिकारी	10000—15200	वित्त एवं लेखाधिकारी जलागम प्रबन्ध निदेशालय

(डा0 पी0एस0 गुसाई)
अपर सचिव

संख्या—602 / XII / 2005

प्रेषक,

पी0के0महान्ति
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(जनपद हरिद्वार एवं उघमसिंहनगर को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज एवं वित पोषित अभित्रंण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 01 अगस्त, 2005

विषय– विश्व बैंक वित पोषित "Uttaranchal Decentralised Watershed Development Project" के अन्तर्गत पंचायत सचिवों की व्यवस्था/तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराचंल देहरादून का पंत्राकः 95/11–7(5)/2005 दिनांक 13.7.2005 की सलग्नकों सहित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न सूची में अंकित जनपदों में अपने–अपने जनपद के विकास खण्डों में परियोजना प्रभागो के अन्तर्गत चिन्हित 03 (तीन) ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सचिव की तैनाती करने का कष्ट करे।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव,

संख्या–602/XII/2005तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव जलागम, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

आज्ञा से

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव

संख्या–970–I/XII/86(53)/2005

प्रेषक,

विभा पुरी दास

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
2. समस्त जिलाधिकारी,
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभित्रंण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 05 दिसम्बर, 2005

विषय– विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों हेतु ''जलागम विकास परियोजना खाता '' खोले जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्दीकृत जलाम विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना कार्यो के क्रियान्वन तथा निर्बल वर्ग निधि के रूप में प्राप्त धनराशि के रख–रखाव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर पर इस हेतु एक पृथक से खाता खोला जायेगा जिसे ''जलागम विकास परियोजना खाता '' कहा जायेगा।

ग्राम पंचायत विकास परियोजना हेतु नियोजित ग्राम पंचायत विकास योजना में निर्धारित कार्यो के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित ''परियोजना कार्यान्वयन निधि'' तथा निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु निर्धारित ''निर्बल वर्ग निधि'' के रूप में परियोजना से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि उसी खात में रखी जायेगी। इस खाते का संचालन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग –1 के शासनादेश संख्या 3467/33–1–99–222/99 दिनांक 01 जुलाई 1999 में अधिसूचित ग्राम निधि कें संचालन हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या–970–1/XII/86(53)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलीय एवं उप निदेशक पंचायती राज, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से
(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्या–970/XII/86(53)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून ।
5. अपर सचिव, कृषि एवं जलागम, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभित्रंण सेवा अनुभाग
संख्या 970 – II/ XII / 86(53) / 2005
देहरादून दिनांक 05 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

उत्तराखण्ड में जलागम प्रबन्धन के कार्य को दी गई वरीयता एवं जलागम प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी की महत्ता के दृष्टगत श्री राज्यपाल, पंचायती राज अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4077 / 33–1–99–49 / 48 जी / 99 दिनांक 29 जुलाई 1999 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत अन्तर्गत गठित की जाने वाली समितियों में से क्रमांक 6 पर अंकित ''जल प्रबन्ध समिति'' के सम्बन्ध में यह सहर्ष अधिसूचित करते हैं कि समिति को प्रतिनिहित किये गये कार्यो के अतिरिक्त ''जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य'' भी इसी समिति द्वारा सम्पादित किए जाए। समिति का नाम इस प्रकार विस्तारित किया जाए ''जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति'' ।

श्री राज्यपाल यह भी अधिसूचित करते है कि ''जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति'' के सभापति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे तथा सदस्यता पूर्व निध्घरित प्रक्रिया अनुंसार तय होगी।

भवदीया

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 970 – II/ XII / 86(53) / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त विभागाध्यक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक पंचायती राज उत्तराखण्ड, देहरादून
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्या 970 – II/ XII / 86(53) / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि व कृपया इस अधिसूचना को नवम्बर, 2005 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर मुद्रित प्रति की 200 प्रतियां पंचायती राज अनुीााग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्या–943 / XII-II/116/119 / 2005

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपॉगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 17 जनवरी, 2006

विषय' उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रभागों के मुख्यालय निर्धारित किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 669 / 11–7(10) 2005 दिनांक 16.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रभागों के मुख्यालय निर्धारित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 284 XII-II/116(119) / 2005 दिनांक 5.4.2005 में मुख्यालय कर्णप्रयाग के स्थान पर गैरसैंण (चमोली) संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. कार्यालय ज्ञाप संख्या 284 XII-II/116(119) / 2005 दिनांक 5.4.2005 द्वारा स्वीकृत अन्य प्रभाग पूर्ववत् रहेंगे।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या 284 XII-II/116(119) / 2005 दिनांक 5.4.2005 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपॉगी,)

संख्या–943 / XII-II/116/119 / 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. निजी सचिव मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड ।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/ कुमायूँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(पी0एस0 जंगपॉगी,)

संख्या 525/XII/86(53/2006

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त।
2– समस्त जिलाधिकारी।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

पंचायतीराज राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 26 जुलाई, 2006

विषयः विश्व बैंक वित पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अर्न्तगत चयनित ग्राम पंचायतों हेतु जलागम विकास परियोजना खाता खोले जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 970–1/XII/86(53)2006 दिनांक 05–12–06 के अनुक्रम एवं अपर सचिव कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 581/XIII-II/70 (53) 2005 दिनांक 10–7–2006 के सन्दर्भ में जलागम विकास परियोजना खाता में अधिसूचित ग्राम निधि के संचालन हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुये "ग्राम पंचायत की सहमति से परियोजना में पंचायत सचिवों के दायित्व ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति की महिला सदस्या को प्राथमिकता देकर अथवा महिला सदस्या के उलब्ध न होने पर ग्राम पंचायत सदस्य में से ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य के द्वारा निवर्हन किया जायेगा।

2. उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
पी0के0 महान्ति
सचिव

संख्या /XII/86 (53) 2006, **तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, पंचायती राज उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त मण्डलीय, उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरांचल देहरादून।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या /XII/86 (53) 2006 **तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय उत्तरांचल देहरादून।
2. अपर सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन विभाग उत्तरांचल शासन।

संख्या 525/XII/86(53)2006

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
2. समस्त जिलाधिकारी
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 26 जुलाई, 2006

विषयः– विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों हेतु जलागम विकास परियोजना खाता खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 970–1/XII/86(53)2006 दिनांक 05–12–06 के अनुक्रम एवं अपर सचिव कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 581/XIII-II/70(5)2005 दिनांक 10–7–2006 के संदर्भ में जलागम विकास परियोजना खाता में अधिसूचित ग्राम निधि के संचालन हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुये 'ग्राम पंचायत की सहमति से परियोजना में पंचायत सचिवों के दायित्व ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति की महिला सदस्या को प्राथमिकता देकर अथवा महिला सदस्या के उपलब्ध न होने पर ग्राम पंचायत सदस्य में से ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य के द्वारा सदस्या के उपलब्ध न होने पर ग्राम पंचायत सदस्य में से ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य के द्वारा निवर्हन किया जायेगा'।

2– उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

पी0के0महान्ति,
सचिव

संख्या /XII/86(53)2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त मण्डलीय, उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरांचल देहरादून।

आज्ञा से

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या /XII/86(53)2006 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

4. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तरांचल देहरादून।
5. अपर सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन विभाग उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 591 / 2008 / XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2008

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी निर्देशों (Common Guidelines) के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय करते हुए समान मार्गनिर्देशों के अनुरूप सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को ''राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी **(State Level Nodel Agency)"** के रूप में एतद्द्वारा नाामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव,

संख्या : 591 / 2008 / XIII-II/51(5)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार।
3. डा0 जे0एस0 सामरा, सी0ई0ओ0 (National Rainted Area Authority) नई दिल्ली।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
8. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव, मा0 वन एवं जलागम मंत्री शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री शासन का मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
14. निजी सचिव, मा0 कृषि एवं लघु सिंचाई मंत्री, शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. समस्त जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुभाग, उत्तराखण्उ सचिवालय।
16. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम्य विकास पंचायती राज) उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

संख्या : 1216/XIII-II/51(5)/2005

देहरादून : दिनांक 19 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी निदेर्शो के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियेाजनाओं में समन्वय माने हुए समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 591/2008 XIII-II/51(5) 2005 दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया। श्री राज्यपाल महोदय उक्त एजेन्सी में जिला स्तर पर जिला जलागम विकास इकाइयॉ के कार्यो एंव समन्वय हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय पर जिला जलागम विकास इकाइयॉ के कार्यो एंव के मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित जिले के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	सम्बन्धित जिले के मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4	सम्बन्धित जिले के उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित जिले के मुख्य पशु अधिकारी	सदस्य
6	सम्बन्धित जिले के भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
7	सम्बन्धित जिले के अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई)	सदस्य
8	सम्बन्धित जिले के अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0)	सदस्य
9	सम्बन्धित जिले के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
10	सम्बन्धित जिले के प्रभागीय वनाधिकारी (भूमि संरक्षण/सिविल एवं सोयम वन प्रभाग)	सदस्य
11	जिले में प्रख्यात स्वयं सेवी संस्थानों में से दो प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
12	परियोजना प्रबन्धक डी0डब्लू0डी0यू0	सदस्य सचिव

नये दिशानिर्देशों के अनुसार वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्लू0डी0यू0) के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. एस0एल0एन0ए0 के साथ परामर्श से संभावित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना।
2. सम्बन्धित जिलों में जलागम विकास परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन नीति तथा वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने को सुविधाजनक बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी लेना।
3. जलागम परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पी0आई0ए0) को उचित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

4. क्षमता निर्माण सम्बन्धि कार्य योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए संसाधन संगठनों की धनिष्ट भागीदारी क्षमता निर्माण हेतु कार्ययोजनाएं तैयार करना ।
5. निगरानी मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन का कार्य नियमित रूप से करना।
6. जलागम विकास परियोजनाओं को निधियां सुचारू रूप से जारी किये जाने को सुनिश्चित करना।
7. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी/केन्द्र स्तर पर विभाग की नोडल एजेंसी को अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना।
8. उत्पादकता तथा जीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास पशुपालन आदि के संगत कार्यक्रमों का जलागम विकास परियोजनओं के साथ समन्वय को सुविधाजनक बनाना।
9. जलागम विकास परियोजनाओं/योजनाओं को जिला योजना मितियों की जिला योजना समितियों की जिला योजनाओं के साथ समेकित करना। वाटरशेड परियोजनाओं के समस्त आय व्यय की जिला योजनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।
10. जिला स्तरीय डाटा सेल को स्थापित करना तथा इसका रख–रखाव करना और इसे राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय डाटा केन्द्र के साथ जोड़ना।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 1216/XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 1217 / XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक : 19 दिसम्बर 2008

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय माने हुए समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप सभी परियोजनाओं का कियान्वयन किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 591 / 2008 / XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। श्री राज्यपाल महोदय उक्त एजेन्सी से विभिन्न विभागों संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए निम्नानुसार गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1.	अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2.	एन0आर0ए0ए0 कृषि मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव / सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव / सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव / सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव / सचिव, जलागम उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
12.	कुलपति, गो0ब0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	सदस्य
13.	प्रमुख वन सरंक्षक वन विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य
14.	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
15.	निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य
16.	निदेशक, उद्यान उत्तराखण्ड	सदस्य
17.	नाबार्ड, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवंज ल सरंक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून ।	सदस्य
19.	निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा	सदस्य
20.	निदेशक उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर उत्तराखण्ड	सदस्य
21.	निदेशक भू– जल बोर्ड उत्तराखण्ड	सदस्य
22.	प्रख्यात स्वय सेवी संस्थानों में से दो प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
23.	निदेशक, जलागम प्रबन्ध / मुख कार्यकारी अधिकारी SLNA	सदस्य

समान मार्गदर्शी सिद्वान्त, 2008 के पैरा–26 के अनुसार एस0एल0एन0ए0 को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों से 4–7 विषयवस्तु विशेषज्ञों को नामित

किया जायेगा। जिसमें एक महिला प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। एस0एल0एन0ए0 के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:–

1. राज्य में जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कराना।
2. केन्द्र स्तरीय नोडल एजेन्सी के साथ राज्य की कार्ययोजना एवं नीतियों के सम्बन्ध में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर एवं समय–समय पर परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना।
3. जनपद पर जिला जलागम इकाइयों (डी0डब्लू0डी0यू0) का गठन तथा तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना। योजनाओं के क्षेत्र चयन प्राथामिकता का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन नीति हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।
4. डी0डब्लू0डी0यू0 से प्राप्त योजनओं का मूल्यांकन एवं स्वीकृत प्रदान करना।
5. वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए परिव्यय एवं बजट की व्यवस्था हेतु राज्य एवं केन्द्रांश की व्यवस्था।
6. राज्य एवं जनपद स्तर पर डाटा बैंक की स्थापना तथा सूचनाओं का संकलन करना। जनपद राज्य एवं केन्द्रीय डाटा केन्द्र के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु लिंकज की व्यवस्था।
7. राज्य के सहभागी संस्थाओं की क्षमता विकास हेतु संस्थाओं का चयन कर नीति तैयार करना।
8. जिला जलागम विकास इकाइयों (DWDU) के लिये कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु पारदर्शी नीति तैयार करना।
9. योजनाओं के मूल्यांकन हेतु संस्थाओं का चयन एवं आडिट की व्यवस्था हेतु नीति तैयार करना तथा प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन अनुश्रवण व जलागम परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु नीति तैयार करना।
10. आन लाईन अनुश्रवण की गुणवत्ता बनाये रखना व स्वतंत्र एवं उपयुक्त संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सम्पर्क हेतु रणनीति बनाकर कार्येत्तर अनुभव प्राप्त करना।
11. राज्य स्तरीय स्वतंत्र संस्थापन मूल्यांकन कर्ताओं के पैनल को तैयार करने हेतु नीति निर्धारण करना तथा मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु नियमित रूप से केन्द्रीय नोडल एजेन्सी से स्वीकृत करवाना।
12. परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार एस0एल0एन0ए0 का एक पृथक खाता खोला जाएगा । अतः इस हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत एस0एल0एन0ए0 के खाता संचालन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक सोसाइटी गठित की जायेगी।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 1217 / XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, वन एवं जलागम को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव, ग्राम विकास को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13. निजी सचिव, कृषि को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
14. निजी सचिव, लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. समस्त जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुभाग, उत्तराखण्उ सचिवालय।
16. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव।

संख्या 27/xxvii(7) सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009

विषयः राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गे के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2008 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग/संगठनों/संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2. उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरुप देने की व्यवस्था है। ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरुप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3– उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति/चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी एतदद्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी।

4–वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी। यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण/वितरण अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5– दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में ग्रेड–पे वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति/चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांक 15–1–2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी।

6– वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढांचे में वेतन

बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी। इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनःस्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में अब पुनः स्पष्ट कियाज ाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतनवृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किये गये है उनकों संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7– शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरुप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनका एरियर का भुकतान नकद किया जाएगा।

8– दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर का पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान किया जाएगा।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 27/xxvii(7) /2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को 500 प्रतियां प्रकाशनार्थ
12. निदेशक, एन0आईसी0उत्तराखण्ड राज्य एकक।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 37/xxvii(7) सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7   देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009

विषयः उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन, संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 385/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

☐

क्रमांक	**पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन**	**मासिक अभिदान की दर**	**बीमा निधि**	**बचत निधि**	**बीमा आच्छादन**
1	2	3	4	5	6
1	रु0 2800 तक	100	30	70	1,00,000
2	रु0 2801 से रु0 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3	रु0 5400 से अधिक	400	120	280	4,00,000

3– मुझे यह भी कहने का निर्देष हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरुप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क) उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च, 2009 का वेतन देय 1 अप्रैल 2000 से प्रारम्भ कर दी जाएगी।
(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिपेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।
(ग) वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गो के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।
(घ) उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 16/xxvii(7) सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 37/xxvii(7) /2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राजयपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आईसी0उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 39 / xxvii(7) सा0बी0यो0 / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009

विषयः वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों मे संशोधन।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि शासनादेश संख्या 692 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 11 फरवरी, 2003 के द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में तैनात पूर्ण कालिक अधिकारियों / कर्मचारियों को वेतन स्लैब के आधार पर पर्वतीय विकास भत्ता एवं शासनादेश संख्या 1164 / 28–4–200–2(4) / 91 दिनांक 31 जून 2000 के द्वारा सीमान्त विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया था।

2– वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरुप शासनादेश संख्या 395 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा सम्प्रति सीमान्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता समाप्त करने तथा उसके स्थान पर उक्तानुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रम.सं.	**ग्रेड वेतन / वेतनमान (रु0)**	**पर्वतीय विकास भत्ते की संशोधित दर**
1	1300	150
2	1400	150
3	1650	165
4	1800	180
5	1900	190
6	2000	200
7	2400	240
8	2800	280
9	4200	420
10	4600	460
11	4800	480

12	5400 या इससे अधिक	540

3– ग्रेड वेतन का ताप्पर्य पूर्व वेतनमान के सम्बन्ध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4– अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

5– एक हजार मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र में पर्वतीय विकासभत्ता देय नही होग, यद्यपि एक हजार मीटर की ऊँचाई के मध्य पड़ने वाल घाटियों (भले ही इनकी ऊँचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्ही्करण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य होगा।

6– ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो आिवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात सेवा मे नियुक्त हुए हो, के पर्वतीय विकास भत्ता सीमान्त के संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2003 इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

7– यह आदेश 1 अप्रैल, 2009 से लागू होंगे।

8– अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 39(1)/xxvii(7) /2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राजयपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आईसी0उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 42/xxvii(7) सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2009

विषयः वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि शासनादेश संख्याः जी–1–1753/दस–534(46)–76 दिनांक 31 अगस्त, 1978 तथा इसके क्रम में समय–समय पर संशोधित सेवकों एवं शासनादेश संख्या उपक्रमों, निगमों आदि में सरकारी सेवकों एवं शासनादेश संख्या 209/xxvii(7)/2009 दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के द्वारा विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तो का निर्धारण किया गया है।

2. वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरुप निर्गत शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों आदि एवं विश्व पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में यदि उसी स्टेशन पर तैनाती होती है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के बराबर तथा यदि स्टेशन के बाहर तैनाती होती है तो ग्रेड–पे के 20 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, कि वेतन बैण्ड में वेतन बैण्ड में वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग रु0 30100 से अधिक नहीं होगा।

3– उपउल्लिखित शासनादेश 31 अगस्त 1978 तथा इसके क्रम में समय–समय पर संशोधित शासनादेश एवं दिनांक 16 नवम्बर, 2006 शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

4– यह आदेश 1 अप्रैल, 2009 से लागू होंगे।

5– अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 42 / XXVII(7) / 2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3 सचिव, मा0 राजयपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4 सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड देहरादून।
5 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6 स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7 पुर्नगठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन लखनऊ।
8 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10 उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12 निदेशक, एन0आईसी0उत्तराखण्ड, देहरादून।
13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 42/XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्ग निर्देशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियेाजनो में राज्य स्तरीय समन्वय हेतु समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप (SLNA) को तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निम्न विषय वस्तु विशेषज्ञों को अपने विभागीय कार्य के अतिरिक्त विभागवार नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त कार्य के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र0सं0	पद नाम	विभाग
1	श्रीमती नीना ग्रेवाल, प्रभारी वन संरक्षक	वन विभाग
2	श्री0एस0एस0 तोमर, संयुक्त निदेशक	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री0 एस0एम0 जोशी, उप वन सरंक्षक	वन विभाग
4	श्री0 के0सी0 पाठक, उप निदेशक	कृषि विभाग
5	श्री अमर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	वित्त विभाग
6	श्री आर0 एन0नेगी, उप निदेशक	जलागम प्रबन्ध निदेशालय
7	श्री वी0सी0 घिल्डियाल, सा,स0	जलागम प्रबन्ध निदेशालय

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 1217/XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, वन एवं जलागम को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. निजी सचिव, ग्राम विकास को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

10. निजी सचिव, कृषि को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 41/XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजना के सम्बन्ध में समान मार्ग निर्देशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजना में राज्य स्तरीय समन्वय हेतु समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या 1217/XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 का राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परियोजना निदेशक को सदस्य के रूप में नामित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त (SLNA) नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने कार्यो एवं उत्तरदायित्व के अतिरिक्त राज्य स्तर पर (SLNA) की बैठकों को आयोजन एवं जलागम विकास परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्यो में सहयोग देंगे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 41/XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, वन एवं जलागम को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव, ग्राम विकास को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13. निजी सचिव, कृषि को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
14. निजी सचिव, लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 06/XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजना के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजना में समन्वय हेतु समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तरीय नोडल ऐजन्सी हेतु कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1217दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 के द्वारा गठित समिति में निम्न स्वयं सेवी संस्थाओं को सदस्यों के रूप में नामित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. Himalayan Environmental Studies and conservation Organization (HESCO), Vill- Ghisadpadi, P.O. Mehuwala via Majra, Disst Dehradun, Uttarakhand.
2. Institute of Himalayan Environmental Research and Education, Masi Bazar, Masi, Almora, Uttarakhand.

उक्त संस्थाऐं राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी SLNA की बैठक में सम्मिलित होंगी।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 06/XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
7. उक्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 101 / XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक 22 जून, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्धन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जारी समान मार्गदर्शी सिद्वान्त, 2008 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1216/XIII-II/51(5)/2005, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जलागम विकास इकाइयों (DWDU) के गठन तथा उसके कार्यो के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला जलागम विकास इकाइयों के परियोजना प्रबन्धक / सदस्य सचिव के दायित्वों का भी निर्वहन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त कार्य के लिये इन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 101 (1) / XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव।

संख्या /XXXVII (i)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 28 जुलाई, 2009

विषय :– वित्तीय वर्ष 2009–10 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की मांगें स्वीकृत होने व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम,2009 पारित होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने की निम्नांकित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वचनबद्ध मदों यथा वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु मदों की समस्त धनराशि (01 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक के लिए पारित लेखानुदान की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाय।

2– आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों/शीर्षकों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने एवं धनराशि निवर्तन पर रखने के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3– आयोजनागत पक्ष की नई योजनाओं के प्रस्ताव पर स्वीकृति जारी करने से पूर्व परिव्यय एवं बजट की उपलब्धता को देखते हुए नियोजन/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4– आयोजनागत पक्षान्तर्गत राजस्व पक्ष में उपरोक्त प्रतिबन्ध–1 में वर्णित मदों के सम्बन्ध में परिव्यय की सीमान्तर्गत प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृतयां जारी की जायेंगी तथा शेष योजनाओं/मदों तथा पूंजीगत पक्ष की स्वीकृतियां नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेंगी।

5– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद मे आय–व्यय 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेंगी।

6–निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित के लिये कड़ी कार्यवाही अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(क) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।

7– वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या–624/जि0यो0/मु0स0/2008, दिनांक 24 मार्च 2008 के द्वारा जिला योजना की स्वीकृतियों के लिये जिलाधिकारी तथा मण्डालयुक्त स्तर पर अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं। चूंकि जनपदवार जिला योजनान्तर्गत परिव्यय एवं पारित बजट के मध्य सामंजस्य बनाये रखना आवश्यक है अतः पूर्वोक्त आदेश दिनांक 24 मार्च 2008 के क्रम में सर्वप्रथम प्रशासकीय विभाग विभिन्न योजनाओं व उसके अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु जनपदवार बजट की फांट निर्धारित कर लेगें एवं तद्उपरान्त उस फांट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु प्राविधानित जिला योजना की धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रख दी जाय ताकि उनुमोदित जिला योजनाओं की जनपद/मण्डल स्तर पर ही समयबद्ध वित्तीय स्वीकृतियां जारी हों सकें तथा विकास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण भी हो सके। जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियां उक्त प्रक्रियानुसार पूर्णतः प्रतिबन्धित है जिसमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है।

8– प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिसमें क्षेत्रिय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करेगें कि विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निस्तारण पर जो धनराशि रखी गई है वह उनके द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासनिक विभाग प्रत्येक माह वित्त विभाग को विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग अनिवार्य रूप से वित्त विभागों को उपलब्ध करायेगें, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

10– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशाासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी आवश्यक भी आवश्यक प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग करके प्रशासकिय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवगत करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समिक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। लोक निर्माण, सिंचाई, वन आदि विभागों जहां साख सीमा की व्यवस्था है, वहां पर साख सीमा की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय, जैसा कि

शासनादेश संख्या–ए–2–311/दस–98, दिनांक 29 जून 1998 के प्रस्तर 2(2) एवं 2(3) में निर्धारित है, परन्तु यदि उस त्रैमास मे साख सीमा की धनराशि व्यय होने में कोई कठिनाई होती हैं तो अवशेष धनराशि अगले त्रैमास तक व्यय करने की अनुमति बिना वित्त विभाग की सहमति के जारी नहीं की जायेगी।

11– जिन अनुदानों में राजस्व अथवा पूंजिगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2009–10 में एकमुश्त व्यस्था का प्राविधान है, ऐसी स्वीकृतियां के जारी किये जाने से पूर्व बजट मैनुअल क पैरा–94 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सनिश्चित कर लिया जाय।

12– सामान्यतः केन्द्रपोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्राशं प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जायेगी। जिन केन्द्रीय योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की वचनबद्धता परिलक्षित होती है ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त अग्रिम के तौर पर आंशिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती हैं।

13– प्रत्येक प्रशासनिक विभाग वर्ष के प्रारम्भ मे तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/वह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदन परिव्यय के सापेक्ष केन्द्राशं की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध करायेंगे। **जिन विभागों से यह सूचना प्राप्त नहीं होगी उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी।** केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

14– जिन योजनाओं में विगत वर्षो की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो उन प्रशासकीय विभागों के सचिवों का यह व्यक्तिगत उत्तरदावित्य होगा कि समस्त औपचारितायें पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

15– किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित विभाग की सहमति के किसी स्तर के किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि पुनर्विनियोग हेतु वित विभाग की सहमति अनुदान के अधीन दी जाती है, तब पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश पर वित विभाग द्वारा आदेश विशिष्ट पत्र संख्या का प्रयोग कर उसकी प्रति महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को उपलब्ध कराया जाय। प्रशासनिक विभागों द्वारा वित विभाग को पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अन्तर्गत प्रस्ताव का परिक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व पक्ष से पूंजी पक्ष तथा पूंजी पक्ष से राजस्व पक्ष में भी पुनर्विनियोजन प्रतिबन्धित है।

16– जैसा कि बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है, नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो और सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरादायी होंगे कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियां के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग को

प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17– वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये ट्राइबल सब प्लॉल के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान की स्वीकृतयां तत्परता से जारी कर दी जायं। वाह्य सहायतित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि डोनर ऐजन्सी एवं भारत सरकार के साथ सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं। इस आधार पर अग्रिम के तौर पर बजट की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त स्वीकृति जारी की जायेगी। व्यय की गयी समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

18– प्रशासनिक विभाग, विशेष रूप से वे विभाग जहां केन्द्रीयित क्रय प्रक्रिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाते हैं, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होते ही एक प्रोक्योरमेंट प्लॉल बना लेंगे। इसी प्रकार पूंजीगत कार्यो का भी एक एक्सन प्लॉन तैयार कर वित्त/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

19– यह उल्लेखनिय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्घ में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20– यह सुनिश्चित करने के लिये कि जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं वे यथाशीघ्र पूर्ण किये जा सकें, प्रशासनिक विभाग प्रत्येक माह विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण संलग्न शासनादेश दिनांक 16.07.09 के संलग्न प्रपत्र–1 से 4 पर वित्त विभाग/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

21– अनुदानों को विभावगार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटी रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां शासनादेश संख्या–बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जायें बजट नियंत्रक अधिकारी बी0एम0–17 पर आंवटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आंवटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचलित हो, के हस्ताक्षर के अनुदान के अधीन अयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित उत्तरादायी होंगे।

प्रत्येक विभाग में स्वीकृतियां का रजिस्टर रखा जाय एंव प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनदोशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या– 515 (1)/XXVII (1)/2009 एवं तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोट्र्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)

सचिव, वित्त

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

पत्रांक 417/3–2 (ब) देहरादून दिनांक 12 अगस्त 2009
प्रतिलिपि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 देहरादून, मुनिकीरेती एवं हल्द्वानी।
2. उप निदेशक, पी0एम0यू0 मुख्यालय।
3. उप परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 कुमायॅू /गढ़वाल क्षेत्र।

पत्र संख्या 111/XXXVII (8)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ **देहरादूनः दिनांकः 22 सितम्बर, 2009**

विषयः विभागीय वित्त अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली त्रैमासिक रिर्पोट (मार्च 2009 तथा जून 2009)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के विभाग की त्रैमासिक आख्या के परीक्षण के बाद निम्नलिखित कमिंया प्रकाश में आई है, जिनका निराकरण विभागाध्यक्ष के स्तर से कराया जाना अपेक्षित/अपरिहार्य हैः–

1. विभाग के प्रत्येक डी0डी0ओ0 से बी0एम0 8 प्राप्त करने की सूचना अप्राप्त है।
2. विभाग द्वारा बी0एम0 12 नहीं भेजा जा रहा है।
3. विभाग द्वारा बी0एम0 13 नहीं भेजा जा रहा है।
4. कतिपय विभागों में चल रही विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा है इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–873/वित्त अनुभाग–रु/2003–04 दिनांकः 30 अप्रैल 2003 संख्या–242/XXVII (1)/2007 दिनांक 21 मार्च, 2007 तथा संख्या–99/XXVII (14)/2009 दिनांक 3 सितम्बर, 2009 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार कार्यवाही की जानी है।
5. केन्द्र/बाह्यसहायतित योजनाओं में अपेक्षित व्यय नहीं हो पा रहा है। कारण स्पष्ट नहीं है।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा तथा बाह्य लेखा परीक्षा (ए0जी 0) के प्रस्तरों पर अनुपालन की प्रगति संतोषप्रद नहीं है।

   विभाग में शासनोदश संख्या–049/वि0आ0प्र0/2008 दिनांक –1 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित आडिट कमेटी की न्यूनतम बैठकें भी आयोजित नहीं की जा रही है।

7. समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा परिसम्पत्तियों को सम्बन्ध में निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन की आख्या नहीं प्रस्तुत की गई है। (शासनादेश संख्या–1051/ग्गटप्प (1)/2007 दिनांक–30 नवम्बर, 2007 प्रतिलिपि संलग्न)
8. विभाग द्वारा जो सेवायें प्रदान की जा रही है उनकी यूजर चार्जेज अंतिम बार कब पुर्नरीक्षित किये गये है। पूर्ण विवरण दिये जायें। विभाग द्वारा आय के अन्य श्रोतों में वृद्धि करने के लिये वर्तमान में क्या रणनीति अपनाई जा रही है।

   प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि विभागों में आय के लिये Demand and Collection रजिस्टर नहीं बनाये जा रहे हैं। प्रत्येक विभाग में सुनिश्चित किया जाये कि Demand and Collection रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर बनाया जाये। विभागों द्वारा बी0एम0 6 नहीं प्रेषित किया जा रहा है। इस विषय पर विभागों का ध्यान बजट मैनुअल के प्रस्तर 100 तथा 103 की ओर आकर्षित किया जाना है।

9. विभिन्न सेवाओं की (डिलीवरी व्यवस्था) दक्षता कि क्या स्थिति है ? इस सम्बन्ध में क्या विशेषज्ञों के परामर्श से मानक बनवाये गये हैं।
10. विभाग मे चल रही विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण/मूल्यांकन (म्अंसनंजपवद) की व्यवस्था नहीं है।

    अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु सभी सम्बन्धित को कड़े निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करते हुये विभाग की आगामी वित्तीय त्रैमासिक व्याख्या में पूर्ण सूचनाओं का समावेश किया जाये।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त।
2. सम्बन्धित प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वित्त नियत्रंक /वित्त अधिकारी (नाम से)।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पत्रं सख्या– 73 /XXVII (9) 2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवाए,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ **देहरादून : दिनांक : 29 जुलाई, 2009।**

विषय– राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्चचारियों को वित्तीय प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–16/ XXVII (9) 2009 के क्र में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मियों को वित्तीय प्रशिक्षण देने के निमित्त विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सरकारी प्रबन्ध संस्थान, 6–पुराना मसूरी रोड़ राजपूर देहरादून को भुगतान के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया अपनाई जायेगीः–

1. संस्थान द्वारा प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशॉप आदि सम्बन्धी देयक निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रस्तुत किये जायेगे तथा तत्सम्बन्धी भुगतान की कार्यवाही निदेशक कोषागार द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वर्ष में अनुदान संख्या–07 के मुख्य शीर्षक–2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन–095 लेखा तथा खजाना निदेशालय–03 कोषागार एवं वित्त सेवायें (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत मानक मद–44 के नामे डाला जायेगा।
2. आवासीय सुविधायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संस्थानों को रू0 450 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से देय होगा जिसमें, चाय, नास्ता, भोजन, (माध्हन एवं रात्रि) व्याख्यान कक्ष (एल0सी0डी0 कम्प्यूटर, एवं लैप टॅाप) अतिथि व्याख्याता मानदेय, बैग स्टेशनरी प्रशिक्षण सामग्री सम्मिलित होगा।
3. फोटो ग्राफी, राज्य से बाहर के आंमत्रित अतिथि प्रवक्ताओ को यात्रा व्यय/मानदेय आदि के व्यय के भुगतान की प्रतिपूर्ति अलग से की जायेगी।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पत्र संख्या–73/ XXVII/आडिट प्रकोष्ठ (9)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. वित्त अनुभाग–6।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध संस्थान 6–पुराना मसूरी रोड़ राजपुर देहरादून–248009।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पत्रं सख्या– 73 /XXVII (9) 2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवाए,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ **देहरादून : दिनांक : 29 जुलाई, 2009।**

विषय– राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मियों को वित्तीय प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या16/ XXVII /(9) /2009 दिनांक 1 मई, 2009 के द्वारा राज्य के वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मियों के वित्त एवं लेखा विषय पर ज्ञान तथा क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण/कार्यशाला सहकारी प्रबन्ध संस्थान 6–पुराना मसूरी रोड़ राजपुर देहरादून–2048009 के तत्वावधान में आयोजित कराने के लिये अनुमति प्रदान की गई है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/वर्कशॉपों के सम्बन्ध में अपर सचिव वित्त श्री शरद चन्द्र पाण्डैय की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सलाहकार वित्त (श्री एन0एन0 थपलियाल), निदेशक कोषागार (श्री आर0पी0 पसबोला), वित्त नियंत्रक पेयजल (श्री बी0के0 दास) वित्त नियंत्रक सिडकुल (श्री भूपेश तिवारी) कोर ग्रुप के सदस्य रहेंगे। यह कोर ग्रुप समय–समय पर बैठक करेंगे। विषय वस्तु का निर्धारण, कोर्स डिजाइन किया जाना, प्रशिक्षण्ण कार्यक्रमों/सेमिनारों/वर्कशापों का मूल्यांकन आदि बैठक के मुख्य बिन्दु होगें।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पत्र संख्या–74/ XXVII/आडिट प्रकोष्ठ (9)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध संस्थान (राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार), 6–पुराना मसूरी रोड़ राजपुर देहरादून–248009।
4. सम्बन्धित अधिकारी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्याः 520 / XXVII (1) / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 29 जुलाई 2009।

वषिय :– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 के प्रस्तर 417 में निर्धारित प्रपत्र संख्या–43ए को पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में धन कोषागार / बैंक में जमा किये जाने के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित चालान प्रपत्र संख्या–43ए प्रयोग में लाया जा रहा है।

2– शासकीय विभागों / कार्यालयों तथा कोषागारों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण को दृष्टिगत रखते हुये चालान प्रपत्र संख्या–43 ए को पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया गया। तदनुसार वर्तमान में प्रयोग में लाये जा रहे चालान प्रपत्र संख्या–43ए के स्थान पर चालान प्रपत्र सख्या–43 ए(1) तथा प्रपत्र संख्या– 43ए (2) को श्री राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान कर ली है। इस प्रकार पुनरीक्षित चालान प्रपत्र संख्या– 43ए (1) राजस्व पूंजी लेखे की प्राप्तियॉ, लोक लेखा के अन्तर्गत पी0एल0ए0 आदि से सम्बन्धित धन जमा किये जाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। चालान संख्या–43ए (2) कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बन्धित धनराशि जमा करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित चालान प्रपत्रों के राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रण करने तथा प्रदेश के समस्त कोषागारों को भेजे जाने के कार्य का समन्वय निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड की देख–रेख में किया जाये। पुनरीक्षित चालान प्रपत्र प्रारम्भ में कोषागारों / उपकोषागारों में प्राप्त किये जा सकेंगे तथा अगे चलकर विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष राजकीय मुद्रणालय से चालान प्रपत्रों की आपूर्ति मांग पत्र भेजकर सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में काई कठिनाई होने पर निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून से सम्पर्क किया जा सकेगा।

4– उपरोक्त पुनरीक्षित चालान प्रपत्र संख्या–43ए (1) तथा प्रपत्र संख्या–43ए (2) दिनांक 1 सितम्बर,2009 से लागू होंगे और तब तक वर्तमान चालान प्रपत्र संख्या–43 एक का प्रयोग मान्य रहेगा।

5– कृपया उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाये। पुनरीक्षित चालान प्रपत्र के लागू किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

संलग्नकः यथापरि।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

प्रपत्र संख्या–43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिग)/बैंक का नाम व शाखा ....

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) ....
या संस्था के नाम धनराशि जमा हो ....
जा रही है उसका नाम ....

2. पता ....
....
....

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या ....
(यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण्ण ....
(धनराशि किसी हेतु जमा की जा रही है ....
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है। ....

5. चालान की सकल (gross) राशि ....
6. चालान की निबल (Net) राशि ....
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण fooj.k@ys[kk'kh"kZd की मोहर ....
8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड ....

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	व्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अकों में)

धनराशि (शब्दों में) ....योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... अंको में रू0

दिनांक .... शब्दों में रू0

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार (नॉन बैंकिग/बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित) (धनराशि रूपयों में)

नोट/सिक्के
1000X
500X
100X
50X
20X
10X
5X
2X
1X

चेक (पूर्ण विवरण के साथ) **योग**

टिप्पणीः–

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एंव पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक सेवा खण्ड–2 के अनुसार लेखा–शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्उ–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैंसे का काई अंश है, तो 20 पैंसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और अधिक की धनराशि को अगले उच्च्तर रूपये पर पूंर्णाकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 218/XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्ग सिद्वान्त 2008 के अनुपालन में नोडल विभाग जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (WPMU) का गठन किये जाने के फलस्वरूप संचार मण्डल (Governing Body) के सदस्य के रूप में श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड शा की ओर से अनुसचिव जलागम को नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या : 218 (1)/XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव ग्राम्य विकास विभाग भूमि, संसाधन मंत्रालय भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(एम.एच.खान)
सचिव।

संख्या–3408 / X–2–2009–12(9) / 2006 टी0सी0

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक
   उत्तराखण्ड देहरादून।

2. प्रमुख वन सरंक्षक
   ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त प्रबन्धन

   उत्तराखण्ड, नैनीताल

वन एंव पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर 2009

विषय – वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि उत्तराखण्ड एक वन बाहुल्य, जैविक विविधतायुक्त तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जिसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहां की मिट्टी पथरीली एवं भूमि कटाव से प्रभावित है। अधिकांश नैसर्गिक जल स्रोत प्राकृतिक वनों में उपलब्ध है, जिनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। मनुष्य तथा पशुओं के बढ़ते जैविक दबाव, प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल एवं वनस्पति के अवैज्ञानिक दोहन एवं त्रुटिपूर्ण भू–उपयोग गतिविधियों को अपनाने के कारण परिस्थितिकीय तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप हमारी जीवनदायिनी नदियों के उच्च जलग्रहण क्षेत्रों एवं आरक्षित वनों में स्थित पेयजल स्रोतों का ह्रास हुआ है। यह सर्वविदित है कि प्रदेश में वन प्रबन्धन में वन पंचायतों के माध्यम से परम्परागत तौर पर सामुदायिक भागीदारी रही है। वन पचांयतों के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में शासन द्वारा उत्तरांचल पंचायतीव नियमावली 2005 विज्ञप्त की गई है। इसके अनुसार वन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य वन तथा पर्यावरण की सुरक्षा, सरंक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना है। इन कार्यो के लिए वन पंचायतों को पृथक रूप से किसी भी कार्यदायी संस्था से धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्राविधानित किया गया है। वर्तमान में मृदा जल संरक्षण तथा संवर्द्धन की आवश्यकता को देखते हुये प्रदेश मे विभिन्न विभागों यथा जलागम, कृषि, पेयजल, बैम्बू बोर्ड, बॉयोफ्यूल बोर्ड, ग्राम्य

विकास एवं वन विभाग द्वारा क्षेत्र उपचार के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भविष्य में भी प्रदेश की पेयजल एवं भू–क्षरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु भावी परियोजनाऐं यथा मनरेगा, जलागम विकास (समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अन्तर्गत), बाह्य सहायतित परियोजनाओं, केम्पा द्वारा वित्त पोषित वानिकी परियोजनायें इत्यादि में भी इन गतिविधियों को स्थानीय ग्राम समुदाय के साथ सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। आरक्षित वनों के समीप निवास कर रहे ग्रामीण पारम्परिक रूप से चरान, चुगान अथवा जलौनी हेतु इन वनों पर आश्रित हैं। इन वनों मे स्थित जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथ मृदा संरक्षण सम्बन्धित कार्यो में स्थानीय समुदाय की वन पंचायतों के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चत की जानी चाहिए।

2– अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शेर्तो/प्रतिबन्धों के साथ वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किया जा सकेगा :–

1. स्थानीय वन पंचायत सम्बन्धित ग्रामों से सटे हुए आरक्षित वन क्षेत्र में क्षेत्र उपचार का कार्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में करेगी। इस हेतु वन पंचायत का चयन संबधिन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. वन पंचायत द्वारा उत्तराचंल पंचायती वन नियमावली 2005 के प्राविधानों के अनुरूप किसी भी परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग के जल स्रोतों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं क्षेत्र उपचार हेतु धनराशि प्राप्त की जा सकेगी।
3. वन पंचायत द्वरा क्षेत्र उपचार हेतु स्थलीय विकास योजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं परियोजना अधिकारी के तकनीकी एवं वित्तीय मार्ग निर्देशन में तैयार की जायेगी।
4. स्थलीय विकास योजना सम्बन्धित प्रभाग/विभाग/कार्यदायी संस्था/प्रोजेक्ट के कार्ययोजना में दिये गये निर्देशों के अनुरूप होगी एवं सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वन संरक्ष्ण अधिनियम 1980 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए स्थलीय विकास योजना अनुमोदित करेंगे।
5. स्थलीय विकास योजना में ऐसा कोई कार्य वन पंचायत अथवा सम्बन्धित परियोजना प्राविधानित नहीं करेंगें, जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन हो।
6. आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित ''स्थलीय विकास योजना'' में चिन्हित कार्यो के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यथा–आवश्यकता विचलन विवरण तैयार कर प्रभाग की कार्य/प्रबन्धन योजना से होने वाले विचलन के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
7. क्षेत्र उपचार योजना का क्रियान्वयन स्थानीय वन पंचायत एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के मध्य एक अनुबन्ध के तहत संयुक्त वन प्रबन्धन के माध्यम से किया जायेगा। अनुबन्ध की शर्तो का अनुपालन उभय पक्षों द्वारा किया जायेगा। किसी एक पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर

दिया जायेगा तथा सम्बन्धित वन पचांयत एवं परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग का कोई दावा/क्लैम नहीं होगा।

8. क्षेत्र उपचार हेतु अंतिम भुगतान सम्बन्धित (परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग) के द्वारा वन विभाग/ सम्बन्धित विभाग के अधिकृत अधिकारी के सत्यापन के बाद की सम्बन्धित वन पंचायत को किया जायेगा। वन पंचायतों द्वारा किये गये व्यय का लेखा–जोखा नियमानुसार रखा जायेगा तथा इनके खातों का वार्षिक सम्परीक्षण (आडिट), भारत सरकार के महालेखा नियन्त्रक के द्वारा अधिकृत चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा किया जायेगा।

9. (क) कार्य सत्यापन तथा कार्य संचालन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग/परियोजना की निर्धारित गाईड लाईन्स के अनुसार ही Forest (Conservations) Act 1980 एवं संगत अधिनियमों/नियमावली के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे। अधिनियम/नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन होने पर सक्षम स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

   (ख) कार्यदायी संस्था/परियोजना/सम्बन्धित विभाग द्वारा समय–समय पर वन पंचायतों द्वारा आरक्षित वन में करवाये जा रहे क्षेत्र उपचार का स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण वन विभाग को पूर्व में सूचित करने के उपरान्त किया जा सकेगा।

10. आरक्षित वन क्षेत्रों में वन पंचायतों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा का दायित्व परियोजना अवधि के अंतर्गत वन पंचायतों द्वारा वन विभाग के मार्ग निर्देशन में एन0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा एवं इस उपचार क्षेत्र का ब्यौरा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

11. सम्बन्धित आरिक्षत वनों के उपचार क्षेत्रों में परियोजना अवधि के दौरान अवैध कटान, अवैध शिकार, वन अपराधों एवं अग्नि से सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वन पंचायत की होगी।

12. आरक्षित वन क्षेत्रों में उपचार के अन्तर्गत किये गये कार्यो के सापेक्ष वन पंचायतों को भविष्य में उपचार क्षेत्र से वन उपज अथवा अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

13. राज्य स्तर पर प्रमुख वन सरंक्षक, (वन पंचायत) एवं वन विभाग की ओर से अन्य सभी विभागों, परियोजनाओं इत्यादि के समन्वय का कार्य करेंगे।

कृपया तद्नुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0/0

(नृप सिंह नपलच्याल)

अपर प्रमुख सचिव

<u>संख्या–3408 (1)/X– 2–2009, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डालयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

ह0/0

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या /XIII-III/525(5)/2004
देहरादून : दिनांक : 10–12–2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्त्यिों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2007

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह ''ख'' एवं ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''नियुक्त प्राधिकारी'' से निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय अभिप्रेत है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(ग) ''संविधान'' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है,

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ,

(च) '''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है

(छ) ''सेवा का सदस्य'' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ज) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्ग सेवा अभिप्रेत है,

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो तथा

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

भाग – 2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें परिशिष्ट–एक के अनुसार होगी।

परन्तु

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकेगें अथवा राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार होगा। या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतरिक्त अथवा अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का श्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :–

पदों की श्रेणियां	भर्ती का श्रोत
(1) कनिष्ठ सहायक	(क) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा
	(ख) 25 प्रतिशत पद समूह 'घ ' से जिसमें 10 प्रतिशत पद इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीण कर्मचारियों से तथा 15 प्रतिशत पद हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों से जिन्होने समूह 'घ' के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार

परीक्षा आयोजित कर चयन के माध्यम से। चयन हेतु 50 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(ग) प्रवर सहायक – मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ट सहायकों जिन्होने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(घ) मुख्य सहायक – मौलिक रूप से नियुक्त प्रबर सहायकों में से, जिन्होने प्रवर सहायक के पद पर पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(ङ) प्रशासनिक अधिकारी–2–II – मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य सहायकों में से जिन्होनें मुख्य सहायक के पद पर पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(च) प्रशासनिक अधिकारी–1–I– मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी–2 से जिसने लिपिक के रूप में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(छ)वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी – मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी–1 जिन्होने लिपिक के रूप में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यामार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका (पूर्ववर्ती सीलोन) तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो, परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि, यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अर्हता
कनिष्ट सहायक	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान्य होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसनेः–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो , या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पद्च्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक के अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष के विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है,

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका – खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा नियोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगाः–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(3) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्याकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (**Answer Sheet**) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) को उत्तराखंड की वेबसाईट **www.ua.nic.in** पर प्रकाशित किया जायेगा या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) अभ्यर्थी को टंकण की परीक्षा देनी होगी तथा टंकण परीक्षा के लिए 4000 KPDH (की डिप्रेशन पर आवर) की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की 4 गुना होगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों तथा टंकण परीक्षा के अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन

16. (1) सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) : नियुक्ति प्राधिकारी **अध्यक्ष**

(दो) : अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। **सदस्य**

(तीन) : अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों

या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। **सदस्य**

(चार) : भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

(पॉच) : संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। **सदस्य**

टिप्पणी :

यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम–16 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–6 : नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 एवं 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक

वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा ,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी– पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों के स्थाईकरण नियमावली, 2003 के अनुसार स्थायी किया जा सकेगा यदि :

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो ,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी यदि दो या उससे अधिक

व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है।

परन्तु उपबन्ध यह है कि, यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जायः

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है।

भाग – 7 : वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

2– इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार होगें:–

क0सं0	पदनाम	दिनांक 01.010.06 से पुनरीक्षित वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	कनिष्ठ सहायक	5200-20-200	1900.00
2.	प्रवर सहायक	5200-20-200	2400.00
3.	मुख्य सहायक	5200-20-200	2800.00
4.	प्रशासनिक अधिकारी–2	9300-34-800	4200.00
5.	प्रशासनिक अधिकारी–1	9300-34-800	4200.00
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34-800	4200.00

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परिक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहॉ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगीः

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगाः

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग – 8 : अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन, इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(एम0 एच0 खान)
सचिव

परिशिष्ट–एक

क0 सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	कनिष्ठ सहायक	--	22	22
2.	प्रवर सहायक	--	19	19
3.	मुख्य सहायक	--	16	16
4.	प्रशासनिक अधिकारी–II	--	3	3
5.	प्रशासनिक अधिकारी–I	--	2	2
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	--	1	1

(एम0 एच0 खान)
सचिव

क्रम संख्या – 207 (ख) पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/20009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेन्ट)

सरकारी सरकार द्वारा प्रकाशित

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियम आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर 2009 ई0
अग्रहायण 19, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 263/XIII-II/411(5)/2003

देहरादून : दिनांकः 10–12–2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 2009

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 2009 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी ।

सेवा की प्रास्थिति :

2. उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' और ''घ'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं :

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''नियुक्त प्राधिकारी'' से निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय अभिप्रेत है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है ,

(ग) ''संविधान'' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है ,

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ,

(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ,

(छ) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा अभिप्रेत है,

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, तथा

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

भाग – 2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग :

4. **(1)** सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा पर निर्धारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट–एक में दी गयी है ।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्त्रोत :

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :–

(क) ट्रेसर – सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) मानचित्रकार – (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ट्रेसरों जिन्होने ट्रेसर के पद पर दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण :

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हताऐं

राष्ट्रीयता :

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो,या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो :

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक आसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगाः

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी : जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

<u>शैक्षणिक अर्हताएं</u> :

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित आर्हताएं होनी चाहिएं

<u>पदनाम</u>	<u>अर्हताऐं</u>
मानचित्रकार	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
ट्रेसर	ज्यामितीय रेखांकन विषय के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड की हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

<u>अधिमानी</u> <u>अर्हतायें</u> :

9. अभ्यर्थी जिसने :–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो , या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

उसे अन्य बातें समान होते हुए भी, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

<u>आयु</u> :

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र :

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पद्च्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति :

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष के विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तक से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए की ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता :

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा :

14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

मानचित्रकार एवं ट्रेसर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया :

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगाः–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सम्बन्धित पद के शैक्षिक अर्हता के पाठ्यक्रम के अनुसार, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (**Answer Sheet**) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) को उत्तराखंड की वेबसाईट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(4) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थीयों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन :

16. सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(1). नियुक्ति प्राधिकारी

अध्यक्ष

(2). अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

(3). अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

(4). भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

टिप्पणी :

यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

पदोन्नति के लिए भर्ती की प्रक्रिया :

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर नियम–16 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

3– चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 : नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति :

19. (1) उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 17 एवं 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी भर्ती वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो श्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

<u>परिवीक्षा</u> :

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा ,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी– पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगेः

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या वह अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

<u>स्थायीकरण</u> :

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो ,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता :

22.(1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय,

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है।

(4) जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक श्रोत द्वारा की जाती है और श्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहेः

परन्तु यह कि :

(एक) जहॉ किसी स्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से अधिक की जाती है वहॉ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियॉ हों, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहॉ किसी स्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयीं। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम

(इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा ।

(तीन) जहॉ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी श्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियॉ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य श्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियॉ की जाती हैं, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

भाग – 7 : वेतन आदि

वेतनमान :

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

2– इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार होगें:–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	मानचित्रकार	5200-20,200	2400.00
2.	ट्रेसर	5200-20,200	1800.00

परिवीक्षा के दौरान वेतन :

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परिक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहॉ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा,

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग – 8 : अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन :

25. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी सिफारिश, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन :

26. ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण :

27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन, इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकेगी अथवा शिथिल कर सकेगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति :

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–एक

क0 सं0	**पदनाम**	**स्थायी**	**अस्थायी**	**कुल पद**
1.	मानचित्रकार	—	04	04
2.	ट्रेसर	—	04	04

आज्ञा से,

ह0 / –
(एम0 एच0 खान)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 263/XII-III/411(5)/2003, dated December 10, 2009 for general information:

No. 263/XIII-II/411(5)/2003,

dated, Dehradun, December 10, 2009

Miscellaneous

In exercise of the powers' conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Watershed Management Directorate, Draftsman, Tracer Service,

UTTARAKHAND WATERSHED DEPARTEMENT TRACER SERVICE RULES, 2009

PART I- GENERAL

Short title and 1. (1) These rules may be called, "The Uttarakhand Watershed Department Tracer Rules, 2009"

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service 2. The Uttarakhand Watershed Department Draftsman, Tracer is a subordinate service, comprising Group 'C' and 'D' Posts.

Definitions 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context

(a.) "Appointing Authority" means The Director, Watershed Management Directorate.

(b.) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the constitution;

(c.) " Constitution" means the Constitution of India;

(d.) "Government" means the State Government of Uttarakhand.

(e.) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(f.) "Member of service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(g.) "Service" means the Uttarakhand Watershed Department Draftsman, Tracer Service;

(h.) "Substantive Appointment" means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the Rules, and if there were no Rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

(i.) "Year of Recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part – II- Cadre

Part – II – Cadre of Service

4.(1) The strength of the Service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1) be as given in Appendix-I

Provided that-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III- Recruitment

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources-

(i) Tracer by direct recruitment

(ii) Draftsman (a) 50 Percent by Direct recruitment

(b) 50 percent by promotion form amongst substantively appointed Tracers, who have completed ten years service.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward Classes and other categories

belonging to the State of Uttarakhand Shall be in accordance with the Government orders in force at the time of the recruitment.

Part- IV- Qualifications

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be-

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee, who come over to India before Ist January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganiya and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provide that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided also that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy

Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided further that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such a candidate can be retained in service after a period of one year, only if he has acquired Indian Citizenship.

Note- a candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for recruitment to the various posts in the service must have the following qualifications.

Designation	Qualification
(i) Draftsman	Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttarakhand Board of High School and Intermediate Education and Examination or an examination recognized by the Government as equivalent thereto and a certificate of Draftsman from the Council of Technical Education Government of Uttar Pradesh/Uttarakhand or an institution recognized by the Government as equivalent thereto.

(ii) Tracer Must have passed High School examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh/ Uttarakhand with Geometrical Drawing as one of the subject.

Preferential Qualifications

9. In the matter of direct recruitment other things being equal, a candidate will be given preference if he has---

(i) Served in the territorial army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1st of the year in which recruitment is to be made if the posts are advertised during the period from January 1st to June 30th and on July 1st , if the posts are advertised during the period from July 1st to December 31st :

Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates belonging to the scheduled castes, Scheduled Tribes, other backward classes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, be higher by such number of years, as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note- Persons, dismissed by the Union Government or a state Government or by a Local Authority or a

Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude, shall also be ineligible.

Marital Status 12. A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this Rule.

Physical Fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free form any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III.

Provided that a medical certificate of fitness not be required from a candidate recruited by promotion.

Part – V – PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes and

other categories belonging to the state of Uttarakhand under Rule 6, and intimate to the Employment Exchange.

Procedure for direct recruitment to the post of Draftsman and Tracer

15. (1) For direct recruitment the Appointing Authority shall publish the application form in not less than two daily newspapers, having wide circulation.

(2) The Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published under sub rule (1) and notify the vacancies in the following manner :-

(i) By issuing advertisement in daily newspaper, having wide circulation;

(ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers and

(iii) By notifying the vacancies to the employment exchange.

(3) (i) There Shall be a written test for selection carrying 100 marks. Reternched employees shall be awarded 5 marks for each completed year of service subject to the maximum of 15 marks.

Merit list shall be prepared on the basis of aggregate of marks obtained in the written examination and other evaluations.

(II)-(a) There shall be an objective type written examination carrying 100 marks consisting of a single question paper which will include General Knowledge and General Studies as per the academic qualifications of the concerned post While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ marks for each incorrect answer as negative marking.

(b) When the examination is over, the candidates shall be allowed to carry back the Question Booklet of the written test with them.

(C) The Answer Sheet of the written examination paper shall be in duplicate with carbon copy and candidate shall be allowed to carry back the duplicate copy of the answer sheet with him.

(a) After the written examination the Answer key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in or shall be published in daily newspaper having wide circulation.

(4) The merit list (final selection list) shall be prepared in order of proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained in the written examination and other evaluations including referential marks for retrenched employee. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate obtaining more marks in the written examinations shall be placed higher in the selection list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examinations also, the candidate senior in age shall be placed higher in the selection list. The number of the names in the list shall be more (but not more than twenty-five percent) than the number of vacancies.

Constitution of selection committee

16. For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising -

(i) Appointing Authority **Chairman**

(ii) An officer belonging to **Member**
Scheduled castes, Scheduled Tribes, nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman.

(iii) An officer belonging to Other Backward Classes, **Member**
shall be nominated by the chairman, if the chairman does not belong to the other backward classes. If the chairman

belongs to the other backward classes, an officer other than other backward classes or scheduled castes or scheduled Tribes shall be nominated by the chairman.

(iv) An officer, having adequate knowledge in the **Member** related filed according to the requirements of the post, for which recruitment is to be made, shall be nominated by the Chairman.

Note- If the Appointing Authority is the Head of the Department in such case all the members of the Selection Committee shall be nominated by him. He may, on his behalf, nominate an officer senior to other members, as Chairman of the Selection Committee.

Procedure for Recruitment by Promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, trough the Selection Committee, constituted under rule 16.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidate, arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Combined selection list

18. If recruitment is to be made both by direct recruitment and by promotion in any year a combined selection list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

PART VI- APPOINTMENT PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to sub rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order, in which they stand in the lists, prepared under Rules 15,17 and 18, as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment if appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion,

no regular appointment shall be made until selection from both the sources are made and a combined list is prepared in accordance with Rule-18.

(3) If more than one appointment orders are issued, in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the selected persons in order of seniority as determined in the selection or as the cadre from which may be, as it stand in the cadre from which they are will be promoted.

(4) If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 18. Appointing Authority may make appointment in temporary or officiating capacity also from the list, prepared under sub rule (1). If no candidate borne on these is available, he may make appointments eligible in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these Rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Probation

20. (1) A person on appointment to a post in the Service or against a permanent vacancy, shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation, in individual cases, specifying the date, upto which the period is extended.

Provide that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond 2 years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does no hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) a probationer, who is reverted or whose services to are dispensed under sub rule (3), shall be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity

in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose computing the period of probation.

Confirmation

21. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation, or extended period of probation is reparted.

(a) His work and conduct is reported to be satisfactory,
(b) His integrity is certified, and
(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

22. Expect as hereinafter provided, the seniority of a person, shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules 2002 and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment orders:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment, and in other case, it will mean the date of issue of the order.

(2) The inter se seniority of persons, appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the selection committee.

Provided that a candidate, recruited directly may lose his seniority of he fails to joint without valid reasons, when the vacancy is offered to him.

(3) The inter se seniority of persons, appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where recruitment are to he made both by promotion and direct recruitment or by any one source and the respective quota is prescribed the if inter se seniority shall be determined by arranging the names in cyclic order in the combined list prepared in accordance with Rule-18 in such, manner that the prescribed percentage is mentioned:

Provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the inter se seniority of persons appointed in axcess of quota shall be pushed down to the subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get the seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however that in the combined list of that year to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names in cyclic order of the other appointments.

(iii) Where, in accordance with the Rules or prescribed procedure the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant Rule or procedure be filled from other source and the appointments in excess of quota are so made, the persons so appointed shall got the seniority of that every year as if they are appointed against he vacancies of the quota.

Part VII- PAY ETC

Scale of

23. (1) The Scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the shall be such as may be determined by the Government from time to time.

2. The Scale of pay at the time of commencement of these rules shall be as follows:-

S.No.	Designation	Date 01-01-06 revised pay	Grade pay
1	Draftsman	5200-20,200	2400.00
2	Tracer	5200-20,200	1800.00

Pay During

24. (1) Notwithstanding any provision in the

Probation

fundamental rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Govt. service, shall be allowed his first increment in the time scale when

he has completed one year of satisfactory service, passed departmental examination and undergone training where prescribed and the second increment after two years service for completion of probation period and is also confirmed.

Provide that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Govt. shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government service, shall, be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants, generally serving in connection with the affairs of the state.

Part VIII-Other Provisions

Canvassing

25. No. recommendations either written or oral, other than those required under the rules applicable to the service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to government Servants, serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the Conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule,

regulating the conditions of service of a person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the Rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of the rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

28. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions, required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time in this regard.

Appendix –I

S.No.	Designation	Permanent	Temporary
1	Draftsman	-	4
2	Tracer	-	4

By order,

M.H. KHAN
Secretary

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 230 / XIII-II/51(5)/2005
देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2010

<u>संशोधन / विस्तार</u>

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजना के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी सिद्वान्त 2008 के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय करते हुए जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया। उक्त एजेन्सी में जिला स्तर पर जिला जलागम विकास इकाईयों के कार्यो के मार्ग दर्शन एवं समन्वय हेतु शासनादेश संख्या 1216 XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति में आंशिक संशोधन / विस्तार करते हुये क्रम संख्या 13 पर सम्बन्धित जिले के एक ब्लाक प्रमुख (आवर्तन में) सदस्य तथा क्रम संख्या 14 पर सम्बन्धित जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक जिला पंचायत सदस्य, (आवर्तन में) सदस्य होंगे।

उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा अन्य जिला जलागम विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) के अध्यक्ष / सदस्य एवं कार्य यथावत रहेंगे।

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

<u>संख्या : 230 (1) / XIII-II/51 (5) 2005 तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागाध्यक्ष, (वन कृषि ग्राम विकास पंचायतीराज लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

(एम.एच.खान)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 44 / XIII-II/36(5)/2009
देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गद सिद्वान्त 2008 के अनुपालन में जिला जलागम विकास इकाई (DWDU) का पृथक खा खोले जाने हेतु सोसायटी रजिस्ट्रशन एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हेतु राज्यपाल महोदय जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (DWDU) के प्रशासक मण्ड गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते है।

क्रम सं0	पदनाम	पता	पद
1	अध्यक्ष	जिला अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
2	उपाध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी / परियोजना प्रबन्धक डी0डब्ल्यू0डी0यू0 (जिले का नाम)	पदेन
3	सदस्य	प्रभागीय वनाधिकारी (जिला नोडल अधिकारी) (जिले का नाम)	पदेन
4	सदस्य	जिला पंचायती राज अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
5	सदस्य	मुख्य कृषि अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
6	सदस्य सचिव	प्रस्तावित सूची के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
7	सदस्य	परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 (जिले का	पदेन

		नाम)	
8	सदस्य	जिला उद्यान अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
9	सदस्य	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
10	सदस्य	अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई) (जिले का नाम)	पदेन

(एम0एच0खान)

सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 23 / XIII-II/36(5)/2009
देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2010

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गद सिद्वान्त 2008 के अनुपालन में जिला जलागम विकास इकाई (DWDU) का पृथक खा खोले जाने हेतु सोसायटी रजिस्ट्रशन एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हेतु राज्यपाल महोदय जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (DWDU) के सदस्य सचिव जनपदवार नामित किये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते है।

कम सं0	जिले का नाम	डी0डब्लू0पी0एम0यू0 हेतु नामित सदस्य सचिव पद
1	उत्तरकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डैम–II प्रभाग–उत्तराकाशी)
2	टिहरी गढ़वाल	प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डैम–I प्रभाग–टिहरी गढ़वाल)
3	चमोली	प्रभागीय वनाधिकारी (अलकनन्दा भूमि संरक्षण प्रभाग, गोपेश्वर, चमोली)
4	रूद्रप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी रूद्रप्रयाग
5	पौडी गढ़वाल	प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम, पौड़ी गढ़वाल)
6	देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून
7	हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार
8	ऊधमसिंहनगर	मुख्या कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर
9	नैनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल

10	चम्पावत	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
11	बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
12	अल्मोड़ा	प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम प्रभाग अल्मोड़ा/भूमि संरक्षण प्रभाग रानीखेत)
13	पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

(एम0एच0खान)

सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 23/XIII-II/36 (5)/2009
देहरादूनः दिनांकः 23 फरवरी, 2010.04.19

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के अनुपालन में जिला जलागम इकाई (DWDU) का पृथक खाता खोले जाने हेतु सोसायटी एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (DWPMU) के सदस्य सचिव जनपदवार नामित किये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते है।

क0 सं0	जिले का नाम	डी0डब्ल्यू पी0एम0यू0 हेतु नामित सदस्य सचिव
1	उत्तराकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डैम–II प्रभाग–उत्तरकाशी
2	टिहरी गढवाल	प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डैम–I प्रभाग–टिहरी गढ़वाल)
3	चमोली	प्रभागीय वनाधिकारी (अलकनन्दा भूमि संरक्षण प्रभाग, गोपेश्वर,चमोली)
4	रूद्रप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी रूद्रप्रयाग
5	पौड़ी गढ़वाल	प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम, पौड़ी गढ़वाल)
6	देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून
7	हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार
8	ऊधमसिंह नगर	मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंह नगर
9	नैनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल
10	चम्पावत	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
11	बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर,वन प्रभाग, बागेश्वर
12	अल्मोड़ा	प्रभागीय वनाधिकारी, (सिविल सोयम प्रभाग अल्मोड़ा/भूमि संरक्षण प्रभाग रानीखेत
13	पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

(एम0एच0 खान)
सचिव,

संख्या 23/XIII-II/36 (5)/2009 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव ग्राम्य विकास विभाग भूमि, संसाधन मंत्रालय भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. डी0डब्ल्यू0पी0एम0यू0 हेतु नामित समस्त सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

(एम0 एच0 खान)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

संख्या 44/XIII-II/36 (5)/2009

देहरादूनः दिनांकः 23 फरवरी, 2010.04.19

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के अनुपालन में जिला जलागम विकास इकाई (DWDU) का पृथक खाता खोले जाने हेतु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (DWPMU) के प्रशासक मण्डल गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कम सं0	पदनाम	पता	पदेन
1	अध्यक्ष	जिला अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
2	उपाध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना प्रबन्धक डी0डब्ल्यू0डी0यू0 (जिले का नाम)	पदेन
3	सदस्य	प्रभागीय वनाधिकारी (जिला नोडल अधिकारी) (जिले का नाम)	पदेन
4	सदस्य	जिला पंचायती राज अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
5	सदस्य	मुख्य कृषि अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
6	सदस्य सचिव	प्रस्तावित सूची के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
7	सदस्य	परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 (जिले का नाम)	पदेन
8	सदस्य	जिला उद्यान अधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
9	सदस्य	मुख्य पशुचिकित्याधिकारी (जिले का नाम)	पदेन
10	सदस्य	अधिसासी अभियन्ता (लघु सिंचाई) (जिले का नाम)	पदेन

(एम0 एच0 खान)

सचिव

संख्या 44/XIII-II/36 (5)/2009 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव ग्राम्य विकास विभाग भूमि, संसाधन मंत्रालय भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(एम0 एच0 खान)
सचिव

संख्या–139/XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड, शासन।

वित्त अनुभाग –1 **दिनांक 05 मार्च 2010**

विषय– प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बनाये जाने हेतु प्रभाबी दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश –697/XXVII (1)/2009 दिनांक 21.10.2009 एवं शासनादेश संख्या 823/ /XXVII (1)/2009दिनांक 09.12.2009 का संन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 21.10.2009 के प्रस्तर 5–6 के अनुक्रम में वित्तीय स्वीकृति विषयक पत्रावलियां वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2010 के बाद भी स्वीकार की जायेगी। अतः अनुरोध है कि उक्त तिथि के बाद वित्तीय स्वीकृतियों की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पत्रावलियां ही वित्त विभाग को प्रशासकीय विभागों द्वारा संदर्भित की जाय।

भवदीय

(एल0एम0 पन्त)
सचिव वित्त,

संख्या–139/ XXVII (1)/2010एवं तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुतः–

1. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिग सहारनपुर रोड देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमांयूँ।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. निदेशक एन0आईसी0सचिवालय परिसर देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एल0एम0 पन्त)
सचिव वित्त

<u>संख्या–139 / **XXVII** (1) / 2010</u>

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तराखण्ड, शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   एवं प्रमुख कार्यालय
   उत्तराखण्ड, ।

वित्त अनुभाग –1 **दिनांक 05 मार्च 2010**

विषय :–वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट के उपयोग हेतु आहरण वितरण कार्य दिनांक 31. 03..2010 में ही पूर्ण किया जाना है।

महोदय,

वित्तीय वर्ष के अधीन बजट एवं लेखा सम्बन्धी प्रकिया तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या बी–3804 / दस 1999 दिनांक 15 जुलाई 1999 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें वित्तीय वष्र से सम्बन्धि देयक कोषागार में विलम्बतम दिनांक 25 मार्च तक प्रस्तुत करने की प्रकिया निर्धारित है। (प्रतिलिपि संलग्न)

2. इस सम्बन्ध में मुझे एह कहने का निदेश हुआ है कि मार्च माह का वेतन आहरित न होने तथा अप्रैल माह में दो माह के वेतन के आहरण तथा गत् वित्तीय वर्ष के मार्च माह के अत्याधिक धनराशि के चैक अप्रैल में आहरित करने की प्रकिया से अप्रैल माह में कैश की ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न होती है जिससे सभी प्रकार के भुगतान रोकने की सम्भावना बनी रहती है। वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के कम में वेतन के अवशेष एवं चालू भुगतान किये जाने है।अतः एक वित्तीय वर्ष का कैश भार ठीक बाद के वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत चैक दिनांक 31.03.2009 तक ही बैंक / ट्रैजरी से कैश किये जाय, उक्त व्यवस्था डी0सी0एल0, सी0सी0एल0 एवं पी0सी0एल0 के चैकों पर समान रूप से लागू होगी राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पार्किग फण्ड धनराशि न तो आहरण किया जाय न होने वाले कार्य की प्रत्याशा में ड्राप्ट बनाकर रखा जाय। इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासन हीनता की श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अतः सभी प्रशासनिक विभाग अपनी वित्तीय स्वीकृति का टाईम शिड्यूल इस प्रकार बना लें कि सभी स्वीकृतियों के देयक दिनांक 25.03.2010 तक कोषागार में प्रस्तुत कर दिया जाय।

3 उपरोक्त आदेशों का कढाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त

<u>संख्या–139/ XXVII (1)/2010एवं तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुतः–

1. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिग सहारनपुर रोड देहरादून।
2. समस्त स्टाफ आफिसर, सचिवालय उत्तराखण्ड, शासन।
3. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमांयूँ।
4. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड,।
5. समस्त आहरण वितरण अधिकरी उत्तराखण्ड,।
6. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव वित्त

संख्याः872XXVII(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः08 मार्च, 2011

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–444 / XXVII(7)ए0सी0पी0(1) / 2010 दिनांक 09 फरवरी, 2010 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्याा:542 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 15 अक्टुबर, 2010 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय,समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01–01–2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त योजना दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹ 7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैंण्ड में ग्रेड पे ₹ 4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 01–09–2008 से तथा वेतनमान ₹ 8000.13500 पुनरीक्षित वेतन बैंण्ड में ग्रेड पे 5400 तथा उससे ऊपर के वेतन बैंण्ड एवं ग्रेड पे के पदधारकों के लिए दिनांक 01–01–2006 से प्रभावी होगी।

(2).(प) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान / सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की

नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

(क) किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाविधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेउ वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेउ वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, समे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्श्नल वेतनमान/ग्रेउ वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नानफंक्श्नल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफंक्श्नल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होगें।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(अ) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक समे कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (च्तवइंजपवद चमतपवक) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं संबन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोनयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्याः–395 XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टुबर, 2008 के संलग्नक–1 के स्तम्भ–4 एवं 5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप समे पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के संबन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनायें रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर संबन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ संबन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होगें।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित

होगीं जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के प्राविधानों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता समे कोई संबन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य करायें जाने के पश्चात् संबन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो संबन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जायें। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की दयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हे निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न हैं, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद मर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु संबधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो संबधित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पद ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन पद पर अनुमन्य हो रहे बैंण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन जो भी लाभप्रद हो को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के संबधं में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31–08–2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी

यथावत् लागू रहेगें। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31–08–2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेगेः–

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना संबधित
पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैंण्ड वेतऩग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 में पूर्णाकिंत करते हुए की जायेगी। संबधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(2) (I) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को संबंधित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुारनिर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भ्ज्ञर्ती हेतु निर्धारित न्यनतम बैण्ड वेतन कम होता है तो संबंधित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(II) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबधित पदधारक को अगली वेतनवद्धि न्यूनतम 06 माह के उपरान्त पड़ने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्रू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जनवरी /जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्रू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।

(III) वेतन बैण्ड रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5,400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर 2(I) तथा 2 (II) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(IV) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृतद्धि देते हुए किया

जायेगा। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

1. संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो संबंधित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।
2. ऐसे मामले में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

   परन्तु,

   उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा ।

टिप्पणी :– उक्त व्यवस्था से संबंधित कतिपय उदाहरण संलग्नक –1 पर उपलब्ध हैं।

3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे संबंधित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

   ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत

देय लाभ दिनांक 01 सितम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमान्य होंगे–

1. समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्वि को ए0सी.पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नानफक्श्नल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नानफक्श्नल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफक्श्नल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
2. जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
3. जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा ।

   परन्तु

   दिनांक 01 सितम्बर 2008, के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4. वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित

पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन परिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा ।

5. 1. वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके संबंध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

   2. स्क्रीनिंग कमेटी की केस–टू–केस प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बैठक आयोजित कर विचार किया जायेगा ।

   3. उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा ।

6. ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही ळें
7. ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
8. ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 395/XXVII(7) दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्याः 872 (1)/XIII-II/2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वृत्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः 872/XXVII (7)/2011, दिनांक 08/3/2011 का संलग्नक–1

उदाहरण–1

वेतनमान रू0 4000–6000(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–) के पद पद कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपयुक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद को वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेजन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपयुक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान 4500–700(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड –1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधित/उच्चीकृत के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(I)

वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैसक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति वन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– से अगला वेतन बैण्ड –2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू04200/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू04600/– अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(II)

इसी प्रकार वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृष्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य है। उक्त स्थिति में संबंधित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एव ग्रेड वेतन रू0 4600/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–अनुमान्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षि वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर संबंधित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 बी (1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। संबंधित सरकारी क्रामिक का ए0सी0पी0 के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

1. यदि संबंधित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जनवरी/01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन 100.00 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि की गणना 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना 103.00 पर की जायेगी।
2. यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः–

   व्तनमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णाकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहॉ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहॉ भी इसी पद्वति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहॉ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट—यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01, जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण— किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी। उदाहरण — किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसक अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2010 को देय होगी।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या 260/XIII-II/36 (5)/2009

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 18 मार्च, 2010.

विषयः डी0डब्ल्यू0पी0एम0यू0 के नियम नियमावली अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1161/1–2/DWPMU/09/(SLNA) दिनांक दिसम्बर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई का सोसायटी रिजस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हैं। प्रस्तावित नियम नियमावली प सहमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एम0एच0 खान)
सचिव,

संख्या /XII/1186(53) /2005

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुंसाई,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त।
2– समस्त जिलाधिकारी।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2011.

विषयः केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यू0एम0पी0)के क्रियान्वयन हेतु गठित ''जल एवं जलागम प्रबंधन समिति'' के खाते के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना संख्या–4077/33–2–99–48जी/99, दिनांक, 29 जुलाई, 1999 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 970 86 (53)/2005, दिनांक 05 दिसम्बर, 2005 तथा शासनादेश संख्या–525/XIII/86(53)/2006, दिनांक 26 जुलाई, 2006 में विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना में ग्राम निधि के संचालन हेतु उल्लिखित व्यवस्था केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजना में भी यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,
(डा0पी0एस0 गुंसाई)
सचिव।

संख्या 696/XII/11/86 (53/ 2005, **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, कृषि एवं विपणन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक/संयुक्त निदेशक/ पंचायतीराज, निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सी0एम0एस0बिष्ट
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 172 / XIII-II/2011-51(5)/2005
देहरादून : दिनांक : 02 सितम्बर 2011

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय करते हुए जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। उक्त एजेन्सी में जिला स्तर पर जिला जलागम विकास इकाईयों (DWDU) के कार्यो के मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1216 XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19दिसम्बर, 2008 द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्तानुसार गठित समिति में आंशिक संशोधन / विस्तार करते हुए संबंधित जनपद के उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध को भी समिति में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 23 / XIII-II/36(05)/2009 दिनांक 23 फरवरी, 2010 द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों को संबंधित जनपदों में जिला जलागम परियोजना प्रबंध इकाईयों (DWPMU) का सदस्य सचिव नामित किया गया था। तत्क्रम में वर्तमान में प्रत्येक जनपद में संबंधित उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध को संबंधित जनपदों की DWPMU का सदस्य सचिव नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त समेकित जलागम प्रबंध कार्यक्रम (IWDP) के अन्तर्गत आगामी परियोजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में वर्तमान में सम्मिलित विभागों के साथ–साथ जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अधीन जनपदों में कार्यरत प्रभागीय कार्यालयों / उप परियोजना निदेशकों को भी जलागम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनके दीर्घकालिक अनुभवों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था (P.I.A.) नामित किए जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त प्रस्तर–1 व 2 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 फरवरी, 2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास।

संख्या : 172(1) / XIII-II/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

13. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध), उत्तराखण्ड शासन।
16. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
17. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
18. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
19. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई), उत्तराखण्ड।
20. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
22. समस्त उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध, उत्तराखण्ड।
23. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एच.खान)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नियोजन अनुभाग–1
संख्या–220/XXVI/ एक (11)/2011
देहरादूनः दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न विभागों के निमार्ण कार्यो की गुणवत्ता तकनीकी जांचों में पायी गयी कमियों तथा इनकी रोकथाम पर चर्चा के लिए आयोजित कार्यशाला के कम में अवस्थापना विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून, 2011 को सम्पन्न बैठक में विस्तृत चर्चा के दौरान पाया गया कि प्रायः एक ही जल श्रोत के निकट स्थलों पर Water User विभाग अपनी–अपनी योजनायें निर्मित कर लेते हैं, जिससे पूर्व में निर्मित योजनायें कुप्रभावित होती हैं। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णीत हुआ कि Water User विभाग की जनपद स्तर पर समिति गठित की जाय, जो पानी की उपलब्धता/ Discharge की स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त योजना निर्माण की सहमति प्रदान करें। अतएव उक्त प्रयोजनार्थ Water User विभाग की जनपदवार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति निम्नवत् गठित की जाती हैः–

1.	जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी,	उपाध्यक्ष
3.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग,	पदेन सचिव
4.	अधिशासी अभियन्ता, पेयजल विभाग,	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई विभाग,	सदस्य
6.	जलागम प्रबन्ध का प्रतिनिधि	सदस्य

सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा समिति हेतु जनपदवार विषयवस्तु से भिज्ञ अधिशासी अभियन्ता नामित किये जायेंगे।

(एस0रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या–220(1)/XXVI/ एक (11)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/ सिंचाई/पेयजन/जलागम/लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, राजस्व/ सिंचाई/पेयजल/जलागम/लघुसिंचाई, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तराखण्ड शासन ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/–
(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या 29/XIII-(II)/09(07)/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियेाजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 29 फरवरी, 2012

विषय – अवमानना वाद संख्या 83 ऑफ 2011 दिनेश चन्द्र भट्ट बनाम श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन व 02 अन्य एवं अवमानना वाद संख्या – 219 ऑफ 2007 दिनेश चन्द्र भट्ट व अन्य बनाम श्री एम0एच0 खान व अन्य में परित आदेश दिनांक 09.01.2012 का अनुपालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2109/17-54 दिनांक 31 जनवरी, 2012 एवं पत्र संख्या 2166/17-54(ब) दिनांक 04 फरवरी 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 4501/एस.एस./2001 दिनेश चन्द्र भट्ट बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 22.08.2003 एवं उक्त रिट याचिका से उत्पन्न अवमानना वाद संख्या 83 ऑफ 2011 दिनेश चन्द्र भट्ट बनान श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन व 02 अन्य एवं अवमानना वाद संख्या 219 ऑफ 2007 दिनेश चन्द्र भट्ट व अन्य बनाम श्री एम0एच0 खान व अन्य में मा0 न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के अनुपालनार्थ याचीगणों के विनियमितीकरण हेतु तत्काल प्रभाव से श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' के अधिसंख्य पदों की निम्नवत स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड**	**ग्रेड वेतन**	**सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	समूह 'ग'			
1	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	1900	5
2	इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	1900	1
3	वर्क सुपरवाईजर	5200–20200	1900	1
	योग			**7**
	समूह 'घ'			
4	चपरासी/चौकीदार/अर्दली/डाकिया	5200–20200	1800	28
5	माली	5200–20200	1800	7
6	प्लम्बर	5200–20200	1800	1
7	स्वच्छक/सफाई कर्मचारी	5200–20200	1800	4
	योग			**40**
	कुल योग			**47**

(सैतालिस पद)

2— प्रश्नगत अवमानना वाद में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के अनुपालन हेतु उक्त अधिसंख्य पद अपवाद स्वरूप सृजित किये जा रहे हैं।

3— उक्त अधिसंख्य पदों पर विनियमित होने वाले याचीगणों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यू, त्यागपत्र, विभाग में नियमित पद उपलब्ध होने अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह स्वतः समाप्त समझे जायेगें। इलैक्ट्रीशियन तथा वर्क सुपरवाईजर के लिये भविष्य में कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त होने पर अधिसंख्य पद समाप्त हो जायेगा। परन्तु इन्हें कनिष्ठ सहायक पदधारक को अनुमन्य पदोन्नति का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4— दैनिक वेतन पर रोक के उपरान्त भी बिना स्वीकृत पद के दैनिक वेतन पर कार्मिकों ाको रखने के सन्दर्भ में हुई वित्तीय अनियमितता / लापरवाही के लिए चार सप्ताह के भीतर जॉच कर दायित्व भी निर्धारित किया जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 181 दिनांक 29.02.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

<u>संख्या : 29(1)/XIII-II/2012-09(07)/2011 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इंटरनल ऑडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, मां. श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग / कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0 /

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पत्रांकः— 313/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनु—07, देहरादूनः दिनांकः १७ अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0—872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0—10/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0—65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0—216/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं—जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण—मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन—स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तद्नुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) पुनरीक्षित वेतन—संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये समानता के आधार पर एक ही तिथि 01.09.2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31.08.2008 तक पुनरीक्षित वेतन—संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद धारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था, यथावत् लागू रहेगी। परिणामस्वरूप दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमानों में रू0 8000—13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31.12.2005 तक प्रभावी रही, पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 31.08.2008 तक यथावत् लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या—395/xxvii(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का प्रस्तर—13 एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर—1(1) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

77

(2) सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) संशोधित समझा जायेगा :–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए0सी0पी की व्यवस्था लागू होने के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति, उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(3) एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू होने के पूर्व अथवा बाद में, प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित

वेतन संरचना में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर प्रोन्नति हुयी है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा। यहां, "**समान ग्रेड वेतन**" का आशय, उस ग्रेड वेतन से तुलना का है, जो कार्मिक की पदोन्नति की तिथि को, उसे किसी भी रूप में (पद के साधारण वेतनमान या समयमान वेतनमान या ए0सी0पी0 यथास्थिति) वास्तविक रूप से प्राप्त ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन, उसे प्राप्त पदोन्नति की तिथि को, पूर्व से वास्तविक रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होगा, तो ऐसी पदोन्नति को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में नहीं माना जायेगा। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1 (2) (v) संशोधित समझा जायेगा किन्तु उसके अधीन "**परन्तुक**" यथावत लागू रहेगा।

(4) किसी वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(7) एवं शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल 2011 के प्रस्तर–3 की तालिका में बिन्दु–02 के संदर्भ में पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण को संशोधित समझा जायेगा:–

" किसी कार्मिक को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा, जब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कार्मिकों की भर्ती का स्रोत तथा सेवा–शर्तें समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती, तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

(5) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के **प्रस्तर–3 (प्रथम अंश)** में उल्लिखित " **धारित पद**" का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में "**सीधी भर्ती**" से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में " **उक्त आधार**" का आशय कि उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर–1 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था से है। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का उपर्युक्त प्रस्तर–3 (प्रथम अंश) संशोधित समझा जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक

79

30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपकमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपकमों/ सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या:– 318 (1)/ xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

पत्रांकः– 314 /xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7)40 (ix)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0–216/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षित वेतन–संरचना में वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदधारकों को पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाले लाभों को समायोजित करते हुये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 के प्रस्तर–3(द्वितीय अंश) के विभिन्न उप प्रस्तरों में निहित है किन्तु ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदो के पदधारकों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उसमें उल्लेख न होने के कारण, तत्सम्बन्धित स्पष्टीकरण की भी अपेक्षा है। अतएव ऐसे पदधारकों के सम्बन्ध में भी अपनायी जाने वाली प्रकिया को निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तदनुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि 01.09.2008 को कोई अधिकारी, जिसके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन रू0 5400 या अधिक है, पद के साधारण वेतनमान में है, को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुये उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 के

प्रस्तर–1(यथा संशोधित/यथा स्पष्टीकरण) में निहित व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ यथास्थिति अनुमन्य होंगे। यहां भी, **"धारित पद"** का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में **"सीधी भर्ती"** से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में **"उक्त आधार"** का आशय उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर–1 (यथास्थिति) में निहित व्यवस्था से है।

(ख) उपर्युक्त पदधारक, जो दिनांक 01.09.2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार सीधी भर्ती से धारित पद के साधारण वेतनमान से उच्च किसी वैयक्तिक वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में कार्यरत है, को निम्नानुसार एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के लाभ देय होंगे:–

(i) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा–अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सदंर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष/कतिपय मामलों में 16 वर्ष/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उक्त धारित पद से किसी अन्य पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुये उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सदंर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ग) सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियां प्राप्त होने के पश्चात किसी भी दशा में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नही है। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की उक्त सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं

ग्रेड वेतन रू0 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के ऐसे पदधारक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश (ENTRY) के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के सम्तुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नही होगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों/सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः– 315 (1)/xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालच के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

83

पत्रांकः–589/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादूनः दिनांकः०१ जुलाई 2013

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7) न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7) 40(ix)/2011,दिनांक07अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 सं0–216/xxvii(7) 40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011, सं0–313/xxvii(7)40 (ix)/2011 एवं सं0–314/xxvii(7)40(ix)/2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं–जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण–मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि शासन–स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त ए0सी0पी0 के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तद्नुसार ही ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) राजकीय कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10,18 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ कतिपय

1

प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये गये है, के स्थान पर क्रमशः 10,16 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) एवं शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 का प्रस्तर–2 (2) संशोधित समझा जायेगा:–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने की तिथि 01.09.2008 के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रथम प्रोन्नति, उसकी सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

2-

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक दो पदोन्नतियाँ अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान अथवा एक पदोन्नति के बाद प्रोन्नति के पद के सापेक्ष प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान (यथा स्थिति) का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 16 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक तीन पदोन्नतियों का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(घ)उपर्युक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (5) एवं सं0 314//xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (क) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत "धारित पद" का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके फलस्वरूप यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च

2011 के क्रम में पूर्व की स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है
तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के अधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान
अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा
सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद
में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबन्धित कार्मिक को पूर्व से
अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर–3 (2) संशोधित समझा
जायेगा।

(3) ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की
अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन
रू0 2000 को "इग्नोर" किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु
ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा। इस सीमा तक उपर्युक्त
शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर–1(3) संशोधित समझा जायेगा।

(4)(क) ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु "नॉन फंक्शनल" वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को
"इग्नोर" किया जायेगा। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(2) (ii) को
विलुप्त माना जायेगा।

(ख) उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों के संदर्भ में "नॉन फंक्शनल"
वेतनमान/ग्रेड वेतन की व्यवस्था सामान्य रूप में सभी सेवा–संवर्गों/पदों पर लागू नहीं है, बल्कि
पूर्व में उत्तराखण्ड सचिवालय और उससे समकक्षता वाले अन्य कार्यालयों में जिन कतिपय पदों
(जैसे–अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव) पर यह विशिष्ट व्यवस्था लागू थी, वह भी समाप्त हो
चुकी है। वर्तमान में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की विशिष्ट व्यवस्था राज्य सरकार के
निर्णयानुसार केवल फार्मेसिस्ट के पद पर ही, तत्सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग
की सहमति से निर्गत शासनादेश से लागू है। अतएव यदि किसी प्रकरण में फार्मेसिस्ट पद से
भिन्न किसी पदधारक को किसी भी स्तर से इस रूप में कोई भी वित्तीय लाभ त्रुटिवश प्रदान
कर दिया गया हो, तो उसे यथाशीघ्र सही कराया जाना और वेतन–भत्ते के रूप में अधिक

4

भुगतानित धनराशि का समायोजन भी संबन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर अपेक्षित होगा।

(5)(क) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(1) के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड–3) एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन/वेतन बैण्ड के लिए ए0सी0पी0 की जो व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से लागू की गई थी, उसे बाद में समानता के आधार पर संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2(1) के अनुसार दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी किया गया है। यद्यपि, उक्त शासनादेश 8 मार्च, 2011 में ऐसे कार्मिकों को ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 लागू किये जाने अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को ही भविष्य में भी बनायें रखने का निर्णय उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(4) के अनुसार संवर्ग–नियंत्रक/प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से लिया जाना था, फिर भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा, किन्तु ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी/प्रशासकीय विभाग) एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण हेतु विकल्प की तिथि (यथा– दिनांक 01.01.2006 अथवा अन्य तिथि, जो भी हो) से ही यदि ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया गया है, तो वेतन का निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व से प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर ए0सी0पी0 के लाभ के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में सीधे ही शासनादेश सं0 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी फिटमेण्ट तालिका के अनुसार ही किया गया हो और यदि वेतन निर्धारण हेतु इससे भिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी हो, तो उस प्रकरण में वेतन– भत्तों के रूप में अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन अपेक्षित होगा। ज्ञातव्य है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना (यथा विकल्प) लागू होने और से0 ग्रेड/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने की एक ही तिथि होने की दशा में , उस तिथि को दो बार वेतन निर्धारण किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा लागू नहीं की गयी है।

(ख) ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड–3) या उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रक्रियात्मक व्यवस्था विषयक उक्त शासनादेश सं0 314/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2(ख) (i) एवं (ii) निम्नानुसार संशोधित समझे जायेंगे:–

(i) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। सेवा–अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष/कतिपय मामलों में 16 वर्ष/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि उसे सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त न हुयी हों।

3– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 (यथा संशोधित) में निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–60–उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है। अतएव उनके सम्बन्ध में

-7-

प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4— कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराते हुये विभागीय स्तर पर "टेस्ट—ऑडिट" भी यथा समय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(...केश शर्मा)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्याः— 589 (1)/xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3—प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4—प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5—स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें—स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7—वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9—उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10—इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11—निदेशक, एन. आई. सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12—गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव

स० 697.

संख्या– /XXVII/(7)30(1)/08

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर 2013

विषयः वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–395 /XXVII/(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–27 में निहित व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने की दिनांक 01.01.2006 के पश्चात किसी पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत/संशोधित होने की दशा में वेतन–निर्धारण विषयक है, जिसमें उल्लेख है कि यदि संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन बैण्ड में भी परिवर्तन हो रहा है, तो केवल वेतन बैण्ड परिवर्तित होगा तथा ग्रेड वेतन/पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा लागू की गयी व्यवस्था में दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके बाद की किसी तिथि से उच्चीकरण/संशोधन अर्थात किसी पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन)परिवर्तित होने की दशा में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–दो भाग–2 से 4 के मूल नियम–23(1)के अनुसार संबंधित पद धारकों को विकल्प का अवसर उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनका वेतन कम निर्धारित होने की भी संभावना हो सकती है।

3– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त ऐसे मामलों में, जहाँ वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) का उच्चीकरण/संशोधन दिनाक 01.01.2006 अथवा उसके पश्चात् की किसी तिथि से लागू किया जाय, वहां श्री राज्यपाल विकल्प की सुविधा एवं वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) विकल्प की सुविधा:–

(क) ऐसे उच्चीकरण/संशोधन से संबंधित निर्णय के कम में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर संबंधित पद धारक द्वारा, उच्चीकरण/संशोधन की तिथि अथवा अपनी अगली/अनुवर्ती वेतन–वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु, अपना विकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) इसी प्रकार ऐसे उच्चीकरण/संशोधन से संबंधित जो शासनादेश पूर्व में ही निर्गत हो चुके हैं,उनसे आच्छादित पदधारकों, जिन्हें पूर्व में यदि विकल्प की सुविधा अनुमन्य न हो सकी हो, द्वारा भी इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपना विकल्प, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ग) उपर्युक्तानुसार एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के प्रसंग में वेतन–निर्धारण हेतु अन्तिम होगा और उनके विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्मिक के वेतन में अन्तर की स्थिति "पारस्परिक वेतन में विसंगति" नहीं मानी जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त न होने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन लागू होने के तिथि को ही, उनका विकल्प मानते हुए वेतन–निर्धारण किया जायेगा, जिसमें परिवर्तन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) <u>वेतन–निर्धारण की प्रकिया:–</u>

(क) दिनांक 01.01.2006 से उच्चीकरण/संशोधन:–यदि वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) में उच्चीकरण/संशोधन पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने की तिथि 01.01.2006 से ही काल्पनिक अथवा वास्तविक रूप में प्रभावी किया गया हो, तो यह मानते हुये कि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) निष्प्रभावी (अकारक) हो गया है और जिसका स्थान यथा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) ने उसी तिथि (01.01.2006) से ले लिया है, संबंधित कार्मिक का वेतन उसके विकल्प के आधार पर उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर–6 में निहित व्यवस्था के कम में सुसंगत फिटमेंट तालिका (यथा संशोधित) अथवा किसी मामले में उच्चीकरण/संशोधन के फलस्वरूप बाद में जारी की गयी फिटमेंट तालिका (यथा स्थिति) के अनुसार ही किया जायेगा।

(ख) दिनांक 01.01.2006 के बाद की तिथि से उच्चीकरण/संशोधन:– यदि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त शासनादेश दिनांक17.10.2008 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था/फिटमेंट तालिका के अनुसार वेतन–निर्धारण हो जाने के बाद अर्थात दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किया गया हो, तो उस स्थिति में उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत संबंधित पदधारक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अथवा उसके विकल्प के अभाव में ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से माने गये विकल्प के आधार पर वेतन का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(एक) संबंधित कार्मिक द्वारा ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के लागू होने की तिथि से ही वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने अथवा निर्धारित अवधि के बाद उसका विकल्प उक्तानुसार मान लिये जाने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि को उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन और तदनुसार सुसंगत वेतन–बैण्ड अनुमन्य होगा किन्तु वेतन–बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा :

परन्तु,

यदि पूर्व से प्राप्त वेतन–बैण्ड में वेतन उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01.01.2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये शासनादेश संख्या–41/xxvii(7)सी.भर्ती/2009, दिनांक 13.02.2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम बैण्ड –वेतन से कम होता है तो उसे भी उस स्तर तक बढ़ाकर, वेतन का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार वेतन–निर्धारण के पश्चात् उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन में अगली वेतन वृद्धि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 एवं उसके कम में अग्रेतर शासनादेश संख्या–27/XXVII(7) (स्व0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में निहित व्यवस्था के अनुसार कम से कम 6 माह की अर्हकारी सेवा–अवधि पूरी होने के बाद ही देय होगी।

(दो) संबंधित कार्मिक द्वारा ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के लागू होने की तिथि के बाद आने वाली अपनी (पूर्व की) वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन–निर्धारण नहीं किया जायेगा अर्थात वेतन–बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन यथावत रहेगा, बल्कि उसके विकल्प के आधार पर उसकी वेतन–वृद्धि की तिथि को पूर्ववत् सामान्य वेतन–वृद्धि देते हुये वेतन–बैण्ड में आगणित वेतन और उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन, तदनुसार सुसंगत वेतन–बैण्ड के साथ अनुमन्य होगा .

परन्तु,

यदि इस प्रकार आगणित वेतन–बैण्ड में वेतन ऐसे उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01.01.2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये शासनादेश संख्या–41/xxvii(7) सी.भर्ती/2009, दिनांक 13.02.2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम बैण्ड–वेतन से कम होता है, तो उसे भी उस स्तर तक बढ़ाकर, वेतन का निर्धारण किया जायेगा।।

4– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कर्यालयाध्यक्ष/राज्य आन्तरिक लेखा–परीक्षक द्वारा यथा समय आडिट/परीक्षण कराकर विभागों में, तदनुसार सही वेतन–निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-697/xxvii(7)30(1)/08तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें –सह– स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12 निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव

प्रेषक, संख्या– 770 /XXVII(7)40(ix)/2011

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2013

विषयः रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए0सी0पी) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–872/XXVII(7) न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च 2011, संख्या–10/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011, संख्या–65/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011, संख्या–216/xxvii(7) 40(ix)/2011 दिनांक 14 अक्टूबर 2011, संख्या–313/xxvii(7) 40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर 2012, संख्या 314/XXVII(7) 40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर 2012 एवं संख्या–589/xxvii(7) 40(ix)/2011 दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.08.2008 तक समय मान वेतनमान की पूर्ववत व्यवस्था तथा दिनांक 01.09.2008 से ए0सी0पी0 की लागू की गयी है।

2– शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की लागू पूर्व व्यवस्था के स्थान पर रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में तथा जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, वहां शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 में उपलब्ध तालिका के अनुसार अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप अगले वेतनमान के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— इस प्रकार दिनांक 01 नवम्बर, 2013 को जो कर्मचारी प्रथम या द्वितीय या तृतीय ए0सी0पी0 पा रहा है, उसका वेतन निर्धारण प्रथम या द्वितीय या तृतीय पदोन्नत पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन जैसा कि प्रस्तर–2 में वर्णित है पर निर्धारित कर दिया जायेगा। अर्थात् वर्तमान में ए0सी0पी0 के रूप पा रहे ग्रेड वेतन के स्थान पर केवल पदोन्नति ग्रेड वेतन एवं पा रहे ग्रेड वेतन का अन्तर बढ़ा दिया जायेगा। यदि उक्तानुसार निर्धारण के फलस्वरूप कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण तद्नुसार किया जायेगा।

4— उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5— संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी/राज्य आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा यथा समय ऑडिट/परीक्षण कराकर विभागों में, तद्नुसार सही वेतन–निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 770 (1) /xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखंड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखंड, विकास भवन, लखनऊ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह– स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13: गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

संख्या: 26 /XXVII(7)40(ix)/2011 टी.सी.

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, देहरादून : दिनांक: 25 फरवरी, 2014

विषय– पुनरीक्षित वेतन–संरचना में रू0 4800 या उससे कम ग्रेड वेतन पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01.11.2013 से वैयक्तिक रूप में प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान (यथास्थिति) की संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 770/XXVII(7)40(ix)/2011, दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त शासनादेश में प्रस्तर–3 के निम्नलिखित "अंश" को प्रारम्भ से ही विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"अर्थात् वर्तमान में ए0सी0पी0 के रूप पा रहे ग्रेड वेतन के स्थान पर केवल पदोन्नति ग्रेड वेतन एवं पा रहे ग्रेड वेतन का अन्तर बढ़ा दिया जायेगा"।

2. उक्त शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक प्रारम्भ से ही संशोधित समझा जायेगा।

3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी/राज्य आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा यथा समय ऑडिट/परीक्षण कराकर विभागों में तद्नुसार सही वेतन–निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः :– 2

(2)

संख्या: 26 (1)/XXVII(7)40(ix)/2011 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6— स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7— पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें-सह— स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9— सलाहकार (आडिट प्रकोष्ठ), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10— विशेष कार्याधिकारी (विधि/वेतन आयोग), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11— वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12— निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13— गार्ड फाइल।

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः– 154/XXX (2)/2015–55(08)/2002

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषयः– राज्य कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत हो जाने की दशा में मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को नियमानुसार राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों (यथा समूह 'ग' एवं 'घ') पर सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 877 XXVII(7) च0श्र0/2011 दिनांक 24–03–2011 के माध्यम से समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया, तदोपरान्त वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 63 XXVII(7) 27(8)/2011 दिनांक 05–07–2011 के द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–03–2011 के द्वारा समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित करने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

3. शासन के सज्ञांन में यह तथ्य आया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24–3–2011 के सम्बन्ध में समूह 'घ' के पदों पर मृतक आश्रितों के सम्बन्ध में पुनः शासनादेश दिनांक 5–7–2011 द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के पश्चात भी कतिपय विभागों द्वारा अभी भी समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखने वाले मृतक आश्रितों को समूह 'घ' का पद मृत संवर्ग होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मृतक आश्रितों के भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति करने के लिए मृत संवर्ग घोषित होने वाला वित्त विभाग का शासनादेश लागू नही है।

4. अतः इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–3–2011 द्वारा घोषित समूह 'घ' के पद के लिए उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर किसी मृतक आश्रित के समूह 'घ' के लिए पात्र होने पर नियुक्ति हेतु डाईग कैडर नहीं माना जायेगा, बल्कि समूह 'घ' के लिए पात्र होने की दशा में मृतक आश्रित को समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, और इस सीमा तक समूह 'घ' का संवर्ग पुनर्जीवित माना जायेगा।"

5. कृपया उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या   /XXX(2)/2015–55(08)2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना विभाग , उत्तराखण्ड देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

महत्वपू

संख्या : 25/XIII(II)/2011–31(05)/201

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2011

विषयः विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के समाप्ति के उपरान्त सृजित परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रखरखाव के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वर्तमान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित विश्व बैंक पोषित वाहय सहायतित परियोजन "उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) की परियोजना अवधि दिनांक 31.3.2012 को समाप्त हो रही है।

2– तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजन समाप्ति के उपरान्त परियोजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा उनके भावी उपयोग एवं प्रबन्धन के संबंध में निम्नानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए : –

1. 'ग्राम्या' परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पतियों का विवरण एक पृथक पंजिका में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जायगा।

2. 'ग्राम्या' परियोजना द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित बहुउपयोगी केन्द्र (Multi Utility Centre) का संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग किया जायेगा तथा उसी के द्वार रखरखाव की व्यवस्था भी की जायेगी। बहुउपयोगी केन्द्र का स्वामित्व भी ग्राम पंचायत क होगा। यदि बहुउपयोगी केन्द्र ग्राम पंचायत के अतिरिक्त किसी अन्य के भू–स्वामित्व में निर्मित किये गये हों तो ऐसी स्थिति में बहुउपयोगी केन्द्रों की भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया अपनायी जायगी। उप परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत से सहमति पत्र प्राप्त कर परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण कराया जायेगा तथ सूचना संबंधित जिला पंचायती राज अधिकारी को भी उपलब्ध करायी जायगी।

3. 'ग्राम्या' परियोजना द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र (Processing Centre) का उपयोग एवं रखरखाव पंजीकृत कृषक संघ (Farmers Federation) द्वारा किया जायेगा तथा इन केन्द्रों में स्थापित संयत्र व उपकरण एवं उपयोग की जा रही सामग्री का स्वामित्व कृषक संघ का होगा। इन केन्द्रों की भूमि सामुदायिक भूमि होने की दशा में उस भूमि एवं भवन का स्वामित्व ग्राम पंचायत का होगा। इस हेतु उप परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित कृषक संघ एवं ग्राम पंचायत से सहमति पत्र तैयार कर परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया जायेगा तथा इन केन्द्रों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सूचना संबंधित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

4. 'ग्राम्या' परियोजना द्वारा स्थापित वर्षा एवं भू–क्षरण मापन हेतु स्थापित केन्द्र (Weather Station) प्रायः विद्यालयों, विकास खण्ड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों तथ किसान विकास केन्द्रों में स्थापित किये गये हैं। अतः इनका उपयोग एवं रख–रखाव उन संस्थाओं/विभागों द्वारा ही किया जायेगा, जहां यह केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस हेतु संबंधित उप परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित संस्था से सहमति पत्र तैयार कर परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया जायेगा तथा इसकी सूचना संबंधित संस्थाओं/ विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी। क्रमशः....

5. परियोजना क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय (Agri Business) के तकनीकी मार्गदर्शन तथ विपणन व्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से डिविजनल सपोर्ट एजेन्सियों (Divisiona Support Agency-D.S.A.) की सेवाएं प्राप्त की गयी हैं। परियोजना द्वारा D.S.A. के सा हुए अनुबन्ध के अनुसार जो भी उपकरण आदि प्रतिपूर्ति योग्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है उन्हें संबंधित उप परियोजना निदेशक को हस्तान्तरित किया जाएगा तथा इनका पृथक स्पष्ट रिकार्ड रखा जायगा। तदोपरान्त इन सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड सहित संबंधि परियोजना निदेशक को हस्तान्तरित किया जायगा।

6. परियोजना में कार्यरत पार्टनर एन.जी.ओ. (PNGO) तथा फील्ड एन.जी.ओ. (FNGO की सेवाएं कार्यदायी संस्था एवं जागरूकता व सामुदायिक विकास हेतु ली गयी है। PNGC साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार जो भी उपकरण एवं एसैट्स आदि प्रतिपूर्ति योग्य सामग्र उपलब्ध करायी गई है, उनका पृथक रिकॉर्ड तैयार कर उप परियोजना निदेशक (पी.एम.यू. के माध्यम से जलागम प्रबन्ध निदेशालय को हस्तान्तरित किया जाय। इसी प्रकार FNGO के प्रकरणों में उक्त प्रतिपूर्ति योग्य सामग्री का पृथक रिकॉर्ड तैयार कर संबंधित परियोजन निदेशक को हस्तान्तरित किया जायगा।

3— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
सचिव।

संख्या : 251(1)/XIII(1)/2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : —

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. परियोजना निदेशक, कुमाऊं/गढवाल क्षेत्र, जलागम प्रबन्ध, हल्द्वानी (नैनीताल)/मुनि की रेती (टिहरी)।
10. समस्त उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार गुप्ता)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग

संख्या 767/XII/2005/86(34)2005

देहरादून, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

"सूचना का अधिकार अधिनियम", 2005 (2005 का अधिनियम संख्या–22) की धारा–5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल "पंचायती राज उत्तरांचल" के शासन स्तर/राज्य स्तर(निदेशालय स्तर)/जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर हेतु निम्नवत् नामित लोक प्राधिकारी इकाईयों के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट कार्यों हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1–शासन स्तर पर

क0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
1.	पंचायती राज विभाग	सचिव, पंचायतीराज	अपर सचिव, पंचायतीराज	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

2– राज्य स्तर पर(निदेशालय स्तर)

क0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
2.	पंचायती राज विभाग निदेशालय, देहरादून	उपायुक्त(पंचायत) संयुक्त निदेशक (पंचायत)	सहायक आयुक्त (पंचायत) निदेशक,	निदेशक, पंचायती राज

3– जिला स्तर पर

क0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
3.	जिला पंचायत राज अधिकारी(कार्यालय)	मुख्य विकास अधिकारी	जिला पंचायतराज अधिकारी	निदेशक, पंचायती राज
4.	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत (कार्यालय)	मुख्य अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी	अपर मुख्य अधिकारी	निदेशक पंचायती राज

4–विकास खण्ड स्तर पर

क0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
5.	क्षेत्र पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी (कार्यालय)	खण्ड विकास अधिकारी	समस्त सहायक विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी

....2....पर

5—ग्राम स्तर पर

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
[redacted]				
			अधिकारी	[redacted]

2— प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित कोई अधिकारी अवकाश पर हो या वह पद रिक्त हो तो उसके समकक्ष अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी माना जायेगा।

3— नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे एवं उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

पी0के0 महान्ति
सचिव

संख्या 767/XII/2005/86(34)2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2— समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल सरकार।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— सचिव सूचना उत्तरांचल शासन।
5— निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
6— संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तरांचल देहरादून।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
9— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
11— उपरोक्त सम्बन्धित प्राधिकारी इकाईयां/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलेंट अधिकारी द्वारा निदेशक पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
12— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून।
13— उप निदेशक, मुद्रण, लिथो प्रेस रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे अधिसूचना की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सवेयोजन विभाग
संख्या /VIII/16–04(विविध)/2015.टी.सी.
देहरादून 19 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (सं॰ 63, 1948) के धारा 6 तथा 112 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश कारखाना नियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में निम्न नियमों में संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संक्षिप्त शीर्षक — **उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016**

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 है।
   (2) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के वर्तमान नियम–3 जो नीचे स्तम्भ –1 में उल्लिखित है, के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3.(1) कोई स्थल, भवन या उसका एक हिस्सा तब तक कारखाना या कारखाने का हिस्सा न तो बनाया जा सकेगा और न ही उसमें कोई बदलाव व विस्तार किया जा सकेगा, जब तक कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक कारखाना से पूर्वानुमति लिखित में प्राप्त कर ली गयी हो। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के निरीक्षक के माध्यम से प्रपत्र सं॰ 1 पर प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साथ निम्न अभिलेख संलग्न होंगे:–	3.(1) किसी कारखानें और एसे स्थल को भवन के स्थल के लिए प्रयोग नही किया जायेगा या किसा कारखाने का सन्निर्माण, विस्तार या उसका प्रयोग किसी कारखाने या उसके किसी भाग के लिए तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक से उसकी पूर्वानुमति लिखित रूप में प्राप्त न कर ली गयी हो। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के निरीक्षक के माध्यम से प्रपत्र सं॰ 1 पर प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साथ निम्न अभिलेख संलग्न होंगे:–
(क) विनिर्माण प्रक्रिया को दर्शाने वाले प्रक्रिया मानचित्र, जिसमें सुरक्षा, प्लाट की ऊंचाई, फिटिंग व तकनीकी इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं और उनको रेखाकिंत किये जाने, उपस्थिति तथा अन्य सहायक प्रक्रियाओं तथा विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन हो तथा जो कच्चे माल का नाम उसमें शामिल किये जाने वाले अन्य पदार्थ, अवयव तथा उससे किये जाने वाले निर्माण आदि के विषय में हो, तथा रासायनिक पदार्थ की स्थिति में उनका रासायनिक नाम दर्शाये गये हों।	(क) विनिर्माण प्रक्रिया को दर्शाने वाले प्रक्रिया मानचित्र, जिसमें सुरक्षा, प्लाट की ऊंचाई, फ़िटिंग व तकनीकी इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं और उनको रेखाकिंत किये जाने उपस्थिति तथा अन्य सहायक प्रक्रियाओं तथा विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन हो तथा जो कच्चे माल का नाम उसमें शामिल किये जाने वाले अन्य पदार्थ, अवयव तथा उससे किये जाने वाले निर्माण आदि के विषय में हो, तथा रासायनिक पदार्थ की स्थिति में उनका रासायनिक नाम दर्शाये गये हों।
(ख) मानचित्र तीन प्रतियों में निम्न को दर्शाते हुए बनाया जायेगा	(ख) मानचित्र तीन प्रतियों में निम्न को दर्शाते हुए बनाया जायेगा

(एक) कारखाने का स्थल उसकी चाहरदीवार जिसमें बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूली संस्था पेट्रोल पम्प, ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री के भण्डारण और अन्य विनिर्माण, रोड, पानी , खेत, नालियों आदि की स्थिति तथा समीपस्थ रिहायशी क्षेत्र, गांव नगर तथा इसकी कारखाना स्थल से दूरी आदि शामिल हों।	(एक) कारखाने का स्थल उसकी चाहरदीवार जिसमें बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूली संस्था पेट्रोल पम्प, ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री के भण्डारण और अन्य विनिर्माण, रोड, पानी , खेत, नालियों आदि की स्थिति तथा समीपस्थ रिहायशी क्षेत्र, गांव नगर तथा इसकी कारखाना स्थल से दूरी आदि शामिल हों।
(दो) कारखाने भवन में, योजना, विस्तार और आवश्यकीय क्रास सेक्शन में विद्युत हवा और आग लगने की स्थिति में, बचाव संबंधी सभी समुचित संकेतों का होना आवश्यक है। योजना में इस बात के भी स्पष्ट संकेत हो कि प्लान्ट की मशीनों तथा आवागमन के मार्ग आदि दर्शाये गये हों।	(दो) कारखाने भवन में, योजना, विस्तार और आवश्यकीय क्रास सेक्शन में विद्युत हवा और आग लगने की स्थिति में, बचाव संबंधी सभी समुचित संकेतों का होना आवश्यक है। योजना में इस बात के भी स्पष्ट संकेत हो कि प्लान्ट की मशीनों तथा आवागमन के मार्ग आदि दर्शाये गये हों।
(ग) प्रपत्र–1 के साथ प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी संलग्न होने चाहिए।	(ग) प्रपत्र–1 के साथ प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी संलग्न होने चाहिए।
(घ) कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया जो भी हो का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	(घ) कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया जो भी हो का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ड.) राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति और	(ड.) राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति और
(च) ऐसी अन्य विशेष विशिष्टयां जो मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा चाही गयी हों।	(च) ऐसी अन्य विशेष विशिष्टयां जो मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा चाही गयी हों। (छ) स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति पत्र। (ज) पेट्रोलियम नियमावली, 1976 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो पेट्रोलियम के संग्रहण हेतु पेट्रोलियम नियमावली, 1976 में परिभाषित हो, के अनुसार हो।
(2) यदि मुख्य निरीक्षक आश्वस्त हो कि योजनाएं अधिनियम की मांग के अनुरूप है, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि अधिनियम में वर्गीकृत है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करेगा और प्रत्येक योजना की एक प्रति आवेदक को वापस करेगा या फिर आवेदक को उसे यथा मांग ऐसी स्वीकृति अन्य विशिष्टता के लिए उसे स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर सकता है।	(2) यदि मुख्य निरीक्षक आश्वस्त हो कि योजनाएं अधिनियम की मांग के अनुरूप है, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि अधिनियम में वर्गीकृत है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करेगा और प्रत्येक योजना की एक प्रति आवेदक को वापस करेगा या फिर आवेदक को उसे यथा मांग ऐसी स्वीकृति अन्य विशिष्टता के लिए उसे स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर सकता है।
(3) कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया किसी कारखाने या उसके एक हिस्से में तब तक	(3) कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया किसी कारखाने या उसके एक हिस्से में तब तक

प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक मुख्य निरीक्षक को निरीक्षक के माध्यम से, जो उस क्षेत्र भवन या उसके हिस्से के स्थायित्व का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रपत्र–2 हस्ताक्षरित हो, जो उप नियम 4 में दी गयी योग्यता धारण करता हो,द्वारा नहीं दे दिया जाता है। कारखाने को कोई भी विस्तारित हिस्सा, कारखाने के विस्तारीकरण के बाद, किसी समय, कारखाने के हिस्से के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही योजना, मशीनरी किसी फैक्ट्री में जोड़ी जायेगी और नाहीं किसी समय प्रयोग में लायी जायेगी, जब तक कि ऐसे विस्तार या योजना को मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षक के माध्यम से उस कारखाने या उसके क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकार किया जायेगा।

(4) प्रपत्र–2 को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति की योग्यता और अनुभव वैसे होंगे जैसा कि नियम 2-A के अनुलग्नक में इस उददेश्य से वर्णित किया गया है।

(5) कोई व्यक्ति सिवाय यदि भवन सरकार द्वारा अधिग्रहीत हो, को स्थायित्व का प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जो भवन मालिक या भवन स्वामी के नियुक्ति में हो, जिसके संदर्भ में प्रमाण पत्र दिया गया हो।

प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक मुख्य निरीक्षक को निरीक्षक के माध्यम से, जो उस क्षेत्र भवन या उसके हिस्से के स्थायित्व का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रपत्र–2 हस्ताक्षरित हो, जो उप नियम 4 में दी गयी योग्यता धारण करता हो, .द्वारा नहीं दे दिया जाता है। कारखाने को कोई भी विस्तारित हिस्सा, कारखाने के विस्तारीकरण के बाद, किसी समय, कारखाने के हिस्से के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही योजना, मशीनरी किसी फैक्ट्री में जोड़ी जायेगी और नाहीं किसी समय प्रयोग में लायी जायेगी, जब तक कि ऐसे विस्तार या योजना को मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षक के माध्यम से उस कारखाने या उसके क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकार किया जायेगा।

(4) प्रपत्र–2 को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति की योग्यता और अनुभव वैसे होंगे जैसा कि नियम 2-A के अनुलग्नक में इस उददेश्य से वर्णित किया गया है।

(5) कोई व्यक्ति सिवाय यदि भवन सरकार द्वारा अधिग्रहीत हो, को स्थायित्व का प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जो भवन मालिक या भवन स्वामी के नियुक्ति में हो, जिसके संदर्भ में प्रमाण पत्र दिया गया हो।

नियम 9 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ –1
वर्तमान नियम

नियम 9 (1)सिवाय ऐसी दशा में तब कि यह नियम 13 के उप नियम (3) द्वारा आच्छादित हो, कारखाने के अनुज्ञापत्र को निरीक्षक द्वारा 05 (पॉच वर्षो) के लिए खतरनाक प्रक्रिया वाले तथा उ.प्र. कारखाना (औद्योगिक मुख्य दुर्घटना हैजार्डस नियन्त्रण) नियमावली 1996 के अन्तर्गत हों के सिवाय अति खतरनाक प्रकिया वाले कारखानों को नवीनीकृत् किया जायेगा। अति खतरनाक प्रकिया वाले कारखानों का नवीनीकरण प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार नियम –7 के

स्तम्भ–2
एतद् द्वारा प्रतिपादित नियम

नियम 9 (1)सिवाय ऐसी दशा में तब कि यह नियम 13 के उप नियम (3) द्वारा आच्छादित हो, कारखाने के अनुज्ञापत्र को निरीक्षक द्वारा 10 (दस वर्षो)के लिए खतरनाक प्रक्रिया वाले तथा उ.प्र. कारखाना (औद्योगिक मुख्य दुर्घटना हैजार्डस नियन्त्रण) नियमावली 1996 के अन्तर्गत हों के सिवाय कारखानों को नवीनीकृत् किया जायेगा। अति खतरनाक प्रकिया वाले कारखानों का नवीनीकरण प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार नियम –7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित

अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित फीस भुगतान करने पर किया जायेगा।

परन्तुक यदि उपनियम (2) में निर्धारित समय के अन्तर्गत नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त नही होता है तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति हेतु देय सामान्य शु:ल्क के 25: अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर किया जायेगा । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश से अनुज्ञप्ति के प्रार्थना प्रस्तुत करने के समय को बढा सकती है।

(2) अनुज्ञप्ति पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना पत्र प्रपत्र 4–B में 03 प्रतियों में 31.10.2016 से पूर्व संबंधित कार्यालय में भेजा जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र इस प्रकार कर दिया जाता है तो कारखाना परिसर को उस तिथि तक अनुज्ञापित माना जायेगा, जिस तिथि को अनुज्ञप्ति पत्र को नवीनीकरण किया जाता है।

फीस भुगतान करने पर किया जायेगा।

परन्तुक यदि उपनियम (2) में निर्धारित समय के अन्तर्गत नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त नही होता है तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति हेतु देय सामान्य शु:ल्क के 25: अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर किया जायेगा । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश से अनुज्ञप्ति के प्रार्थना प्रस्तुत करने के समय को बढा सकती है।

(2) अनुज्ञप्ति पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना पत्र प्रपत्र 4–B में 03 प्रतियों में 31.10.2016 से पूर्व संबंधित कार्यालय में भेजा जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र इस प्रकार कर दिया जाता है तो कारखाना परिसर को उस तिथि तक अनुज्ञापित माना जायेगा, जिस तिथि को अनुज्ञप्ति पत्र को नवीनीकरण किया जाता है।

कारखाने में स्थापित अधिकतम शक्ति(हार्स पावर में)	कैलेण्डर वर्ष में किसी एक दिन में अधिकतम नियुक्त कर्मकारों की संख्या					
	50 तक	51से150 तक	151से 250 तक	251से 500 तक	501से 1000 तक	1001से 2500 तक	2500से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
शून्य	500	1500	2000	3500	7000	20.000	25.000
50 तक	1200	3500	5500	7500	12,000	30.000	35,000
50 से अधिक लेकिन 100से कम	2500	5500	7500	11.500	20.000	40.000	45,000
100 से अधिक 500 से कम	5000	11.000	14,500	19.500	29,000	50.000	55,000
500 से अधिक 1000 से कम	10,000	15.000	19,000	25.000	36.000	60.000	65,000
1000 से अधिक 2000 से कम	12.000	20.000	23.000	30.000	38.000	65.000	70,000
2000 से अधिक 5000 से कम	14.000	25.000	30.000	35.000	48.000	70.000	75.000
5000 अधिक	16.000	27.000	32.000	37.000	50.000	75.000	80,000

कारखाने में स्थापित अधिकतम शक्ति(हार्स पावर में)	कैलेण्डर वर्ष में किसी एक दिन में अधिकतम नियुक्त कर्मकारों की संख्या						
	50 तक	51से150 तक	151से 250 तक	251से 500 तक	501से 1000 तक	1001से 2500 तक	2500से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
शून्य	500	1500	2000	3500	7000	20.000	25.000

50 तक	1200	3500	5500	7500	12.000	30.000	35.000
50 से अधिक लेकिन 100से कम	2500	5500	7500	11.500	20.000	40.000	45.000
100 से अधिक 500 से कम	5000	11,000	14,500	19,500	29.000	50.000	55.000
500 से अधिक 1000 से कम	10,000	15.000	19,000	25.000	36.000	60.000	65,000
1000 से अधिक 2000 से कम	12,000	20.000	23,000	30.000	38.000	65.000	70.000
2000 से अधिक 5000 से कम	14.000	25.000	30,000	35,000	48.000	70,000	75.000
5000 अधिक	16.000	27.000	32,000	37.000	50.000	75,000	80.000

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 631 (1)/ VIII/ 16–04 (विविध) /2015. टी.सी. तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त,कुमाऊँ मण्डल , नैनीताल,/गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी ,नैनीताल।
6. अपर /उप श्रमायुक्त , उत्तराखण्ड।
7. समस्त सहायक श्रम आयुक्त,उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियॉ शासन को तथा 50 प्रतियॉ श्रम आयुक्त ,उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
अनु सचिव।

P.D. Admn.

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग

संख्या :499/ज0प्र0अनु0/2016-43(05)/2016

देहरादून : दिनांक :2 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

जलागम प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रपोषित/वाह्य सहायतित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनाओं के संचालन के लिये विभिन्न विभागों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण द्वारा तैनात किये जाने के सम्बन्ध में चयन हेतु पत्रसंख्या 353/कृषि एवं जलागम/2004 दिनांक 08.04.2004 द्वारा समितियों का गठन किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 08.04.2004 में राजपत्रित अधिकारियों के चयन हेतु गठित समिति को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय एवं श्रेणी-क एवं श्रेणी-ख के अधिकारियों को जलागम विभाग के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण पर लिये जाने के सम्बन्ध में चयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (वन/पशुपालन/उद्यान/कृषि/ग्राम्य विकास/लघु सिंचाई आदि)	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव जलागम	सदस्य
4.	मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय	सदस्य/सचिव

2. उक्तवत गठित समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर जलागम प्रबन्ध विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुये विभाग में तैनाती की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. पत्रसंख्या 353/कृषि एवं जलागम/2004 दिनांक 08.04.2004 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. पत्रसंख्या 353/कृषि एवं जलागम/2004 दिनांक 08.04.2004 की अन्य शर्तें व प्राविधान पूर्ववत रहेगें।

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

संख्या : 499 /ज0प्र0अनु0/2016-43(5)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन/जलागम/पशुपालन/उद्यान/कृषि/ग्राम्य विकास/लघु सिंचाई उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक पशुपालन/उद्यान/कृषि, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त ग्राम्य विकास पौडी।
8. मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लघु सिंचाई उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या /VIII/16–680 (श्रम) टीसी/2002

देहरादून, 06 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 40 एवं धारा 62 सपठित धारा 21 साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधि॰ संख्या–10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन), नियम–2005 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात–

उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन)(संशोधन) नियम, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन)(संशोधन) नियम –2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

नियम 271 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) सेवाशर्तों का विनियमन नियम–2005 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 271 में–

(एक) स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
271– प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अन्तर्गत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान पांच हजार रूपये प्रसूति–प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा	271(1) प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अन्तर्गत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान दस हजार रूपये प्रसूति–प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, पंजीकृत सं॰ 1376, फाईल सं॰ 5-3174, दिनांक 22/10/16, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र–XXXIV में आवेदन तथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा : परन्तु यह कि यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगी।	प्रपत्र–XXXIV में आवेदन तथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा; परन्तु यह कि यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगी; परन्तु यह और कि प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु संबंधित महिला निर्माण श्रमिक द्वारा आवेदन पत्र के साथ A.N.C कार्ड जो प्रमाणित किया गया हो तथा प्रसूति के संबंध में चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा; परन्तु यह भी कि नियमावली में पात्रता के संबंध में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत महिला सन्निर्माण श्रमिक द्वारा प्रसूति की तारीख से दो माह के भीतर अपेक्षित फायदे का आवेदन सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा; परन्तु यह और भी कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत फायदेग्राहों द्वारा कोई सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(दो)** नियम 271(1) के पश्चात एक नया उप नियम (2) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्– **271(2)** प्रत्येक पंजीकृत पात्र कर्मकार की बालिकाओं तथा पंजीकृत महिला कर्मकार, जो निधि के अन्तर्गत फायदाग्राही है, को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैनेट्री नैपकीन उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबधं में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

नियम 273 का संशोधन 3. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 273 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम–**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम–**
273(5)– 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन की राशि 500 रूपया प्रति माह होगी, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रूपया 1,000 प्रतिमाह पेंशन देय होगी। बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है।	**273(5)**– 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन की राशि 1000 रूपया प्रति माह होगी, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रूपया 1,500 प्रतिमाह पेंशन देय होगी। बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है;
वर्तमान में विद्यमान नियमावली के उपनियम(7) के पश्चात एक नया उपनियम (8) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात– (8) बोर्ड की कल्याण निधि में जमा धनराशि से रूपया 20 करोड़ का पेंशन फण्ड विनिर्मित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज अर्जित करने वाली जमा योजना में निवेशित किया जायेगा। उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि से निर्माण कर्मकारों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा।	परन्तु यह कि किसी भी प्रकार के पेंशन से संबंधित आर्थिक लाभ छमाही आधार पर प्रदान किये जाएंगे। निर्माण श्रमिक द्वारा प्रत्येक **छः माह** पर उसके द्वारा जीवित होने संबंधी प्रमाण–पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

नियम 274(क–1) का अंतःस्थापन

4. मूल नियमावली में नियम 274 को संख्यांकित करते हुए (क) भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु अग्रिम एवं उसके उपनियम (1)(2) और (3) के पश्चात एक नया नियम (ख) अंतःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

(ख) पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को शौचालय निर्माण (₹ 12,000) के लिए आर्थिक सहायता।

सम्पूर्ण परिवार को एक इकाई मानते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी–

(1) शौचालय निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा बोर्ड से इस शर्त के अधीन सहायता हेतु आवेदन किया जाएगा कि उसके द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

(2) सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले श्रमिक के पास स्वयं की भूमि का होना नितान्त आवश्यक है, जिस पर वह निवास कर रहा हो। आवेदन करते समय श्रमिक द्वारा भूमि स्वामित्व के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त दाखिल खारिज/खतौनी/रजिस्ट्री अथवा भूमि के स्वामित्व के संबंध में सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के अतिरिक्त उन समस्त स्थानों में निवास करने वाले निर्माण श्रमिक जिनके पास उस जमीन का धारक होने का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु वे उस स्थान/जमीन पर निवास कर रहे हैं, के संबंध में तहसीलदार/नगर निकाय द्वारा स्थाई रूप से निवास के संबंध में प्रदत्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इसमें स्पष्ट रूप से भूमि की चौहदी अंकित होना आवश्यक होगा।

(3) पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित समस्त प्रपत्र जिसमें आधार कार्ड तथा बैंक एकाउण्ट नम्बर, जो आधार लिंक किया गया है, संबंधित पंजीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) शौचालय निर्माण हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता 02 किश्तों में कल्याण बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी।

(5) शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की धनराशि अनुमन्य होने के उपरान्त **₹ 08 हजार** की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की जाएगी। अवशेष धनराशि **₹ 04 हजार** की द्वितीय किश्त प्राप्त किये जाने से पूर्व निर्माण श्रमिक द्वारा प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निर्मित किये गये शौचालय का छायाचित्र जिसमें सबंधित निर्माण श्रमिक का छायाचित्र भी सम्मिलित हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रथम किश्त से निर्मित शौचालय में पक्की दीवारें, लिंटर वाली छत, लोवर टैंक, पानी की व्यवस्था तथा सीट का लगा होना आवश्यक है।

(6) निर्माण श्रमिक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन तथा धनराशि का आवंटन उक्त कार्य हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिले के जिलाधिकारी अध्यक्ष नगर क्षेत्र के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी एवं शेष क्षेत्र के लिए संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सदस्य तथा विभागीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

(7) जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति तथा विभागीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किये गये निरीक्षण के उपरान्त कराया गया कार्य नियमानुसार सन्तोषजनक पाये जाने पर द्वितीय किश्त की धनराशि जारी की जाएगी।

(8) निर्माण संबंधी उपरोक्त समस्त प्रपत्रों को पुनः कार्यालय में जमा करने के उपरान्त 01 माह में निर्माण श्रमिक को धनराशि ₹ 04 हजार द्वितीय किश्त के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(9) प्रथम चरण में देय आर्थिक सहायता के उपरान्त कराये गये निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पर यदि निर्माण कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप न पाया गया अथवा आर्थिक सहायता की धनराशि का उपयोग शौचालय निर्माण से इतर पाया गया, उस परिस्थिति में संबंधित निर्माण श्रमिक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसके खिलाफ भू–राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।

नियम 275 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नियम 275 में नीचे दिया गया वर्तमान नियम स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम–**
275– बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गया है, पांच सौ रूपये प्रतिमाह की दर से निःशक्ता पेंशन स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह तीस हजार रूपये से अनधिक आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा, जो निःशक्ता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किसी शर्त के अधीन होगा परन्तु यह कि शासन की स्वीकृति के उपरान्त फायदाग्राही के लिए अन्य अधिक उपयोगी पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत भी निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।	**275–** बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गया है, एक हजार रूपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह चालीस हजार रूपये से अनधिक आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा, जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किसी शर्त के अधीन होगाः परन्तु यह कि शासन की स्वीकृति के उपरान्त फायदाग्राही के लिए अन्य अधिक उपयोगी पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत भी निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया जा सकता है;

परन्तु यह और कि नियमावली में पात्रता के संबंध में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत स्थाई रूप से नि:शक्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र, जो राजकीय CMO/CMS द्वारा प्रदत्त किया गया हो, की तिथि से 02 माह के भीतर उक्त आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा;

परन्तु यह और कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

नियम 277 का संशोधन 6. मूल नियमावली में नियम 277 में नीचे दिया गया वर्तमान नियम स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
277– बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए पांच हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिए आवेदन प्रारूप–XLI में प्रस्तुत किया जायेगा।	277– बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए दस हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस आर्थिक सहायता हेतु आवेदन प्रारूप–XLI में प्रस्तुत किया जायेगा: परन्तु यह कि नियमावली में पात्रता के संबंध में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के नामिति/आश्रित द्वारा मृत्यु की तिथि

से 02 माह के भीतर उक्त आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबधं में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

नियम 278 का संशोधन 7. मूल नियमावली में नियम 278 में नीचे दिया गया वर्तमान नियम स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम–**
278– बोर्ड किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके नामितों /आश्रितों को पचास हजार रूपये की मृत्यु सहायता के रूप में संदाय स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामितों/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रूप में एक लाख रूपया दिया जाएगा।	**278–** बोर्ड किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को रूपया दो लाख (02 लाख) मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता के रूप में संदाय स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामितों/आश्रितों को मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रूपया दिया जायेगाः परन्तु यह कि नियमावली में पात्रता के संबंध में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के नामिति/आश्रित द्वारा मृत्यु की तिथि से 02 माह के भीतर उक्त आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर

विचार नही किया जायेगा।

परन्तु यह और कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

नियम 281 का संशोधन 8. मूल नियमावली के नियम 281 में–

(एक) नीचे दिया गया वर्तमान नियम स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम 281(क) प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम–**
281– सदस्यों के बच्चे ऐसी आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में लागू होगा, जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।	**281–** सदस्यों के बच्चे ऐसी आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में लागू होगा, जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।
ऐसा आवेदन प्रारूप संख्या XLIII में ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसे समय के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।	ऐसा आवेदन प्रारूप–XLIII में ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसे समय के भीतर, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।
वर्तमान में देय आर्थिक सहायता:–	**संशोधित / परिवर्धित धनराशि :–**

वर्तमान में देय आर्थिक सहायता:–

कक्षा 6 से कक्षा 8 तक	₹200 प्रतिमाह।
कक्षा 9 से कक्षा 10 तक	₹250 प्रतिमाह।
कक्षा 11 से कक्षा 12 तक/ आई०टी०आई०	₹300 प्रतिमाह।
पालीटैक्निक हेतु	₹1,000 प्रतिमाह।
उच्च शिक्षा हेतु	₹2,500 प्रतिमाह।

संशोधित / परिवर्धित धनराशि :–

कक्षा 1 से कक्षा 5 तक	₹200 प्रतिमाह।
कक्षा 6 से कक्षा 8 तक	₹300 प्रतिमाह।
कक्षा 9 से कक्षा 10 तक	₹400 प्रतिमाह।
कक्षा 11 से कक्षा 12 तक/ आई०टी०आई०	₹500 प्रतिमाह।
स्नातक / परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि हेतु	₹800 प्रतिमाह।
पालीटैक्निक हेतु (तकनीकी शिक्षा)	₹1,000 प्रतिमाह।
उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा)	₹2,500 प्रतिमाह।

इसके अतिरिक्त आई०टी०आई०; पालीटेक्निक एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स फीस तथा हॉस्टल फीस भी बोर्ड की निधि से देय होगी।

नोट : वर्तमान में कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु सहायता की धनराशि छमाही आधार पर दिये जाने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त आई०टी० आई०; पालीटेक्निक एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स फीस तथा हॉस्टल फीस भी बोर्ड की निधि से देय होगी।

उपरोक्त देय आर्थिक सहायता निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाएगी:–

(1) पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन–पत्र, जो वर्तमान शिक्षा सत्र से संबंधित हो तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो, उस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अगला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी की संस्तुति सहित सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाए, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(2) उपरोक्त के क्रम में देय आर्थिक सहायता की धनराशि सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पात्रता के अनुसार एक बार में ही उपलब्ध कराई जाएगी।

केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबधं में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो।

(दो) नियम 281(क) के पश्चात एक नया उपनियम (ख) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

(1) इन्जीनियर तथा मेडिकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु राज्य में संचालित उच्च स्तरीय कोचिंग शिक्षण संस्थानों में से प्रमुख संस्थानों को जिला स्तर पर इम्पैनल्ड करना।

(2) उक्त क्षेत्रों में कोचिंग हेतु संबंधित कोचिंग संस्थाओं द्वारा की गयी व्यवस्था के क्रम में छात्र/छात्रा के कक्षा 12 में प्राप्त प्रतिशत (60 % अंको से कम न हो) के अनुसार 50–50 सीटों हेतु कोचिंग फीस (शुल्क का प्रावधान किया जाए जो रूपया 01 लाख प्रति छात्र से अधिक न हों। उपरोक्त आर्थिक सहायता, आवेदन प्राप्त होने पर मैरिट लिस्ट बनाते हुए अवरोही क्रम (Top To Bottom) में 50–50 सीटों तक ही मान्य होगी।

(3) प्रतिवर्ष पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु आवेदन किये जाने पर प्राप्त आवेदन पत्रों को निस्तारण उच्चतम प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय।

(4) निर्माण श्रमिकों के आश्रित बच्चों द्वारा कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोचिंग संस्थाओं में से ही किसी 01 संस्था में ही अध्ययन करने हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है। यह सुविधा किसी भी छात्र को मात्र 01 बार अनुमन्य होगी।

केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गई हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो

नियम 282 का संशोधन **9.** मूल नियमावली में नियम 282 में एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

परन्तु यह कि नियमावली में पात्रता के संबंध में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक द्वारा विवाह की तिथि से 02 माह के भीतर उक्त आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात प्राप्त होने आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा किन्तु केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलायी जा रही योजनाओ के अन्तर्गत सहायता प्राप्त न की गयी हो अथवा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन न किया गया हो, का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

/

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:– 1304 (1)/ VIII/ 16–680 (श्रम) टीसी/2002 तददिनांकित
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सहायक श्रम आयुक्त,उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियॉ शासन को तथा 50 प्रतियॉ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Kumar.
(विजय कुमार)
अनु सचिव।

संख्याः–214/52/xxvii(10)/

प्रेषक,

अमित नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10

देहरादूनः दिनांक 14 अक्टूबर, 20

विषयः वेतन समिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–419/XXVII(7)/2008 दिनांक 27.10.2008 एवं भा सरकार के पत्र संख्या 38/37/08–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ए) दिनांक 02.09.2008 के प्रस्तर 8.2 अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारिख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारि पेंशन अनुमन्य होगी तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था दिनां 01.01.2006 के पूर्व दिवंगत हुए कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी बशर्ते दिनांक 01.01.200 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ न हो चुकी हो। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशन की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

2. ऐसे प्रकरण, जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन बन्द क सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन 01.01.2006 से अनुमन्य हो चुकी हो, इन आदेशों के तहत पुनरूद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

3. उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्याः–419/XXVII(7)/2008 दिनांक 27.10.2008 के प्रस्तर–8(1) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अमित नेगी)
सचिव

क्रमशः–2

30/17

संख्या–1384/XVII-4/2016–243(स.क.)/2002–TC

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

2. **निदेशक,**
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

3. **निदेशक,**
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–04 देहरादून, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड 1 में दिनांक 01.01.2016 को प्रकाशित "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015" जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 152(अ) दिनांक 18 जनवरी, 2016 द्वारा दिनांक 26.01.2016 से लागू है तथा अधिसूचना संख्या–सा.का.नि. 424(अ) दिनांक 14.04.2016 द्वारा अधिसूचित "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016" की प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त अधिनियम व नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधिनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों को भी तत्काल निर्देशित करते हुए शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– /XVII-4/2016–243(स.क.)/2002–TC-I, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2016/पौष 28, 1937

No. 136] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2016/PAUSA 28, 1937

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016

का.आ. 152(अ).—केंद्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जनवरी 2016 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. 11012/1/2002-पीसीआर (डेस्क)]

आईन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2016

S.O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015 (1 of 2016), the Central Government hereby appoints the 26th day of January, 2016 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 11012/1/2002-PCR (Desk)]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

257 GI/2016

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2016/पौष 11, 1937 (शक)
No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2016/PAUSHA 11, 1937 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 1st January, 2016/Pausha 11, 1937 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st December, 2015, and is hereby published for general information:—

THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT ACT, 2015

No. 1 of 2016

[31*st December*, 2015.]

An Act to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of long title.

33 of 1989.

2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, for the words "Special Courts", the words "Special Courts and the Exclusive Special Courts" shall be substituted.

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act, in sub-section (*1*),—

(*i*) after clause (*b*), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(*bb*) "dependent" means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance;

(*bc*) "economic boycott" means—

(*i*) a refusal to deal with, work for hire or do business with other person; or

(*ii*) to deny opportunities including access to services or contractual opportunities for rendering service for consideration; or

(*iii*) to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business; or

(*iv*) to abstain from the professional or business relations that one would maintain with other person;

(*bd*) "Exclusive Special Court" means the Exclusive Special Court established under sub-section (*1*) of section 14 exclusively to try the offences under this Act;

(*be*) "forest rights" shall have the meaning assigned to it in sub-section (*1*) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006; 2 of 2007.

(*bf*) "manual scavenger" shall have the meaning assigned to it in clause (*g*) of sub-section (*1*) of section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013; 25 of 2013.

(*bg*) "public servant" means a public servant as defined under section 21 of the Indian Penal Code, as well as any other person deemed to be a public servant under any other law for the time being in force and includes any person acting in his official capacity under the Central Government or the State Government, as the case may be;'; 45 of 1860.

(*ii*) after clause (*e*), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(*ea*) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(*eb*) "social boycott" means a refusal to permit a person to render to other person or receive from him any customary service or to abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others;

(*ec*) "victim" means any individual who falls within the definition of the "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" under clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 2, and who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as a result of the commission of any offence under this Act and includes his relatives, legal guardian and legal heirs;

(*ed*) "witness" means any person who is acquainted with the facts and circumstances, or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial of any crime involving an offence under this Act, and who is or may be required to give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry or trial of such case and includes a victim of such offence;';

(iii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

45 of 1860. 1 of 1872. 2 of 1974. "(f) the words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Criminal Procedure, 1973, as the case may be, shall be deemed to have the meanings respectively assigned to them in those enactments.".

4. In section 3 of the principal Act,— Amendment of section 3.

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(a) puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or forces such member to drink or eat such inedible or obnoxious substance;

(b) dumps excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance in premises, or at the entrance of the premises, occupied by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(c) with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, dumps excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his neighbourhood;

(d) garlands with footwear or parades naked or semi-naked a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(e) forcibly commits on a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any act, such as removing clothes from the person, forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body or any other similar act, which is derogatory to human dignity;

(f) wrongfully occupies or cultivates any land, owned by, or in the possession of or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, or gets such land transferred;

(g) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights, including forest rights, over any land or premises or water or irrigation facilities or destroys the crops or takes away the produce therefrom.

Explanation.—For the purposes of clause (f) and this clause, the expression "wrongfully" includes—

(A) against the person's will;

(B) without the person's consent;

(C) with the person's consent, where such consent has been obtained by putting the person, or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt; or

(D) fabricating records of such land;

(h) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do "*begar*" or other forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by the Government;

(i) compels a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves;

(*j*) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do manual scavenging or employs or permits the employment of such member for such purpose;

(*k*) performs, or promotes dedicating a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman to a deity, idol, object of worship, temple, or other religious institution as a *devadasi* or any other similar practice or permits aforementioned acts;

(*l*) forces or intimidates or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe—

(*A*) not to vote or to vote for a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;

(*B*) not to file a nomination as a candidate or to withdraw such nomination; or

(*C*) not to propose or second the nomination of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe as a candidate in any election;

(*m*) forces or intimidates or obstructs a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, who is a member or a Chairperson or a holder of any other office of a Panchayat under Part IX of the Constitution or a Municipality under Part IXA of the Constitution, from performing their normal duties and functions;

(*n*) after the poll, causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threatens to impose social or economic boycott upon a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or prevents from availing benefits of any public service which is due to him;

(*o*) commits any offence under this Act against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law;

(*p*) institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*q*) gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*r*) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;

(*s*) abuses any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by caste name in any place within public view;

(*t*) destroys, damages or defiles any object generally known to be held sacred or in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression "object" means and includes statue, photograph and portrait;

(*u*) by words either written or spoken or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote feelings of enmity, hatred or ill-will against members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(*v*) by words either written or spoken or by any other means disrespects any late person held in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(*w*) (*i*) intentionally touches a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipient's consent;

(*ii*) uses words, acts or gestures of a sexual nature towards a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Explanation.—For the purposes of sub-clause (*i*), the expression "consent" means an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gestures, or any form of non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific act:

Provided that a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe who does not offer physical resistance to any act of a sexual nature is not by reason only of that fact, is to be regarded as consenting to the sexual activity:

Provided further that a woman's sexual history, including with the offender shall not imply consent or mitigate the offence;

(*x*) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;

(*y*) denies a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to;

(*z*) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of a public duty;

(*za*) obstructs or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to—

(*A*) using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing *ghat*, any public conveyance, any road, or passage;

(*B*) mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions;

(*C*) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including *jatras*;

(*D*) entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any

other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public; or

(*E*) practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job which other members of the public, or any section thereof, have a right to use or have access to;

(*zb*) causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch; or

(*zc*) imposes or threatens a social or economic boycott of any person or a family or a group belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.";

(*ii*) in sub-section (*2*),—

(*a*) in clause (*v*), for the words "on the ground that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member", the words "knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member" shall be substituted;

(*b*) after clause (*v*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*va*) commits any offence specified in the Schedule, against a person or property, knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code for such offences and shall also be liable to fine;". 45 of 1860.

Substitution of new section for section 4.

5. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Punishment for neglect of duties.

"4. (*1*) Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.

(*2*) The duties of public servant referred to in sub-section (*1*) shall include—

(*a*) to read out to an informant the information given orally, and reduced to writing by the officer in charge of the police station, before taking the signature of the informant;

(*b*) to register a complaint or a First Information Report under this Act and other relevant provisions and to register it under appropriate sections of this Act;

(*c*) to furnish a copy of the information so recorded forthwith to the informant;

(*d*) to record the statement of the victims or witnesses;

(*e*) to conduct the investigation and file charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days, and to explain the delay if any, in writing;

(*f*) to correctly prepare, frame and translate any document or electronic record;

(g) to perform any other duty specified in this Act or the rules made thereunder:

Provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of an administrative enquiry.

(3) The cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in sub-section (2) by a public servant shall be taken by the Special Court or the Exclusive Special Court and shall give direction for penal proceedings against such public servant.".

6. In section 8 of the principal Act,— Amendment of section 8.

(i) in clause (a), for the words "any financial assistance to a person accused of", the words "any financial assistance in relation to the offences committed by a person accused of" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) the accused was having personal knowledge of the victim or his family, the Court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, unless the contrary is proved.".

7. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of section 10.

(a) after the words and figures "article 244 of the Constitution", the words, brackets and figures "or any area identified under the provisions of clause (vii) of sub-section (2) of section 21" shall be inserted;

(b) for the words "two years", the words "three years" shall be substituted.

8. For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of new section for section 14.

"14. (1) For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, establish an Exclusive Special Court for one or more Districts: Special Court and Exclusive Special Court.

Provided that in Districts where less number of cases under this Act is recorded, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for such Districts, the Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act:

Provided further that the Courts so established or specified shall have power to directly take cognizance of offences under this Act.

(2) It shall be the duty of the State Government to establish adequate number of Courts to ensure that cases under this Act are disposed of within a period of two months, as far as possible.

(3) In every trial in the Special Court or the Exclusive Special Court, the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Special Court or the Exclusive Special Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing:

Provided that when the trial relates to an offence under this Act, the trial shall, as far as possible, be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.".

Insertion of new section 14A.

9. After section 14 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Appeals.

"14A. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an appeal shall lie, from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a Special Court or an Exclusive Special Court, to the High Court both on facts and on law. 2 of 1974.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973, an appeal shall lie to the High Court against an order of the Special Court or the Exclusive Special Court granting or refusing bail. 2 of 1974.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the judgment, sentence or order appealed from:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of ninety days:

Provided further that no appeal shall be entertained after the expiry of the period of one hundred and eighty days.

(4) Every appeal preferred under sub-section (1) shall, as far as possible, be disposed of within a period of three months from the date of admission of the appeal.".

Substitution of new section for section 15.

10. For section 15 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Special Public Prosecutor and Exclusive Public Prosecutor.

"15. (1) For every Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.

(2) For every Exclusive Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify an Exclusive Special Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as an Exclusive Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.".

Insertion of new Chapter IVA.

11. After Chapter IV of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:—

"CHAPTER IVA

RIGHTS OF VICTIMS AND WITNESSES

Rights of victims and witnesses.

15A. (1) It shall be the duty and responsibility of the State to make arrangements for the protection of victims, their dependents, and witnesses against any kind of intimidation or coercion or inducement or violence or threats of violence.

(2) A victim shall be treated with fairness, respect and dignity and with due regard to any special need that arises because of the victim's age or gender or educational disadvantage or poverty.

(3) A victim or his dependent shall have the right to reasonable, accurate, and timely notice of any Court proceeding including any bail proceeding and the Special Public Prosecutor or the State Government shall inform the victim about any proceedings under this Act.

(4) A victim or his dependent shall have the right to apply to the Special Court or the Exclusive Special Court, as the case may be, to summon parties for production of any documents or material, witnesses or examine the persons present.

(5) A victim or his dependent shall be entitled to be heard at any proceeding under this Act in respect of bail, discharge, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments and file written submission on conviction, acquittal or sentencing.

2 of 1974. (6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the Special Court or the Exclusive Special Court trying a case under this Act shall provide to a victim, his dependent, informant or witnesses—

(a) the complete protection to secure the ends of justice;

(b) the travelling and maintenance expenses during investigation, inquiry and trial;

(c) the social-economic rehabilitation during investigation, inquiry and trial; and

(d) relocation.

(7) The State shall inform the concerned Special Court or the Exclusive Special Court about the protection provided to any victim or his dependent, informant or witnesses and such Court shall periodically review the protection being offered and pass appropriate orders.

(8) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (6), the concerned Special Court or the Exclusive Special Court may, on an application made by a victim or his dependent, informant or witness in any proceedings before it or by the Special Public Prosecutor in relation to such victim, informant or witness or on its own motion, take such measures including—

(a) concealing the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to the public;

(b) issuing directions for non-disclosure of the identity and addresses of the witnesses;

(c) take immediate action in respect of any complaint relating to harassment of a victim, informant or witness and on the same day, if necessary, pass appropriate orders for protection:

Provided that inquiry or investigation into the complaint received under clause (c) shall be tried separately from the main case by such Court and concluded within a period of two months from the date of receipt of the complaint:

Provided further that where the complaint under clause (c) is against any public servant, the Court shall restrain such public servant from interfering with the victim, informant or witness, as the case may be, in any matter related or unrelated to the pending case, except with the permission of the Court.

(9) It shall be the duty of the Investigating Officer and the Station House Officer to record the complaint of victim, informant or witnesses against any kind of intimidation, coercion or inducement or violence or threats of violence, whether given orally or in writing, and a photocopy of the First Information Report shall be immediately given to them at free of cost.

(10) All proceedings relating to offences under this Act shall be video recorded.

(11) It shall be the duty of the concerned State to specify an appropriate scheme to ensure implementation of the following rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice so as—

(a) to provide a copy of the recorded First Information Report at free of cost;

(b) to provide immediate relief in cash or in kind to atrocity victims or their dependents;

(c) to provide necessary protection to the atrocity victims or their dependents, and witnesses;

(d) to provide relief in respect of death or injury or damage to property;

(e) to arrange food or water or clothing or shelter or medical aid or transport facilities or daily allowances to victims;

(f) to provide the maintenance expenses to the atrocity victims and their dependents;

(g) to provide the information about the rights of atrocity victims at the time of making complaints and registering the First Information Report;

(h) to provide the protection to atrocity victims or their dependents and witnesses from intimidation and harassment;

(i) to provide the information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, on the status of investigation and charge sheet and to provide copy of the charge sheet at free of cost;

(j) to take necessary precautions at the time of medical examination;

(k) to provide information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, regarding the relief amount;

(l) to provide information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, in advance about the dates and place of investigation and trial;

(m) to give adequate briefing on the case and preparation for trial to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals and to provide the legal aid for the said purpose;

(n) to execute the rights of atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals at every stage of the proceedings under this Act and to provide the necessary assistance for the execution of the rights.

(12) It shall be the right of the atrocity victims or their dependents, to take assistance from the Non-Government Organisations, social workers or advocates.".

Insertion of new Schedule.

12. After section 23 of the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"THE SCHEDULE

[*See* section 3(2) (va)]

Section under the Indian Penal Code	Name of offence and punishment
120A	Definition of criminal conspiracy.
120B	Punishment of criminal conspiracy.
141	Unlawful assembly.
142	Being member of unlawful assembly.

Repeal and saving.

13. (1) The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 is hereby repealed. Ord. 1 of 2014.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2016.

GMGIPMRND—3979GI(S3)—02-01-2016.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 14, 2016/चैत्र 25, 1938
No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 2016/ CHAITRA 25, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ख) "आश्रित" से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं;'।

3. उक्त नियम के नियम 4 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1क) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1क) में निर्दिष्ट तीनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे ।";

(ख) उपनियम (2) में "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) उपनियम (3) में "किसी विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे ।

(घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,–

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति ;

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,

का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी ।";

(ङ.) उपनियम (5) में "विशेष न्यायालयों में न्यायालयों का संचालन के लिए" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपनियम (6) के स्थान पर, "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में,—

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा ।

(2क) उप नियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा ।";

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग(विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य या या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(viक) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;"।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।"।

7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन ।"।

8. उक्त नियम के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं।

(4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास का आदेश भी कर सकेगा।";

(ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमश: रखे जाएंगे।

9. उक्त नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. **राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व** — (1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए गए निवारात्मक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलतियों से संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"।

10. उक्त नियम के, नियम 15 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;

(ii) उपनियम (2) में, "कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन:

(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:--

(i) मुख्यमंत्री या प्रशासक-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

(ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री – सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे) ;

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;

(iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव ।

(2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्ट भी है, का पुनर्विलोकन करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी ।"

12. उक्त नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

13. उक्त नियम के, नियम 17क के, उपनियम (1) में "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध-I

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदंड

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए: (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत, (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा 3(1)(ङ)]	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी । पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा:
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा 3(1)(छ)]	

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
9.	मानव या पशुओं की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [अधिनियम की धारा 3(1)(झ)]	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)]	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)]	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा; (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास [अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [अधिनियम की धारा 3(1)(न)]	
21.	शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [अधिनियम की धारा 3(1)(प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326क (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपए; (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा । मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i)प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत ।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत ।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख(1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यरतिकता [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) पीछा करना [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख(1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(भ)]	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की

		रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(य)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर रहने या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]	(अ): क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग करने या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)]	(आ): सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	(इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है,

		निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	(उ): कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]	पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय । (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा ।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना । [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। [अधिनियम की धारा 3(2)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय हैं जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। [अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	नि:शक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई. तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विष्ट विभिन्न नि:शक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत असमर्थता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ख) जहां असमर्थता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ग) जहां असमर्थता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;

		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत ।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा ; (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत ।
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा ; (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर ।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष ।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :— (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध ; (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण । बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा ; (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना ।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है ।"

[फा. सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)].

आईन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था ।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7

संख्या- २७० / XXVII(7)50(16) / 2016

देहरादून : दिनांक-२८ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।

(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियाँ जिन पर ये नियम लागू होंगे- 2. (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।

(2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:-

(i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;

(ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;

(iii) शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू०सी०जी० / ए०आई०सी०टी० एवं आई०सी०ए०आर० के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;

(iv) जूनियर डॉक्टर / कार्य प्रभारित कर्मचारी;

(v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है,

(vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान

1

किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं 3. **इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो**

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण— ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह

अभिप्राय होगा कि– उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

(v) "विद्यमान परिलब्धियाँ" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान महगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा–निर्दिष्ट लम्बवत कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची–1 में यथा–विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियाँ" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर 4. संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा–विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड

और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण 5. इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० के कारण उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण–1 इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण–3 जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बध मे इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग 6. (1) नियम–5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–2 में लिखित रुप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुच जाए।

बशर्ते कि–

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप–नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

<u>**टिप्पणी–1**</u> ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर

सके थे, उप–नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी–2 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय–सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी–3 ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण 7. (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग–अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:–

(क) **सभी कर्मचारियों के मामले में**

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरुपी (Corresponding) कोई समरुप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम

राशि) उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। (उदाहरण-एक)

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने दिनांक 01-01-2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में [illegible] प्रस्तुत किया है-

उदाहरण

दिनांक 31-12-2015 को :-

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी-1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 10160
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560 (10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4
7. दिनांक 01-01-2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के समान या उससे अगली उच्चतर राशि) [illegible]

वेतन बैंड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख) [illegible] जिनके मामले में [illegible] है, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:

7

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–3

2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400

3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600

4. विद्यमान मूल वेतन : 21000

5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250

6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से महंगाई भत्ता : 6563

7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन: 21000X2.57 = 53970

8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ता

6563 (5250 का 125%)

वेतन बैंड	15600–39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

9. कम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533

10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी–3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10

11. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300

12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता 5250

13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550

(2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैण्ड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगा–

<u>ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नए वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है–</u>

<u>उदाहरण:</u>

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12580 (10180+2400)
4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800
5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12980

वेतन बैंड	5200–20200			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200

(10160+2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमैंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5	5	20300	22400	24500	28700	32300
8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि)	6	20900	23100	25200	29600	33300
33300	7	21500	23800	26000	30500	34300

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(6) दिनांक 01–01–2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां संशोधित परिलब्धियों से अधिक हैं तो यह अन्तर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में

उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) (1) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा–निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (identical) पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधित पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में इसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो,

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेत आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इ उप–नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधि आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अप अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अग वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पृथा–निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेत वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वा कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के पहले नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में 9. वेतन वृद्धि

वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा–विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

<u>उदाहरण</u>:

लेवल 4 में 32300 रुपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 33300 हो जाएगा।

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300 ⇩	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख 10.

(1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भाँति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।

(2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम 7 के उप खण्ड–1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

<u>उदाहरण:</u>

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति के बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर का संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रक्रियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

15

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4 2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700 3. पदोन्नति / एसीपी / समयमान वेतनमान / चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में 4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600 5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	वेतन बैंड	5200–20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान / स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर / वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि

14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (एरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है

(i) वेतन और महगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने

वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

(ii) वेतन और महगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और महगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव 15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति 16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन 17. यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

अनुसूची–1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200–20200					9300–34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	41400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

18

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 299/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016**" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 500 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

कार्यालय— उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई, देहरादून।
(जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून।)

ई: मेल Pdilsp.wmd@gmail.com फोन न00135—2768712,2760362

पत्रांक /11—7 (8) देहरादून दिनांकः 19 मार्च 2018

कार्यालय आदेश

अंर्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के Component-2 सहभागी जलागम विकास का कियान्वयन जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित सोसायटी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई "(UWDU) के सदस्य डा0 आर0पी0 कवि, संयुक्त निदेशक (पशुपालन) को अपीलीय अधिकारी एवं डा0 डी0एस0रावत, उप निदेशक (नियोजन) को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता हैं।

(मनीषा पंवार)
मुख्य परियोजना निदेशक/अध्यक्ष
उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई
एकीकृत आजीविका सहयोग
परियोजना देहरादून।

पत्रांक 2723 /11—7 (8)/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. परियोजना निदेशक (ILSP), जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून — सदस्य सचिव (UWDU)
2. डा0 आर0पी0 कवि, संयुक्त निदेशक (पशुपालन), जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून — सदस्य (UWDU)
3. डा0 डी0एस0 रावत, उप निदेशक (नियोजन), जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून, — सदस्य (UWDU)
4. परियोजना निदेशक प्रशासन जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून। —सदस्य
5. अधिष्ठान कक्ष/लेखा कक्ष जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

(मनीषा पंवार)
मुख्य परियोजना निदेशक/अध्यक्ष
उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई
एकीकृत आजीविका सहयोग
परियोजना देहरादून।

संख्याः 41 /XXVII(7)50(4)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक १२ सितम्बर, 2017

विषय :पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने पर उनके वेतन/भत्तों आदि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेष संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में व्यवस्थायें उपबन्धित की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को अतिकमित करते हुए पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्नियोजन की अवधि में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित प्राविधान के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वेतन की अनुमन्यता उन्हीं मामलों में रहेगी जिसमें पुर्ननियोजन के पद का दायित्व नितान्त वैज्ञानिक, उच्च तकनीकी अथवा विशेषज्ञता से युक्त हो। पुनर्नियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, वह पुनर्नियुक्ति अवधि में उसका वेतन होगा। महंगाई भत्ता उक्त वेतन एवं पेंशन पर समान रूप से पृथक–पृथक अनुमन्य होगा। यदि किसी अतिविशिष्टि विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के प्रकरण मे अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त मा0 मंत्रिमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यों, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यों तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यों के सम्पादन के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। नितान्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की मांग/संस्तुति पर सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व सेवा का इतिहास/स्वास्थ्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का भलि–भांति प्रशिक्षण करके औचित्य के साथ कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से संविदा के आधार पर सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए नियत मानदेय पर तैनाती की जायेगी। उक्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्ध वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा। नियत मानदेय पर महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. पुनर्नियुक्ति/नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्तें, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एवं वेतन में देय महंगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा।
4. पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजन की अवधि पेंषन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. पुनर्नियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होंगे जिसके विरूद्ध उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन संबधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)2013-3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के प्रस्तावों पर वित्त विभाग में विचार किया जायेगा।
10. समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

2- पूर्व में नियोजित कार्मिक, जिन्हें शासनादेश संख्या 319/XXVII-7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं प्राप्त हो रही है, उन्हें उक्त सुविधायें उनके वर्तमान कार्यकाल तक अथवा 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, तक ही अनुमन्य होगी।

3- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि में उक्त कार्मिको को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

4- पुनर्नियुक्ति केवल निःसंवर्गीय पदों पर की जायेगी। निःसंवर्गीय पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5- उक्त शासनादेश संवैधानिक पदधारकों पर लागू नहीं होगा।

6- इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश व नियम उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जाए। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : / /XXVII(7)50(4)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टैट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
10- निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11- समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या : 105/ 2018–52(5)/2015

प्रेषक,

सोनिया भारती,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन (जलागम)अनुभाग देहरादून : दिनांक 08 फरवरी, 2018

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ग्राम्य विकास विभाग के पत्रसंख्या 404/नि.स./प्र.स.–ग्रा.वि./2018 दिनांक 06.02.2018 एवं पत्र के साथ संलग्न उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक के दृष्टिगत समयबद्ध रूप से स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गयी है(प्रतिलिपि संलग्न)।

इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के प्राविधानों के कम में विभागान्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,-

(सोनिया भारती)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास विभाग

संख्याः 404/नि.स./प्र.स.–ग्रा.वि./2018

देहरादून : दिनांकः 06 फरवरी, 2018

1. अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, MSME/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, जलागम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक विभाग द्वारा **'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017'** की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी है तथा स्थानान्तरण हेतु समय–सारिणी भी दी गयी है। आज सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी है कि सभी विभाग इंगित समय–सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण के विषय में कार्यवाही पूरी करें।

कृपया संबंधित विभागाध्यक्षों को तत्काल यह निर्देश प्रसारित कर दिये जाएं ताकि समयबद्ध रूप से स्थानान्तरण कार्यवाही पूर्ण हो सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

735/AS/18
1.5-(WS)/80

07.02.18

(धीरेन्द्र सिंह दलाल)
अपर सचिव
जलागम
उत्तराखण्ड शासन।

क्रम संख्या–10 (ग) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

ASK(P)

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन।

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 ई0

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017' पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदि के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा, उच्च न्यायालय के नियन्त्रणाधीन समस्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राज्याधीन सेवाओं के लिए लागू होगी और इसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निगम, परिषद् तथा स्थानीय निकायों पर भी लागू कर सकेगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमों में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में-

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) 'गम्भीर रोगी' से गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक की पति/पत्नी एवं परिवार (जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं माता-पिता)

और गम्भीर रोगों के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पोजिटिव), हृदय रोग (बाय पास सर्जरी अथवा एंजियोप्लास्ट्री किया गया हो), किडनी रोग (दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर, किडनी ट्रांसप्लान्ट किया गया हो अथवा एक किडनी निकाली गयी हो), ट्यूबर कुलोसिस (दोनों फेफड़े, संक्रमित हो अथवा एक फेफडा पूर्णतः खराब हों), स्पाईन की हड्डी टूटने सार्स (थर्ड स्टेज), मिर्गी, मानसिक रोग अथवा कोई अन्य ऐसा रोग, जिसके कारण कार्मिक की किसी क्षेत्र विशेष में तैनाती उचित न होने की संस्तुति राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई हो, और जिसका अनुमोदन अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित समिति द्वारा किया गया हो, सम्मिलित हैं;

(ङ) 'विकलांगता' से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है, जिसमें पूर्ण अन्धापन, दोनों पांव रहित, एक अपूर्ण पांव, लकवा ग्रस्त (एक हाथ या एक पांव) अथवा 'प्रतिशत विकलांगता' के सन्दर्भ में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता सम्मिलित हैं;

(च) 'सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र' से गम्भीर रोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राज्य मेड्किल बोर्ड, राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्थान अथवा राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य/जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकारी/समिति द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा विकलांगता के लिए सम्बन्धित अधिनियम में दिए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'स्वस्थता प्रमाण–पत्र' से गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की श्रेणी के कार्मिकों द्वारा उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है;

(ज) 'वरिष्ठ कार्मिक' से प्रत्येक वर्ष की आधार तिथि 31 मई को जहाँ सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष वहाँ 55 वर्ष तथा जहां सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष वहाँ 60 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कार्मिक अभिप्रेत हैं।

(झ) 'सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र' से इस अधिनियम के अधीन जनपदवार

परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 के अनुसार उदाहरणार्थ चिन्हित दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) 'तैनाती स्थान' से कार्मिक के स्थानान्तरण हेतु विचार के समय उसकी तैनाती का स्थान/स्थल अभिप्रेत है।

कार्मिकों की पदस्थापना हेतु वर्गीकरण

4. कार्मिकों की पदस्थापना हेतु निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्:–

(1) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है;

(2) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है;

(3) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद स्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन और उसका प्रकटीकरण

5. (1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, धारा 4 में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुए चिन्हांकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइड में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसा प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यक हो।

(2) ऐसे विभाग, जिनके सभी कार्यस्थल अधिनियम के परिशिष्टों में निर्धारित मानकानुसार अथवा उपर्युक्त उप धारा (1) के अनुसार अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मानकों का पुनर्निधारण कर सकेंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण के प्रकार

6. वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे; अर्थात् :–

(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण;

(ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण; और

(ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में

7. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे, अर्थात् :–

अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक

(क) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 10 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा के प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे;

(ख) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उपरोक्तानुसार रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे :

परन्तु यह कि सुगम क्षेत्र में कुल सेवाकाल की गणना हेतु एतद्विषयक धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों के अनुसार सुगम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा;

(ग) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनके दुर्गम स्थान से अवमुक्त होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख उनके स्थानान्तरण आदेश में भी किया जायेगा;

(घ) निम्न श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी; अर्थात् :–

(एक) वरिष्ठ कार्मिक,

(दो) ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और

(तीन) धारा 3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

(चार) ऐसे पति–पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हों।

(पाँच) सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

8. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :–

सुगम स्थान से दुर्गम स्थान में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित

संवर्ग में दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी, अर्थात् ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तथा जो "छूट" की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए सम्बन्धित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

9. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार होने के पश्चात् ऐसी सूची, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा सूची के कार्मिकों की संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित/परिचालित करते हुए पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक

10. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे, अर्थात् :—

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर 03 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा ;

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 03 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किए जाएंगे। ऐसी गणना करने के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों में दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

11. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :—

(क) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित संवर्ग में सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 7 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा तक ही किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् :—

(ख) ऐसे कार्मिकों को, जो दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 03 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है अथवा सम्पूर्ण सेवा अवधि में उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए संवर्ग में उपरोक्तानुसार सुगम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

12. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की एक सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची, सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा कार्मिकों की सम्भावित रिक्तियों को प्रकाशित/परिचालित करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

13. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जायेगी; अर्थात् :—

(1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा;

(2) दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा; किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकास खण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।

(3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति–पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हो तो वे तद्नुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति–पत्नी, यथा लागू, सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेगें ।

(4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) धारा–3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होंगे;

(5) मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार है तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता–पिता पर निर्भर है, ऐसी दशा में उनके माता–पिता मेडिकल बोर्ड के एतद्विषयक प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे; तथा

(6) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

टिप्पणीः अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन धारा 12 के अधीन प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिए अनरोध अनुमन्य न होगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र मांगा जाना

14. उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन–पत्र मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारण

15. (1) स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी।

(2) ऐसे सभी कार्यालय/अधिष्ठान, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां, पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।

स्थानान्तरण समिति का गठन एवं समिति के दायित्व

16. (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन, विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

(3) वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन पत्र एवं विकल्प तथा दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों की रिक्तियों के विवरण सम्बन्धित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। उपरोक्त धारा 9, 12 एवं 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सत्यापित सूची भी स्थानान्तरण समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(4) समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक कार्मिक, जिसका विवरण समिति के समक्ष रखा गया है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के आधार पर विचार करके कार्यवृत्त तैयार करेगी,

जिससे स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों को रिक्ति आवंटित होने/करने का आधार यथा 'विकल्प', 'स्वयं के अनुरोध', 'चिकित्सा', 'विकलांगता', 'वरिष्ठ कार्मिक' आदि स्पष्टतः अंकित किया जायेगा। समिति अपने कार्यवृत्त में एक अलग सूची में उन कार्मिकों के सम्बन्ध में भी कारण सहित उल्लेख करेगी, जिनका स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार संस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(5) स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

स्थानान्तरण समिति द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावों पर विचार किया जाना

17. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न कमानुसार विचार किया जाएगा :–

(क) **सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :**

स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा; अर्थात् –

सर्वप्रथम स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा अवधि में सबसे अधिक अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिक से प्रारम्भ किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र की रिक्ति के लिए कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प को स्वीकार किया जायेगा; अर्थात् –

सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में एक–एक करके कार्मिकों पर विचार किया जायेगा और विकल्प के अनुसार उपलब्ध रिक्ति उन्हें आवंटित की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि स्थानान्तरण हेतु चिन्हित कार्मिकों में से एक से अधिक कार्मिकों ने दुर्गम क्षेत्र की चिन्हित किसी रिक्ति विशेष हेतु समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया है तो ऐसी रिक्ति विकल्प देने वाले कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक को आवंटित की जायेगी, जिसने सुगम क्षेत्र में सबसे कम अवधि की सेवा की हो ;

परन्तु यह और कि यदि उक्तानुसार विचार करने के पश्चात् भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार इच्छित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है अथवा ऐसा कोई कार्मिक है, जिसने विकल्प नहीं दिया है तो स्थानान्तरण समिति द्वारा ऐसे अवशेष

कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :–

खण्ड (क) के अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित क्रम में विचार किया जायेगा :–

(एक)– गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) की गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो)– मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध;

(तीन)–सेवारत पति–पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो;

(चार)–उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पाँच)–विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता, एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छः)–दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सातः) अन्त में, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :–

स्थानान्तरण समिति द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित स्थानान्तरण पर विचार करने के पश्चात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण को निम्नवत् निस्तारित किया जायेगा :–

(एक) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में सूचीबद्ध किया जायेगा;

(दो) उपर्युक्त के अनुसार तैयार की गई सूची में से उत्तराखण्ड सरकार

की सेवा में कार्यरत, पति/पत्नी को रिक्ति की स्थिति में ऐच्छिक स्थान आवंटित किया जायेगा;

(तीन) सूची में से दुर्गम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार ऐच्छिक स्थान आबंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य कार्मिकों को भी अवरोही क्रम (Descending Order) में ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने पर आबंटित किया जायेगा ;

परन्तु यह कि यदि सुगम क्षेत्र की किसी रिक्ति विशेष के लिए एक से अधिक कार्मिकों द्वारा समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया जाता है तो ऐसी रिक्ति ऐसे कार्मिक को आबंटित की जायेगी, जिसने दुर्गम क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा की हो ;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्तानुसार विचार करने के पश्चात भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये विकल्प के अनुसार रिक्त स्थान उपलब्ध न हो सके, तो स्थानान्तरण समिति द्वारा अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आबंटित कर दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण समिति कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करते हुए निर्णय लेगी:—

(क) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;

(ख) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर—प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। "गृह जनपद" से ऐसा गाँव/हल्का/तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;

(ग) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिक को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया

जायेगा ;

(घ) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से प्रद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

(ङ.) स्थानान्तरण संवर्गीय पद/कार्यस्थल के लिए ही किये जायेंगे तथा संवर्ग के बाहर (यथा जनपदीय/मण्डलीय संवर्ग के संदर्भ में अन्तर्जनपदीय /अन्तर्मण्डलीय) के पद/कार्यस्थल के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे;

परन्तु यह कि दो कार्मिकों के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि परिवर्तित/नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन हेतु धारा 27 में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरण पर तैनाती की प्रक्रिया

18. वार्षिक/सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरणों पर तैनाती की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :—

(1) प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी;

(2) पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा 7 के खण्ड (घ) के प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि दुर्गम क्षेत्र में पदोन्नति का पद विद्यमान/रिक्त नहीं है तो पदोन्नति के बाद सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष तैनात किया जा सकेगा;

(3) दो कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम एवं दुर्गम अथवा सुगम एवं सुगम कार्यस्थल में) पर

स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा सुगम कार्यस्थलों में ही तैनात दो कार्मिकों को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य न होगा;

(4) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर जाँच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त, जहाँ सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आधार पर प्रेरित होकर अथवा आकस्मिक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानान्तरणों के आदेश–पत्र में प्रशासनिक आधार अंकित किया जाना आवश्यक होगा;

(5) उपरोक्त खण्ड (1) से (4) के अनुसार की जाने वाली तैनाती/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक् एवं भिन्न अवधि में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे और इसके लिए प्रकरण को स्थानान्तरण समिति के समक्ष ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर सक्षम अधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

दुर्गम क्षेत्र में तैनाती प्रोन्नति के लिए अनिवार्यता

19. (1) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया गया हो ;

(2) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कार्मिक यदि धारा 7 के खण्ड (घ) से आच्छादित होता हो तो उसे दुर्गम क्षेत्र में तैनात किए जाने अथवा बंधपत्र देने की बाध्यता न होगी ;

परन्तु यह और कि यदि प्रथम पदोन्नति के समय बंधपत्र देकर दुर्गम

क्षेत्र में तैनात होने वाला कार्मिक बंधपत्र अनुसार निर्दिष्ट अवधि दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण कर लेने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु कुल अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है तो ऐसे कार्मिक के लिए द्वितीय पदोन्नति प्राप्त करने हेतु द्वितीय पदोन्नति के लिए कुल अर्हकारी सेवा की भी आधी अवधि दुर्गम क्षेत्र में सेवा की अनिवार्यता सम्बन्धी प्राविधान बाध्यकारी नहीं होगा, अर्थात् प्रथम बंधपत्र की अवधि के उपरान्त ऐसा कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में, जितनी भी सेवा करने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु अन्य मानक पूर्ण करता हो तो उसे द्वितीय पदोन्नति हेतु पात्र माना जायेगा ;

(3) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अर्हकारी सेवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 1.07.2020 से प्रभावी होगी तथा इस तिथि से प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत करना अनिवार्य होगा, तभी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा नियमावलियों में उक्त आशय का प्राविधान अलग से किया जाएगा।

(4) जो कार्मिक, अपने सेवा–काल में दुर्गम क्षेत्र में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा 13 का खण्ड (1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर दिया जाने वाला प्रोत्साहन

20. दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की दशा में कार्मिक को प्रोत्साहन स्वरूप निम्न लाभ अनुमन्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से ज्यादा ... पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष की की गई सेवा को 2 वर्ष के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

(ख) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से कम की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष की की गई सेवा को 1 वर्ष 3 माह के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना

21. (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ;

परन्तु यह कि जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है, वहां समूह 'ख' के

अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किए जायेंगे ;

(2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति (जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में) द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे ;

(3) स्थानान्तरण हेतु धारा 23 में उल्लिखित समय–सारिणी के अनुसार इंगित तिथि के पश्चात् समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु अधिकृत सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना

22. (1) स्थानान्तरण आदेशों में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey time)' का ही उपभोग कर सकेंगे;

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाई की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च

अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंतव्य प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी

23. प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय–सारणी होगी; अर्थात्–

(1)	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण की तिथि	31 मार्च
(2)	सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना–	01 अप्रैल
(3)	प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना–	15 अप्रैल
(4)	अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि–	20 अप्रैल
(5)	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि–	30 अप्रैल
(6)	उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि–	15 मई
(7)	प्राप्त विकल्पों/आवेदन–पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना–	20 मई
(8)	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि–	25 मई से 05 जून
(9)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि–	10 जून
(10)	निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना–	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अन्दर

(11)	स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि–	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर
(12)	स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि–	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा समय–सारिणी में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दंड

24. (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;

(2) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाई की जायेगी ;

(3) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

कार्यभार टिप्पणी	25.	स्थानान्तरित समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व उनके पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
संगत नियमों का स्थानान्तरण आदेशों में उल्लिखित किया जाना	26.	इस अधिनियम के अनुसरण में किये जाने वाले "स्थानान्तरण आदेश" में सम्बन्धित कार्मिक का किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण	27.	(1) इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा ; परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें :— (क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त; (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त; (ग) प्रमुख सचिव, कार्मिक संदस्य होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा। (2) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो अधिनियम में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में उक्त समिति विचार करके अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी, उसके उपरान्त राज्य सरकार यथा आवश्यक नियम बना सकेगी।
स्थानान्तरण से सम्बन्धित	28.	इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज एवं समस्त अभिलेख अत्यन्त सावधानी पूर्वक संकलित करते

अभिलेखों का रखा जाना

हुए व्यवस्थित रूप में एक अलग पत्रावली में रखे जायेंगे और इन्हें प्रत्येक समय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण हेतु तैयार रखा जायेगा। इस कार्य को सम्पादित किए जाने का दायित्व स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा। यह पत्रावली कार्मिकों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक कार्यालय दिवस पर उपलब्ध होगी तथा किसी कार्मिक को यदि पत्रावली में से किसी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसे 2 प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधायी/43–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

परिशिष्ट–1

(देखिए धारा 3 का खण्ड (इ))

जनपद स्तरीय स्थल जिनकी तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है के आधार पर सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का मानक

प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जाने वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण अधिनियम में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य-स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड
इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी, देहरादून।

Phone No. 0135-2764244, 2768712
Tele fax no. 0135-2760170, 2762839
www.wmduk.gov.in ; wmd-ua@nic.in

पत्रांक– 1711 / 11–11(1) देहरादून दिनांक : 30 जनवरी, 2021

सेवा में,

उप परियोजना निदेशक,

जैफ–6

पौडी प्रभाग।

विषयः– जैफ–6 परियोजना अन्तर्गत प्रभाग में कार्मिकों की आउटर्सोसिंग/तकनीकी ऐजेंसी के माध्यम से तैनाती के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र संख्या 2519/11–11(1), दिनांक 05 जून, 2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें GLIU/ प्रभाग स्तर पर विभिन्न पदों पर निर्धारित TOR के अनुसार कार्मिकों की आउटर्सोसिंग/तकनीकी ऐजेंसी के माध्यम से तैनाती करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तद्क्रम में प्रभागान्तर्गत 20 Community Resource Persons (CRP's) की तैनाती हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये TOR में आंशिक संशोधन करते हुये संशोधित TOR की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। इसके साथ ही FAO की E-Mail दिनांक 25 जनवरी, 2021 भी संलग्न कर प्रेषित है, जिसमें मानदेय की ऊपरी सीमा का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

भवदीया

(नीना ग्रेवाल)
परियोजना निदेशक, जैफ–6
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

<u>पत्रांक– 1711 /11–11(1) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, गढवाल क्षेत्र, मुनिकीरेती को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

(नीना ग्रेवाल)
परियोजना निदेशक, जैफ–6
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

From : Rakesh Sinha <Rakesh.Sinha@fao.org> Mon, Jan 25, 2021 12:48 PM
Subject : RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment 7 attachments
To : Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in>
Cc : Mohammad Arif <Mohammad.Arif@fao.org>, Uma Balaji <Uma.Balaji@fao.org>, Sabita Parida <Sabita.Parida@fao.org>, Konda Chavva <Konda.Chavva@fao.org>, Tomio Shichiri <Tomio.Shichiri@fao.org>

Dear Neena,
The explanation provided for by you is, as I have understood,

1. The State Government officials, who are on deputation with the project, shall not be charged to the project. Therefore, you will have a saving on account of this.
2. Hence, even if the project is continued upto 31st March 2027, still budget will be not an issue for the hiring of CRPs at an enhanced rate of Rs25000/pm.

We concur with your proposal of recruiting 20 CRPs with enhanced wages of Rs25000/ pm from Rs 10000/pm with the above understanding.
However, I am having only one suggestion for you. If you start giving Rs 25000/ pm from the beginning the person does not have any incentive for the future. So if you keep like Rs 22,500/ in the first year, then Rs 23000/ in the second year and so on depending upon the performance of the individual, probably there is incentive for working. But I leave it to you as you are the best person to judge.
Best wishes,
R B Sinha
Senior Policy Advisor
(Natural Resources)
& Project Director
GEF Green-Ag Project

Food and Agriculture Organization of the United Nations

From: Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in>
Sent: Saturday, January 23, 2021 1:16 PM
To: Sinha, Rakesh (FAOIN) <Rakesh.Sinha@fao.org>
Cc: Arif, Mohammad (FAOIN) <Mohammad.Arif@fao.org>; Balaji, Uma (FAOIN) <Uma.Balaji@fao.org>; Parida, Sabita (FAOIN) <Sabita.Parida@fao.org>; Chavva, Konda (FAOIN) <Konda.Chavva@fao.org>; Shichiri, Tomio (FAOIN) <Tomio.Shichiri@fao.org>
Subject: Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

Dear Sir,

With reference to your mail, we want to clarify that -

(i) The Salary of Government employees will be paid by the State Government, not by FAO.

(2) As O.P. we know that the project implementation Budget is separate from the establishment related expenses and will not be used for establishment related expenses.

(3) As CRP's are important for project implementation and there recruitment process will also take some time, hence it is requested that our proposal for recruitment of 20 CRPs may be approved at the earliest.

Regards,

Project Director
GEF-6
Watershed Management Directorate,
Dehradun, Uttarakhand

TOR for engagement of Community Resource Person Coordinator in Green Landscape Implementation Unit of FAO-GEF assisted Green Agriculture Project in Uttarakhand

---

A) GLIU- Community Resource Person

1. **Number of post** : **10 (Ten)**
2. **Duty Station** : Project villages with travel to GLIU Office
3. **Pay** : Maximum 25,000 INR per month (Consolidate).
4. **Contract Duration** : 11 months contract, extendable based on performance
5. **Essential Qualification**

   5.1 Educational:

   - Bachelors/ Master's degree in Arts discipline.

   5.2 Experience

   Essential:

   - At least 3 to 5 years of work experience in NRM based Development Projects.

   Desirable:

   - Knowledge on local language and Hindi.
   - Good Communication skills
   - Basic Knowledge of English.

6. **Duties/ Responsibilities :-** Under the direct supervision of the Team Leader, GLIU, and in regular consultation with the relevant GLIU experts the Community Resource Person will undertake the following duties-

- Coordinate/ facilitate implementation of the project activities at the village level; collecting farm level data, collect and share information with farmers and providing on-field guidance to men and women farmers.
- Evolve site-specific implementation strategies for implementing and facilitating project activities; Facilitate participatory project planning process at village level with the support of other GLIU team members.
- Organizing meeting of villagers and community level institutions and maintaining a healthy and dynamic communication with villagers on a regular basis.
- Collecting data for baseline at village and panchayat level. Supporting the M&E team in collecting data for monitoring and evaluations.
- Generating village-wise monthly progress reports, monitoring community-level progress and support GLIU team in documenting progresses and initiatives.
- Reporting and communicating any important issue in regard to farming, animal husbandry, fisheries, forestry, human wild life conflict etc. to GLIU

authorities and community immediately (maintaining to and fro communication between GLIU authorities and villagers at large on any important or unusual activity/event).

- Plan and organize capacity building of men and women farmers with the support of other GLIU experts and extension workers.
- Report to the Team Leader, GLIU on a weekly basis or as and when required.
- Undertake any other field duties, as required.

7. Key Performance Indicators:-

Expected outputs:	Required completion dates:
• Tasks described above carried out satisfactorily and certified. • Monthly Report/ Final Report and attachments submitted and cleared.	• Monthly/Final Report – Upon completion of the assignment

TOR for engagement of Community Resource Person Coordinator in Green Landscape Implementation Unit of FAO-GEF assisted Green Agriculture Project in Uttarakhand

A) GLIU- Community Resource Person

1. **Number of post** : **10 (Ten)**
2. **Duty Station** : Project villages with travel to GLIU Office
3. **Pay** : Maximum 25,000 INR per month (Consolidate).
4. **Contract Duration** : 11 months contract, extendable based on performance
5. **Essential Qualification**

5.1 Educational:

- Bachelors/ Master's degree in Science discipline.

5.2 Experience

Essential:

- At least 3 to 5 years of work experience in NRM based Development Projects.

Desirable:

- Knowledge on local language and Hindi.
- Good Communication skills
- Basic Knowledge of English.

6. **Duties/ Responsibilities :-** Under the direct supervision of the Team Leader, GLIU, and in regular consultation with the relevant GLIU experts the Community Resource Person will undertake the following duties-

- Coordinate/ facilitate implementation of the project activities at the village level; collecting farm level data, collect and share information with farmers and providing on-field guidance to men and women farmers.
- Evolve site-specific implementation strategies for implementing and facilitating project activities; Facilitate participatory project planning process at village level with the support of other GLIU team members.
- Organizing meeting of villagers and community level institutions and maintaining a healthy and dynamic communication with villagers on a regular basis.
- Collecting data for baseline at village and panchayat level. Supporting the M&E team in collecting data for monitoring and evaluations.
- Generating village-wise monthly progress reports, monitoring community-level progress and support GLIU team in documenting progresses and initiatives.
- Reporting and communicating any important issue in regard to farming, animal husbandry, fisheries, forestry, human wild life conflict etc. to GLIU

authorities and community immediately (maintaining to and fro communication between GLIU authorities and villagers at large on any important or unusual activity/event).

- Plan and organize capacity building of men and women farmers with the support of other GLIU experts and extension workers.
- Report to the Team Leader, GLIU on a weekly basis or as and when required.
- Undertake any other field duties, as required.

7. Key Performance Indicators:-

Expected outputs:	Required completion dates:
• Tasks described above carried out satisfactorily and certified. • Monthly Report/ Final Report and attachments submitted and cleared.	• Monthly/Final Report – Upon completion of the assignment

Email **Chief Project Officer**

Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

From : Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in> Sat, Jan 23, 2021 01:16 PM
Subject : Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment 7 attachments
To : Rakesh Sinha <Rakesh.Sinha@fao.org>
Cc : Mohammad Arif <Mohammad.Arif@fao.org>, Uma Balaji <Uma.Balaji@fao.org>, Sabita Parida <Sabita.Parida@fao.org>, Konda Chavva <Konda.Chavva@fao.org>, Tomio Shichiri <Tomio.Shichiri@fao.org>

Dear Sir,

With reference to your mail, we want to clarify that -

(i) The Salary of Government employees will be paid by the State Government, not by FAO.

(2) As O.P. we know that the project implementation Budget is separate from the establishment related expenses and will not be used for establishment related expenses.

(3) As CRP's are important for project implementation and there recruitment process will also take some time, hence it is requested that our proposal for recruitment of 20 CRPs may be approved at the earliest.

Regards,

Project Director
GEF-6
Watershed Management Directorate,
Dehradun, Uttarakhand

From: "Rakesh Sinha" <Rakesh.Sinha@fao.org>
To: "Chief Project Officer" <wmd-ua@nic.in>
Cc: "Mohammad Arif" <Mohammad.Arif@fao.org>, "Uma Balaji" <Uma.Balaji@fao.org>, "Sabita Parida" <Sabita.Parida@fao.org>, "Konda Chavva" <Konda.Chavva@fao.org>, "Tomio Shichiri" <Tomio.Shichiri@fao.org>
Sent: Friday, January 22, 2021 2:28:38 PM
Subject: RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

Dear Neena,

Thanks for sharing the likely expenditure calculation on account of enhanced remuneration to CRPS. We agree that if the project ends on 31st March 2026 as proposed originally then you have a saving. However, if the project is extended by one year, which we will get in any case due to Covid 19, then there is a shortfall of more than US$ 13000. From where we will get it. Additionally, as brought out in a previous mail, some of your experts, I trust, are Government employees and they must be getting their salary as per their salary rules of state government and you intend to charge their salary to this project after a few years. Their salary, we again presume, must be much more than what is budgeted for in the project. Therefore, you will agree, that as a

Email **Chief Project Officer**

RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

From : Rakesh Sinha <Rakesh.Sinha@fao.org> Fri, Jan 22, 2021 02:42 PM
Subject : RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment 8 attachments
To : Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in>
Cc : Mohammad Arif <Mohammad.Arif@fao.org>, Uma Balaji <Uma.Balaji@fao.org>, Sabita Parida <Sabita.Parida@fao.org>, Konda Chavva <Konda.Chavva@fao.org>, Tomio Shichiri <Tomio.Shichiri@fao.org>

Dear Neena,
Thanks for sharing the likely expenditure calculation on account of enhanced remuneration to CRPS. We agree that if the project ends on 31st March 2026 as proposed originally then you have a saving. However, if the project is extended by one year, which we will get in any case due to Covid 19, then there is a shortfall of more than US$ 13000. From where we will get it.
Additionally, as brought out in a previous mail, some of your experts, I trust, are Government employees and they must be getting their salary as per their salary rules of state government and you intend to charge their salary to this project after a few years. Their salary, we again presume, must be much more than what is budgeted for in the project. Therefore, you will agree, that as a budget controller it becomes essential to work the possible outgo on account of salary till the end of the project before taking any decision.
We do not have any objection and you will also agree if the budget is looked at holistically for all the project staff, who will be charged to the project for whatever period, and then there is a sufficient budget for six years of implementation, then you can go ahead with your proposal. But you need to work out the entire staff budget. One thing we want to make clear that the implementation budget shall not be allowed to be used for establishment related expenses under any circumstances as per GEF conditions.
Best wishes,

R B Sinha
Senior Policy Advisor
(Natural Resources)
& Project Director
GEF Green-Ag Project

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

From: Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in>
Sent: Friday, January 22, 2021 12:05 PM
To: Sinha, Rakesh (FAOIN) <Rakesh.Sinha@fao.org>
Cc: Arif, Mohammad (FAOIN) <Mohammad.Arif@fao.org>; Balaji, Uma (FAOIN) <Uma.Balaji@fao.org>; Parida, Sabita (FAOIN) <Sabita.Parida@fao.org>; Chavva, Konda (FAOIN) <Konda.Chavva@fao.org>; Shichiri, Tomio (FAOIN) <Tomio.Shichiri@fao.org>
Subject: Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

Dear Sir,

As per your mail and our telephonic discussion please find attached the costing of 20 CRPs proposed by WMD at USD = 70.36 INR and 65 INR for both four and five years project period. It may be kindly noted that in all the four scenarios there is saving with the OP WMD.

Regards,

Neena Grewal

Project Director
GEF-6
Watershed Management Directorate,

Email **Chief Project Officer**

Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

From : Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in> Fri, Jan 22, 2021 12:04 PM
Subject : Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment 7 attachments
To : Rakesh Sinha <Rakesh.Sinha@fao.org>
Cc : Mohammad Arif <Mohammad.Arif@fao.org>, Uma Balaji <Uma.Balaji@fao.org>, Sabita Parida <Sabita.Parida@fao.org>, Konda Chavva <Konda.Chavva@fao.org>, Tomio Shichiri <Tomio.Shichiri@fao.org>

Dear Sir,

As per your mail and our telephonic discussion please find attached the costing of 20 CRPs proposed by WMD at USD = 70.36 INR and 65 INR for both four and five years project period. It may be kindly noted that in all the four scenarios there is saving with the OP WMD.

Regards,

Neena Grewal

Project Director
GEF-6
Watershed Management Directorate,
Dehradun, Uttarakhand INDIA
www.wmduk.gov.in, wmd-ua@nic.in

From: "Rakesh Sinha" <Rakesh.Sinha@fao.org>
To: "Chief Project Officer" <wmd-ua@nic.in>
Cc: "Mohammad Arif" <Mohammad.Arif@fao.org>, "Uma Balaji" <Uma.Balaji@fao.org>, "Sabita Parida" <Sabita.Parida@fao.org>, "Konda Chavva" <Konda.Chavva@fao.org>, "Tomio Shichiri" <Tomio.Shichiri@fao.org>, "Mohammad Arif" <Mohammad.Arif@fao.org>
Sent: Tuesday, January 5, 2021 12:50:25 PM
Subject: RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

Dear Neena,
Thanks for your response. However, let me clarify a few things for clarity.

1.The project period is from 1st April 2019 to 31st March 2026. Therefore, even without any extension, we do still have more than five years for the implementation period of the project.
2. Additionally, as you are also implementing various externally aided projects, these projects get no-cost extension for at least one more year, and keeping in view the pandemic We do not foresee any problem for getting the no-cost extension for a year as well. So it will be more or less still six years of implementation.
3. As far as discussing with FAO representatives before the SSC meeting, it is presumed by the FAO that the partners have worked out the details as per the budget provided for that in the project. You will also agree that it is not feasible for anyone to discuss budgetary issues without full computation and this can be done with prior preparations only.
4. Therefore, We will request you to have a look at this issue from the position explained above.

Best Wishes,
R B Sinha
Senior Policy Advisor
(Natural Resources)
& Project Director
GEF Green-Ag Project

Email **Chief Project Officer**

RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

From : Rakesh Sinha <Rakesh.Sinha@fao.org> Tue, Jan 05, 2021 01:17 PM
Subject : RE: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment 6 attachments
To : Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in>
Cc : Mohammad Arif <Mohammad.Arif@fao.org>, Uma Balaji <Uma.Balaji@fao.org>, Sabita Parida <Sabita.Parida@fao.org>, Konda Chavva <Konda.Chavva@fao.org>, Tomio Shichiri <Tomio.Shichiri@fao.org>, Mohammad Arif <Mohammad.Arif@fao.org>

DPIX(P)
05/01

Dear Neena,
Thanks for your response. However, let me clarify a few things for clarity.
1.The project period is from 1st April 2019 to 31st March 2026. Therefore, even without any extension, we do still have more than five years for the implementation period of the project.
2. Additionally, as you are also implementing various externally aided projects, these projects get no-cost extension for at least one more year, and keeping in view the pandemic We do not foresee any problem for getting the no-cost extension for a year as well. So it will be more or less still six years of implementation.
3. As far as discussing with FAO representatives before the SSC meeting, it is presumed by the FAO that the partners have worked out the details as per the budget provided for that in the project. You will also agree that it is not feasible for anyone to discuss budgetary issues without full computation and this can be done with prior preparations only.
4. Therefore, We will request you to have a look at this issue from the position explained above.
Best Wishes,
R B Sinha
Senior Policy Advisor
(Natural Resources)
& Project Director
GEF Green-Ag Project

ASO-GEF
05/01

Food and Agriculture Organization of the United Nations

From: Chief Project Officer <wmd-ua@nic.in>
Sent: Tuesday, January 5, 2021 11:07 AM
To: Sinha, Rakesh (FAOIN) <Rakesh.Sinha@fao.org>
Cc: Arif, Mohammad (FAOIN) <Mohammad.Arif@fao.org>; Balaji, Uma (FAOIN) <Uma.Balaji@fao.org>; Parida, Sabita (FAOIN) <Sabita.Parida@fao.org>; Chavva, Konda (FAOIN) <Konda.Chavva@fao.org>; Shichiri, Tomio (FAOIN) <Tomio.Shichiri@fao.org>
Subject: Re: Recruitment of CRPs- their terms of recruitment

Dear Sir,

With reference to your E-mail dated 18 December 2020 regarding recruitment of CRP's and their terms of recruitments we appreciate that you agree with us on qualification and number of CRPs. But we have following observations on payment schedule:

1. According to Annual Work Plan and Budget 2018-19 page number 50 (Email Dated 03 September 2018), the amount allotted for 50 No. of GLIU Community Resource Persons were 83,077 USD per Year. i.e. approx 10,000 INR pm per person.
2. We are proposing 20 numbers of CRPs at approximately 25,000 INR per month (which is the upper limit) instead of 50 i.e. 85,275 USD per Year.
3. Total Project duration and amount allotted was 72 months and 4,98,462 USD, but due to COVID-19 pandemic situation the proposed amount for the remaining project period i.e. 48 months is 3,41,100 USD which is much less than the initial amount.
4. The qualifications proposed for CRPs are Graduate/ Post Graduate in social sciences and sciences. These CRPs will be recruited through outsourcing agencies and the emoluments paid to a CRP would also include GST and Service charges to be paid to the outsourcing agencies.
5. Also I would like to point out that this issue has been discussed in detailed with FAO consultants (Mrs. Uma Balaji and Shri Konda Chavva) already when the AWP of FY 2019-20 was approved by the SSC.

Project Start and End Date- 1 April, 2019 to 31st March 2026

CRPs Cost as per approved Budget- **For Total 6 Years (As per FAO)**

Calculation Based on 1 USD= 70.36 INR

S. N.	Cost Description	No. Of CRPs	Monthly Rate	Cost Year 1	Cost Year 2	Cost Year 3	Cost Year 4	Cost Year 5	Cost Year 6	Cost Year 7	Total Cost INR	Total Cost USD
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	50	138	83077	83077	83077	83077	83077	83077	0		498462
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	50	9,742	5845298	5845298	5845298	5845298	5845298	5845298	0	35071786	

CRPs Cost as per work plan by OP (WMD)- **For remaining 4 years**

S. N.	Cost Description	No. Of CRPs	Monthly Rate	Cost Year 1	Cost Year 2	Cost Year 3	Cost Year 4	Cost Year 5	Cost Year 6	Cost Year 7	Total Cost INR	Total Cost USD
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	385	0	0	85276	85276	85276	85276	0		341103
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	25,000	0	0	6000000	6000000	6000000	6000000	0	24000000	
										Additional Budget Required	**0**	**0**
										Total Saving at WMD	**11071786**	**157359**

CRPs Cost as per work plan by OP (WMD)- **For remaining 5 years (If extended for 1 Extra year)**

S. N.	Cost Description	No. Of CRPs	Monthly Rate	Cost Year 1	Cost Year 2	Cost Year 3	Cost Year 4	Cost Year 5	Cost Year 6	Cost Year 7	Total Cost INR	Total Cost USD
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	385	0	0	85276	85276	85276	85276	85276		426379
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	25,000	0	0	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	30000000	
										Additional Budget Required	**0**	**0**
										Total Saving at WMD	**5071786**	**72083**

Project Start and End Date- 1 April, 2019 to 31st March 2026

CRPs Cost as per approved Budget- **For Total 6 Years (As per FAO)**

Calculation Based on 1 USD= 65 INR

S. N.	Cost Description	No. Of CRPs	Monthly Rate	Cost Year 1	Cost Year 2	Cost Year 3	Cost Year 4	Cost Year 5	Cost Year 6	Cost Year 7	Total Cost INR	Total Cost USD
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	50	138	83077	83077	83077	83077	83077	83077	0		498462
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	50	9,000	5400005	5400005	5400005	5400005	5400005	5400005	0	32400030	

CRPs Cost as per work plan by OP (WMD)- **For remaining 4 years**

S. N.	Cost Description	No. Of CRPs	Monthly Rate	Cost Year 1	Cost Year 2	Cost Year 3	Cost Year 4	Cost Year 5	Cost Year 6	Cost Year 7	Total Cost INR	Total Cost USD
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	385	0	0	92308	92308	92308	92308	0		369231
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	25,000	0	0	6000000	6000000	6000000	6000000	0	24000000	
										Additional Budget Required	**0**	**0**
										Total Saving at WMD	**8400030**	**129231**

CRPs Cost as per work plan by OP (WMD)- **For remaining 5 years (If extended for 1 Extra year)**

S. N.	Cost Description	No. Of CRPs	Monthly Rate	Cost Year 1	Cost Year 2	Cost Year 3	Cost Year 4	Cost Year 5	Cost Year 6	Cost Year 7	Total Cost INR	Total Cost USD
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	385	0	0	92308	92308	92308	92308	92308		461538
1	GLIU - Community Resource Persons (CRPs)	20	25,000	0	0	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	30000000	
										Additional Budget Required	**0**	**0**
										Total Saving at WMD	**2400030**	**36924**

उप०नि०(नियोज-I)

परि० नि० (GEP)
24/3/2021

उत्तराखण्ड शासन
जलागम अनुभाग
संख्या– /2021–52(5)(XIII-A-1)/2017
देहरादून : दिनाँक 23 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वित्त पोषित जैफ–6 परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये नीति निर्धारण, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय, परियोजना क्रियान्वयन में अन्य विभागों एवं अन्य राज्यों से सामन्जस्य स्थापित करने,मध्यावधि समीक्षा तथा परियोजना के अन्तिम मूल्यांकन की तैयारी के अनुमोदन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–693 / 2018–52(5) / 2017 दिनांक 03.12.2018 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

परियोजना निदेशक (जैफ–6), जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्र संख्या–2148 / 11–11(1) दिनांक 15 मार्च, 2021 में किये गये प्रस्ताव / अनुरोध के क्रम में निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को उक्त गठित कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–107 /2021–52(5)(XIII-A-1)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 जलागम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– स्टॉफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रमुख सचिव / सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
9– प्रमुख सचिव / सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
10– प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
11– प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
12– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड।
13– मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
14– निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
15– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा / पौड़ी गढ़वाल।
16– प्रतिनिधि खाद्य एवं कृषि संगठन, 55–लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003

2863
11-1(6)
25/3/2021

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

ASO (Gramya)
25/3

F. No. K-11011/26/2022-WDC 2.0/Uttarakhand (efile 3011914)

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Land Resources
(Watershed Management Division)

2nd Floor, Shivaji Stadium Annexe Building
Connaught Place, New Delhi - 110001
Dated: 20.1.2022

To

The Chairman
State Level Nodal Agency for WDC-PMKSY
Government of Uttarakhand
Dehradun

SUBJECT: Administrative Approval for the projects sanctioned during 2021-22 under the Centrally Sponsored Scheme 'Watershed Development Component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY 2.0)' in the State of Uttarakhand - regarding.

Sir,

I am directed to convey the Administrative Approval of Government of India for implementation of 12 Watershed Development Projects covering an area of 70,231 ha sanctioned during 2021-22 under the Centrally Sponsored Scheme of **WDC-PMKSY 2.0** in Uttarakhand as per the details given below and at **Annexure-I:**

S. No.	Particulars	
(i)	Year of sanction	2021-22
(ii)	No. of projects	12
(iii)	Area	70,231 ha
(iv)	Total project cost	Rs. 19664.68 lakh
(v)	Total Central share (90%)	Rs. 17698.21 lakh
(vi)	Total State share (10%)	Rs. 1966.47 lakh

2. The total treatable area under the projects will be treated within the project period, as in the planned DPR, as per provisions contained in the Guidelines for New Generation Watershed Development Projects (WDC PMKSY 2.0) and instructions issued by the Department of Land Resources from time to time.

3. **Terms and Conditions for Administrative Approval and release of funds (total project cost) by State Government to SLNA and its utilization:**

i. Funds released as Central Share during each Financial Year along with corresponding State Share for Watershed Development Projects under WDC-PMKSY 2.0 should be released by State Government to SLNA within the prescribed timelines as per the provisions contained in the Guidelines for WDC 2.0 and instructions issued by DoLR from time to time.

ii. The State Government will ensure that the accounts at State level as well as at District/ PIA/ WC levels are audited by a Chartered Accountant selected from a panel approved by the CAG of India, within six months of the close of the financial year. The SLNA will furnish consolidated Audited Statement of Account and Utilization Certificate for release of funds every year, by the end of September of the following financial year.

iii. The institutions at various levels i.e. SLNA/ District level/ PIA/ WC will maintain requisite registers and documents as per the guidelines and instructions of DoLR.

iv. SLNA will have in place all requisite experts/Staff including financial & accounting staff including PFMS experts.

4. The SLNA concerned shall appoint the Project Implementation Agency (PIA) for the projects mentioned in **Annexure-I.**

5. The Administrative Approval is subject to adjustment in accordance with the actual area required for treatment based on survey as to be indicated in the DPR and as per the approved cost norms under the programme.

✓6. The payment of salaries/ Consultancy fee to the Experts/Staff at SLNA, WCDC, WDTs/ Secretary of the Watershed Committees etc. would be charged from the administrative cost component. The expenditure under Administrative component shall not exceed 10% of the total expenditure incurred on the project under any circumstances. Any expenditure under Administrative Component over and above 10% of the project expenditure should be borne by State governments.

7. The expenditure on the activities during the Preparatory Phase shall begin immediately and in no case later than two weeks from the date of receipt of funds. In case of non compliance of this provision, in respect of any project, the project is liable to be withdrawn as per the provisions of the guidelines of WDC-PMKSY 2.0 (2021).

8. The SLNA will submit consolidated expenditure statement and UC to DoLR based on the Expenditure Statements and UCs of the District Level agencies in respect of utilisation of funds provided for all the projects, as per GFR, 2017(amended up to date).

9 Purchase of vehicles, construction of buildings and such other capital items is not permissible under the Programme.

10. The updating of relevant columns in the WDC MIS is mandatory.

11. SLNA must ensure scrupulous compliance of various guidelines/instructions relating to implementation of the scheme issued by Department of Land Resources from time to time. Also,

[signature]

as per para 12 of Ministry of Finance OM dated 23.3.2021 funds will be released in tranches i.e. not more than 25% of the amount earmarked for a State for a CSS for the financial year. Additional Central share (not more than 25% at a time) will be released upon transfer of the stipulated State share to the SNA and utilization of at least 75% of the funds released earlier (both Central and State share) and compliance of conditions of previous sanctions.

12. This issues under the powers delegated to the Ministry of Rural Development and in consultation with the IFD vide their Dy No. 214/IFD/LR/2021-22 dated 18.1.2022.

Yours faithfully,

(Sushil Kumar Daila)
Director (WM)

Copy to:

1. The Chief Executive Officer, SLNA, Government of Uttarakhand, Dehradun.
2. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. The Secretary, Planning Department,Government of Uttarakhand, Dehradun.
4. The Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun.
5. The Pay & Account Officer, DoLR, CGO Complex, 11th Block, 6th Floor, New Delhi-110003.
6. Deputy Secretary (IFD), DoLR, Nirman Bhawan, New Delhi.
7. Audit Officer, Internal Audit Wing, O/o. CCA, Krishi Bhavan, New Delhi.
8. Sanction Order Folder.

Sushil Kumar Daila
Director (WM)

Annexure I

Final Project list as per appraisal of 1st Steering Committee held on 04.01.2022

State / UT: Uttarakhand

Area allocated by DoLR:70231 Ha.

District wise Name of project(DISTRICT NAME-WDC-PROJECT NUMBER/2021-22)	Name of Block/blocks	Type of area(Plain/Hilly/Desert/IAP)	Cumulative weightage for each project (out of 135)	No. of MWS	Project area proposed for treatment(in Ha)	Rate / Ha	Total project cost (Rs. Lakh)	Name ofPIA/department	Whether project area proposed included transferred project area (Yes / No)
PMKSY-WDC2.0/Almora-I/ 2021-22	Sult	Hilly	93	3	5400	28000	1512.00	DPD, WMD Almora	No
PMKSY-WDC2.0/Almora-II/ 2021-22	Bhikiyasain, Tarikhet, Sult	Hilly	98	2	6800	28000	1904.00	DPD, WMD Almora	No
PMKSY-WDC2.0/Almora-III/ 2021-22	BhikiyasainTarikhet	Hilly	96	3	5810	28000	1626.80	DPD, WMD Almora	No
PMKSY-WDC2.0/Almora-IV/ 2021-22	Bhikiyasain, Chaukhutiya	Hilly	91	2	7500	28000	2100.00	DPD, WMD Almora	No
PMKSY-WDC2.0/Pauri-I/ 2021-22	Ekeshwer, Pabo	Hilly	96	2	5025	28000	1407.00	DPD, WMD Pauri	No
PMKSY-WDC2.0/Pauri-II/ 2021-22	Ekeshwer, Kaljikhal, Pabo, Pauri	Hilly	98	1	6150	28000	1722.00	DPD, WMD Pauri	No
PMKSY-WDC2.0/Pauri-III/ 2021-22	Kaljikhal	Hilly	98	1	5146	28000	1440.88	DPD, WMD Pauri	No
PMKSY-WDC2.0/Pauri-IV/ 2021-22	Ekeshwer,	Hilly	98	2	6250	28000	1750.00	DPD, WMD Pauri	No
PMKSY-WDC2.0/Pithoragarh-I/ 2021-22	Berinag	Hilly	91	3	6600	28000	1848.00	DPD, WMD Pithoragarh	No
PMKSY-	Berinag,	Hilly	86	2	5250	28000	1470.00	DPD, WMD	No

								Pithoragarh	
WDC2.0/Pithoragarh-II/ 2021-22	Gangolihat	Hilly	91	2	3600	28000	1008.00	DPD, WMD Pithoragarh	No
PMKSY-WDC2.0/Pithoragarh-III/ 2021-22	Gangolihat	Hilly	91	2	6700	28000	1876.00	DPD, WMD Pithoragarh	No
PMKSY-WDC2.0/Pithoragarh-IV/ 2021-22	Pithoragarh								
Grand Total					**70231**		**19664.68**		

Grand total area should not exceed the allocated area for State /UT as intimated vide DoLR letter F. No.7-39/2021-WDC-PMKSY dated 20.12.2021.